CONTENTS

Fifteenth Series, Vol.II, Second Session, 2009/1931 (Saka)
No.7, Friday, July 10, 2009/ Asadha 19, 1931 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 102 to 106	2-39
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 101 and 107 to 120	40-102
Unstarred Question Nos. 907 to 1042	103-351

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	**352-359**
BUSINESS OF THE HOUSE	**360-362**
ELECTION TO COMMITTEE	
Advisory Council of Delhi Development Authority	**363**
MOTION RE: SECOND REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	**364**
OBSERVATION BY THE SPEAKER	**365**
Priority of notices for raising matters of urgent public importance	
SUBMISSION BY MEMBER	**370-377**
RE: Massive damage due to breach of Kushha embankment on Kosi River	
GENERAL BUDGET, 2009-10 – GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR EXCESS GRANTS – (GENERAL) 2006-07	**378-425**
Shri Sandeep Dikshit	378-383
Shri Gurudas Dasgupta	384-388
Shri N. Kristappa	389-392
Shri Ramkishun	393-397
Shri Premdas	398
Shri Rajen Gohain	399-401
Shri M.I. Shanavas	402-406
Dr. Baliram	407-409
Shri Mahabali Singh	410-412
Shri Udayanraje Bhonsle	413-415
Shri Shivraj Bhaiya	416-417
Shri Kalyan Banerjee	418-421
Shri Ghanshyam Anuragi	422-425

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTIONS

(i) Resolution RE: Constitution of National Board for the Development of Himalayan States 426-475

Dr. Thokchom Meinya 426-429

Shri B. Mahtab 430-433

Shri Sanjoy Takam 434-437

Shri Shailendra Kumar 438-439

Dr. Raghuvansh Prasad Singh 440-445

Shri Ninong Ering 446-448

Dr. Prasanna Kumar Patasani 449-452

Shri V. Narayanasamy 453-465

Shri Virender Kashyap 466-475

Resolution – Withdrawn 475

(ii) Resolution RE: Steps to ensure availability of drinking water in the country

Shri Satpal Maharaj 476-481

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 486

Member-wise Index to Unstarred Questions 487-488

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 489

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 490

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Franciso Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, July 10, 2009/ Asadha 19, 1931 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार(कौशाम्बी) : अध्यक्ष महोदया, देश में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। सदन में इस विषय पर चर्चा कराना अत्यंत आवश्यक है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया बैठ जाएं और प्रश्न काल चलने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: शून्य काल में समय देंगे, अभी प्रश्न काल चलने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: जब आम बजट पर बहस होगी, तब आप इस महत्वपूर्ण मुद्दे को को उठा सकते हैं। अभी प्रश्न काल चलने दें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : जीरो ऑवर में मौका दे दें।

अध्यक्ष महोदया: आप आम बजट पर बहस के समय इसे उठा सकते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : आम बजट पर तो बोल चुके हैं।

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाएं और प्रश्न काल चलने दें।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER : Q. 101, Shri Magunta Sreenivasulu Reddy - not present. Shri Hanraj G. Ahir – not present. Q. 102, Shri Jagdish Sharma.

(Q. 102)

श्री जगदीश शर्मा : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि शेयर बाजारों में अवैध कारोबार के अनेक बड़े-बड़े मामले इस देश के सामने आए हैं। हाल ही में पिछले वर्ष सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर में भी यह मामला सामने आया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उसने शेयर बाजारों में हो रहे इस अवैध कारोबार को पकड़ने के लिए क्या किसी एजेंसी का गठन किया है या नहीं?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam Speaker, the Statement which I have placed on the Table of the House clearly indicates how the functioning of the share markets are being conducted. There are two regulatory enactments – one is the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, and another is the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Act, 1992. After the establishment of SEBI under the Act of 1992, SEBI is entrusted with the responsibility of the smooth functioning and conduct of the Stock Exchanges. Therefore, various measures have been taken to regulate the functioning of the Stock Exchanges, but it is correct, from time to time, irregularities, non-permitted activities, and violation of the norms take place, and SEBI takes appropriate action.

In the text of the Statement, I have already indicated that even some of the Governing Bodies of some State Exchanges were replaced, the existing Governing Bodies were suspended because of the irregularities, including the illegal trading. So, this is a continuous exercise, and the hon. Member is aware of it.

श्री जगदीश शर्मा : अध्यक्ष महोदया, वित्त मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि सेबी का गठन किया गया है। लेकिन जवाब में यह भी बताया गया है कि सेबी को जब कोई शिकायत मिलती है, वह तब ही हरकत में आती है, उसके पहले नहीं। जब शेयर बाजारों में अवैध कारोबार की इतनी बड़ी-बड़ी शिकायतें सरकार को मिलती हैं, तो पहले ही इस चीज को पकड़ लिया जाए, इस तरह की सरकार के पास कोई एजेंसी नहीं है। मैंने प्रश्न पूछा था कि इस तरह के कारोबार को रोकने के लिए क्या भारत सरकार ने या वित्त मंत्रालय ने किसी एजेंसी का गठन किया है या नहीं?

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि विगत 5 वर्षों में सेबी को कितनी शिकायतें मिलीं और उन शिकायतों के आधार पर सेबी ने किस-किस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की तथा वे अधिकारी कौन हैं? क्या यह बात सही है कि स्टॉक एक्सचेंज के जिन अधिकारियों पर आरोप था, आज भी वे स्टॉक एक्सचेंज में कार्यरत हैं। मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, first of all, the hon. Member will have to appreciate that the stock exchange is an association of the individuals. They are regulated. As the companies are formed, the stock exchanges are formed. We have taken steps to corporatise the stock exchange and de-mutualization of the stock exchange. If you look at the background of the formation and development of the stock exchanges in India, you will find that those traders who are trading in stocks itself, they themselves used to form some sort of association and started transacting amongst themselves and a lot of irregularities used to take place. Thereafter, the first enactment took place in 1956 and after that in 1992. So, this aspect is to be kept in view. There is no central agency and we are not contemplating of constituting a central agency because that is totally against the spirit of the functioning of the stock markets all over the world.

In so far as steps are concerned, the steps which we have taken up to now as on 31st March, 2009 are as follows: number of actions initiated by SEBI is 3,727; inquiry is proceeding in 2370; number of actions disposed of is 1976; and number of actions pending is 351. Of these cases, there are various types of actions that have been taken. They include adjudication, summary process and prosecution proceedings. So the respective figures are 3993, 1884; pending 2112; in respect of summary process, the figures are 2296, disposed of 320, actions pending 1976; the figures in respect of prosecution proceedings are 1093, 150, 943. The second aspect that the hon. Member will have to appreciate is that the violations lead ultimately to the breach of contract and some sort of criminal activity. The authority is not vested in SEBI or any other regulatory body for

taking action under these criminal activities. The authority is vested in various State Governments and State Governments take action from time to time.

श्री जगदीश शर्मा : अध्यक्ष महोदया, मैं पूछना चाहता था कि..

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये, आपके दो प्रश्न हो गये हैं।

श्री संजय निरुपम : माननीय अध्यक्ष महोदया, इसमें कोई शक नहीं है कि हाल के वर्षों में सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज को काफी अनुशासित किया है और गैर-कानूनी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही हैं। लेकिन पिछले एक-दो वर्षों में गुजरात के स्टॉक एक्सचेंजों को बंद कर दिया गया है, जैसे अहमदाबाद, बड़ौदा और राजकोट एक्सचेंज आदि को बंद कर दिया गिया। उसके बाद से एक डिब्बा-ट्रेडिंग का नया ट्रेंड शुरू हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें डिब्बा ट्रेडिंग के बारे में कोई जानकारी मिल रही है या नहीं और डिब्बा ट्रेडिंग के बारे में एक लाइन में समझाना चाहूंगा कि वहां क्या हो रहा है। यह एक प्रकार की शेयर्स की लीगल ट्रेडिंग है। भुज में, कच्छ में, बड़ौदा और सूरत में बैठे लोग मुम्बई के स्टॉक एक्सचेंज के जो ट्रेडर्स हैं, ब्रोकर्स हैं उनके माध्यम से एक बड़े वाल्यूम में शेयर्स बुक करते हैं और उसका छोटा सा हिस्सा डिमैट के थ्रू ऑपरेट होता है और बाकी का हिस्सा कैश में होता है। क्या सेबी के पास इस प्रकार की जानकारी आ रही है, यदि आ रही है तो क्या इस प्रकार के शेयर ब्रोकर्स के खिलाफ कार्यवाही हो रही है? डिब्बा ट्रेडिंग को रोकने की दिशा में आखिर क्या प्रयत्न किया जा रहा है, यह मैं जानना चाहता हूं?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, it is correct that in some parts of the country the dabba trading is taking place. Dabba trading is nothing but the trading that takes place not in the places earmarked, that is the stock exchange premises, but through mutual arrangements between the participants. There is another type of illegal trading that is taking place over telephone which is called call trading. There is something else called insider trading which is done using the premises available in a regular stock market after the working hour is over, say after five o'clock. Normally those who use these facilities they are somehow or other associated with it and that is why it is called insider trading. All these are illegal and actionable; and appropriate actions have already been taken. In some of the stock markets, the Board of Governors of exchanges were changed including one in Gujarat.

डॉ. भोला सिंह : अध्यक्ष महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी इन्दिरा जी के समय से लेकर आज तक कई बार वित्त मंत्री रह चुके हैं और उनका अनुभव भी है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि आपके लाख प्रयास करने के बाद भी स्टॉक एक्सचेंज और प्रतिभूति आपके नियंत्रण में नहीं आ रही है? वित्त मंत्री के रूप में आपका जो अनुभव रहा है, क्या आप महसूस करते हैं कि वर्तमान पृष्ठभूमि में उनकी चाल को देखते हुए जो स्थापित कानून हैं, वे इतने कड़े नहीं हैं, जिसके चलते वे नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं? इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि किस कारण इतनी सारी सुर्खियां देश में रही हैं और कभी-कभी उन सुर्खियों के कारण सरकारें बदनाम होती रही हैं। कई बार जांच भी हुई है, लेकिन तब भी वेताल उसी डाल पर बैठ जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान पृष्ठभूमि में क्या आप यह महसूस करते हैं कि यह जो कानून हैं, यह अप्रासंगिक हैं और इसे बदलने की जरूरत है, ताकि वे नियंत्रण में लाए जा सकें।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, the hon. Member is correct. From time to time various scams relating to stock exchanges and stock markets have come to the surface. Hon. Members are fully aware that two such very prominent cases were of Harshad Mehta and of Ketan Parekh wherein Joint Parliamentary Committees were instituted. Following the recommendations of the JPC in the early 1990s the regulation of markets began. Even SEBI came to exist on the basis of the recommendations of various Parliamentary Committees from time to time. This is a constant exercise. The reason for this is very simple, Madam, and that is just to make quick money. The human ingenuity of making quick money by surpassing or avoiding the law of the land is continuing for quite some time, not only here. Everybody knows that even many educated people make certain deposits with the expectation of a very high rate of return without considering for a moment that those rates of return on savings deposits are simply impossible. There cannot be any investment where an amount of Rs.100 can fetch you an interest rate of Rs.40. There are some organisations which promise such rates of return and unfortunately they have their clients. This is a constant battle,

Madam, I have no hesitation in having a fresh look at it. But the point which is to be kept in mind is that as and when some type of distortions come, as I was referring to dabba trading, call trading and insider trading - appropriate

mechanism has been evolved and we are keeping the State Governments also on alert. My predecessor wrote to the Chief Ministers drawing their attention to this aspect. We even suggested that they you could create some special mechanism to deal with this type of cases so that they could be clearly and quickly disposed of and the criminality part associated with it could be taken care of.

MADAM SPEAKER : Q. No. 103, Shri S. Semmelai.

(Q.103)

SHRI S. SEMMALAI: Madam Speaker, as per the detailed statement placed by the Minister on the Table, there are still some States which have not complied with the process. They may have genuine fears that generation, transmission and distribution may not be beneficial and may not meet the power requirement of the respective States. In this situation, may I request the hon. Minister to state whether restructuring of State Electricity Boards would result in reduction in power tariff and benefit to *aam aadmi*?

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE: Madam Speaker, the State Electricity Boards have been reorganized in 14 States so far and it has been proved that in a few states since their reorganization their losses and thefts have come down and their generation in a few states has increased. Not only that, even the tariff has also come down in a few states. It is possible to bring down such type of tariffs below the existing level.

SHRI S. SEMMALAI : Madam Speaker, I would like to know from the hon. Minister whether this reorganization would lead to extensive job cuts and a freeze on future employment opportunities as feared by the trade unions.

SHRI SUSHIKLUMAR SHINDE: Madam Speaker, there should not be any fear in the mind of the trade unionists because wherever this reorganization has taken place the trade unionists have been assured that there would not be any retrenchment or reduction or bar on any employment. Nowhere in the country where reorganization has taken place, such a reduction has been done. Care has been taken by the UPA Government right from 2005 that the workers' security must be there and we will protect the labour community.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Madam Speaker, the Electricity Regulatory Act has come into existence in 2003. It is intended to provide access of electricity to all by the year 2012. In this connection I would like to ask the hon. Minister whether under the revised definition of an electrified village - that is 10 per cent

households of a village to be covered – how many villages in West Bengal, in percentage terms or in numbers, have so far been recognized as electrified villages.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: The question refers to Rajiv Gandhi Gramin Vidydikaran Yojna. We have taken a very effective decision that those houses which have not been electrified also should be electrified. So, by 2012 every household in the country will be having at least one unit. That is the plan of the UPA Government.

श्री अशोक अर्गल : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिन राज्यों में वर्षा के अभाव में बिजली का उत्पादन प्रभावित हो रहा है क्या उन बोर्डों को केंद्र की तरफ से कोई सहायता दी जाएगी? इस संबंध में मध्य प्रदेश को क्या सहायता दी गई है और क्या दी जाएगी?

श्री सुशीलकुमार शिंदे: महोदया, माननीय सदस्य द्वारा बहुत प्रश्न पूछा गया है कि देश में बिजली निर्माण की शार्टेज हो रही है। बिजली निर्माण कन्करन्ट लिस्ट में है और यह काम राज्यों को करना चाहिए। पिछले 10-15 साल में ऐसी धारणा का निर्माण किया गया कि भारत सरकार ही बिजली का निर्माण करे। जबकि यह कन्करन्ट लिस्ट में है। हर राज्य को अपनी जनता को बिजली देने के लिए बिजली निर्माण का काम करना है। आज भी देश में 15,000 से 20,000 मेगावाट बिजली कम है। शरद यादव जी ने पिछली बार मंत्रियों की बैठक बुलाने के बारे में कहा था और हमने सभी राज्य के मंत्रियों की बैठक बुलाई। इसमें मध्य प्रदेश के भी मंत्री थे। मैंने उसमें यही कहा कि बिजली निर्माण का काम राज्यों को करना होगा, इसके लिए जो भी फाइनेंस सहायता चाहिए वह कारॅपोरेशन जरूर करेगी। अभी हम 11वीं योजना में लगभग 78,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस बारे में मैं कहना चाहता हूं क्योंकि देश में बिजली की दिक्कत है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में आपने देखा होगा कि 41,000 मेगावाट का एक प्रोजेक्शन किया गया था लेकिन बिजली निर्माण 21,000 मेगावाट हुआ क्योंकि हम ऑर्डर्स नहीं दे पाए थे। मैं फरवरी, 2006 में आया और उसके बाद मैंने देखा कि ऑर्डर्स की वजह से बिजली उत्पादन 41,000 मेगावाट से 21,000 मेगावाट तक आ गया। हमने 11वें प्लान में 78,000 मेगावाट टार्गेट का सबसे पहला काम किया। इस देश में 80,000 मेगावाट का निर्माण चालू है और हम इसके लिए कॉन्फिडेंट हैं। हमने 78,000 मेगावाट का प्लान किया है, इस देश में हमें लगता है कि एटलीस्ट 60,000 मेगावाट बिजली का निर्माण होगा ही। हमें बहुत दिक्कत होती है क्योंकि कभी कोयला नहीं मिलता, कहीं गैस नहीं मिलती है। इसके साथ अन्य चीजें भी हैं और इन सब दिक्कतों से लड़ते हुए हम अपने देश को

बिजली देना चाहते हैं क्योंकि यूपीए सरकार ने देश से प्रॉमिस किया है कि वर्ष 2012 तक हर घर में बिजली देंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदया, राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन होता है, इसमें ज्यादातर प्रदेश की मांग, आपूर्ति, घाटा, उत्पादन, चोरी और बड़े बकाएदार से वसूली से संबंधित तमाम मामले देखे जाते हैं। उत्पादन से संबंधित गाजियाबाद, दादरी में गैस पर आधारित विद्युत उत्पादन का एक प्लांट लगाया गया था। वहां गैस न देने के कारण काम शुरू नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उस परियोजना को चालू करने के लिए केंद्र सरकार से गैस मिलने की संभावना है ताकि यह परियोजना चालू हो सके और हम प्रदेश या उसके बाहर जो मांग है, विद्युत सप्लाई कर सकें।

श्री सुशीलकुमार शिंदे: माननीय अध्यक्ष महोदया, हालांकि यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन मुझे वहां की दिक्कतों के बारे में मालूम हैं। हमने वहां गैस देने के लिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से विनती की है और वहां जल्दी गैस मिल जाएगी। रिस्ट्रक्चरिंग, रिऑर्गेनाइजेशन करने से एक एकाउंटिबिलिटी फिक्स होती है, जब डिस्ट्रीब्यूशन और जेनरेशन अलग-अलग हो जाएंगे तो पता चलेगा कि एक्जेक्टली किस प्रकार की मदद चाहिए और कहां गलती हुई है। कहां चोरी हो रही है, यह भी पता चल जाएगा। इसलिए रिऑर्गेनाइजेशन करना बहुत जरूरी है जिससे एक एकाउंटिबिलिटी मिल जाएगी।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : The question tabled here should not be taken lightly because the scarcity of electricity has become a growing problem throughout the country. So many ideas are being floated.

Even in the reply of the Minister, it has been categorically mentioned that the report given by the IIPA states that the following overall improvements have been noticed in four of the States which have reorganized their SEBs – Andhra Pradesh, Haryana, Karnataka and Orissa. … (*Interruptions*)

श्री अर्जुन चरण सेठी : उड़ीसा और हरियाणा में प्राइवेटाइज हो गया है। ...(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : I am mentioning the reply of the Minister; I do not need your advice on this. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please address the chair. … (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Let me ask the question. … (*Interruptions*)

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : I am correcting you. … (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : I need not be corrected by you, but I want the answer from the Minister.

In West Bengal State Electricity Board, we have a tremendous transmission and distribution loss. The accumulated losses of the WBSEB have gone up to a skyrocketing amount. It has gone up to more than Rs.1000 crore. I want to know from the hon. Minister, whether this reorganization process of the SEBs have been thoroughly implemented up to the desired level of the Government and what is the accumulated loss of WBSEB?

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: It is a fact that the hon. Member has brought to my notice. Earlier also, a number of times, we have requested the Government of states to reorganize. From time to time, they are asking for extension of stay for the reorganization, and we have been granting.

SHRI BASU DEB ACHARIA : It is already reorganized; it has been unbundled.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Yes I am coming to that. … (*Interruptions*) I have to reply. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please address the Chair.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Huge losses had accumulated there. Now improvement is there; now they are on the right track.

SHRI BASU DEB ACHARIA : One of the objects of Electricity Act, 2003 was unbundling of SEBs. Fourteen States have already unbundled their SEBs; out of 14 States which have unbundled SEBs, six States have started earning profits. May I know from the hon. Minister, which are the States, even after unbundling, have started earning profits, without privatizing the distribution and transmission companies? Also, may I know the impact of unbundling and reorganization on AT&C losses? … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please do not interrupt like this.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Do not interrupt. Let the hon. Minister reply.

SHRI BASU DEB ACHARIA : The hon. Minister is to reply. You are not the Minister. First you become a Minister and then reply! The Minister is here to reply.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : सिर्फ मंत्री जी की बात रिकार्ड पर जायेगी।…(व्यवधान) *

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Madam, first he wanted to know about the profits. So, I will reply to that, and then, I will come to the aspect of 'without privatizing'. The profit making reorganized States are – Andhra Pradesh which has made a profit of Rs. 341 crore, Gujarat which has made a profit of Rs.102 crore, Karnataka which has made a profit of Rs.301 crore, Maharashtra which has made a profit of Rs.675 crore, Orissa which has made a profit of Rs.755 crore, and West Bengal which has made a profit of Rs.372 crore. Now, it is on the right track.

The States which have been unbundled late, particularly Chhattisgarh is making profit because it has a huge coal with them and thereby they are generating more power

SHRI BASU DEB ACHARIA : This is without privatizing and retaining it as a public sector undertaking.

MADAM SPEAKER: You have asked the question. Let him reply.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I am saying that all this is without privatizing and retaining the distribution and transmission company as a State Public Sector Undertaking.

MADAM SPEAKER: Please address to the Chair.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: I am coming to Chhattisgarh.

SHRI BASU DEB ACHARIA : You may tell about the West Bengal.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: I have told about the profit. How can I tell you everything? Chhattisgarh made a profit of Rs.473 crore in 2007-08 as the supply

* Not recorded.

of power was bulk consumers like Railways, Bhillai Steel and SEZ outside the State. The State is making profit by selling power to other States. This is not expected out of reorganization. With reorganization you will know your accountability; what is from the distribution, generation or transmission. If you will not do this and totally depend on the States you will suffer. The States will have to give funding. Suppose, some State has to give free power to agriculturist or for the labourer community the State has to make provision of that money and give it to the Electricity Board. Whereas, we are finding some of the States are giving free power but the Boards are dying at the moment.

SHRI BASU DEB ACHARIA : You have not replied to my question.… (*Interruptions*)

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Your power is privatized in Kolkata electricity.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Next Q. 104 - Shri Vishwa Mohan Kumar – Not present
Shri Vikrambhai Arjanbhai Madam.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): That Question is over as the next Question has been called.

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : अध्यक्ष महोदया, इस पर हाफ-एन-ऑवर डिसकशन करा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदया : बहुत इम्पार्टैंट क्वेश्चन है, आप नोटिस दे दीजिये।

(Q.104)

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में प्रत्यक्ष कर बढ़ाने के लिये अनेक सुझाव बताये हैं। मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष कर प्रस्तावित होने से इस वर्ष के बजट में कर में कितनी वृद्धि होगी?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, Budget discussion is going on but I have indicated that, as a result of the Budget proposal so far as the direct tax is concerned, it is tax neutral. There is no enhancement of direct taxes. Somewhere I have given concessions and somewhere I have imposed taxes. Only one area that has been imposed taxes is Minimum Alternative Tax (MAT). I have enhanced MAT from 10 per cent to 15 per cent. As the spread over period has also been extended from seven to ten years, it is not that next years onwards we will start getting at the rate of 15 per cent. All these issues can be explained in detail but to facilitate the hon. Member I have given a very exhaustive statement; tax-wise, categorizing direct taxes and indirect taxes, the reasons why there has been a shortfall. Substantially the shortfall is due to the international financial crisis melt down. Hon. Members have seen that exports have come down from October onwards. Import has come down from October onwards till now. If the export-import comes down naturally it will have its reflections on the Customs Duty, on the Indirect Tax side. In addition to that, we provided three fiscal stimuli in December 2008, January 2009 and February 2009. Its net impact in terms of fiscal relief is, Rs.40,000 crore were given by way of reduction of the taxes. I am not going into the total impact of the stimulus package including the substantial step up on the developmental output. So, if we give tax concessions, if because of the international financial crisis export-import goes down, manufacturing sectors production become negative from positive, naturally, it will have its impact on the over all Government's revenue and I have given that.

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1997 में वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम जी काले धन को बाहर निकालने के लिए एक अच्छी स्कीम वीडीआईएस लेकर

आये थे। उस समय इस स्कीम को बहुत रिसपांस मिला था और इससे देश को बहुत फायदा हुआ था। क्या मंत्री जी अब कोई ऐसी स्कीम लाना चाहते हैं?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, Question Hour is not meant for policy statement and it is a matter which relates to policy. It is not regarding information. We will get ample opportunity of debating the policy statement during the discussion on the Budget.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : Madam, I want to know from the hon. Minister whether considering the high price rise, there is any scheme for restructuring the present tax system. Under special package, there is tax rebate and capital subsidy on excise, transport, raw material and power to various industries in North-Eastern region. So, may I know from the hon. Minister how much rebate has been given and to whom for the last six years?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: So far as North-Eastern region is concerned, there is already a package for industrial revival and industrial rejuvenation. One of the components is the series of tax concessions both direct and indirect to the entrepreneurs who are going and making investment in the North-Eastern region. This is a continuous process. We are reviewing it from time to time and whenever the correction is needed that correction is being made.

MADAM SPEAKER ; Q. No.105, Shri Jose K. Mani.

(Q.105)

SHRI JOSE K. MANI : I would like to know the present extent of the corpus of these Funds and also the present rate of interest for non-governmental PF and pension scheme and also contribution to NPS.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, so far as this question is concerned, it is in respect of the amount of investment from the Pension Fund to various areas. First question is whether the Government proposes to invest Pension Fund in the infrastructure sector including private partnerships. My answer is that the Government does invest from the Pension Fund. The Government provides guidelines for the Pension Fund including NPS. The Trustees of the Pension Fund currently see superannuation fund, gratuity fund and non-government provident funds. These funds have their respective Trustees. The Trustee Boards within the parameters of the Government guidelines make investments and within these guidelines the investments in the infrastructure companies are also permitted. If the hon. Member is interested to know the quantum of the corpus, I will let him know because that figure is not readily available with me. But it is expanding and it is not static. When more and more people are joining the Scheme, naturally the fund would expand.

SHRI JOSE K. MANI : I would like to know whether all the representative beneficiaries are included in managing the Corpus of the NPAs.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: When the Trustees make investment decisions in various sectors, the trustees are the representatives of the persons who are beneficiaries from the Pension Fund and the entire exercise is to have the maximum return of the investment of the funds. Investment decisions are taken and if they earn more profit it goes to the Pension Fund and naturally the participants will get bigger dividend. The entire scheme is meant for them.

MADAM SPEAKER : Q. No.106, Copt. Jair Naraian Prasad Nishad-Not present

Shri Mukesh Bhairavadanji Gadhvi.

(Q. 106)

श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री महोदया को आपके ज़रिये बताना चाहता हूँ कि गुजरात और बाकी राज्यों में आज अणु अधारित, कोयला आधारित और पानी आधारित बिजली बहुत महंगी पड़ रही है। हमारे पास एक विकल्प जो सौर ऊर्जा का है, उसका अगर सबसे ज्यादा यूटिलाइज़ेशन हो और जैसे विदेशों में सोलर फार्म वगैरह डैवलप किये हैं, उस दिशा में केन्द्र सरकार कुछ करना चाहती है या नहीं? दूसरी बात यह है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें खासकर गुजरात में पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली देने के लिए स्टेट गवर्नमैंट आनाकानी करती रहती है और वह कहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमैंट सैंक्शन नहीं दे रहा है। क्या आप उस क्षेत्र में खास तौर पर सोलर ऊर्जा के खम्भे वगैरह लगाना चाहते हैं? तीसरी बात यह है कि इस हिसाब से आप सोलर ऊर्जा का प्रमाण बढ़ाना चाहते है या नहीं?

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला : मैडम स्पीकर, रेन्यूएबल एनर्जी न सिर्फ हमारे वतन के लिए बल्कि दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी बात बन गई है। सोलर एनर्जी की तरफ बहुत तवज्जह दी जा रही है। बल्कि बहुत जल्दी आप यह देखेंगे कि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया एक पॉलिसी ला रही है नेशनल सोलर मिशन के तहत। उस पर तेजी से काम हो रहा है। उसमें सारा हाउस और यह कन्ट्री देखेगा कि सोलर एनर्जी में कितना हम लोग ज्यादा बढ़ना चाहते हैं। यह सही बात है कि कई रियासतों में हमें मुश्किलें आ जाती हैं क्योंकि सोलर एनर्जी में जब खम्भे लगाने की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के डायरैक्शन्स के तहत उन एरियाज़ में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें हम लोग स्टेट चीफ मिनिस्टर्स से मिलने वाले हैं to find out a way, जिससे हम इसको आसान कर सकें और सोलर एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल हो सके। सबसे बड़ी मुश्किल आज हमारे सामने यह है कि सोलर एनर्जी के पैनल्स बहुत एक्सपैन्सिव हैं। इनकी कीमत कम करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा असिस्टैन्स स्टेट्स को मिले और जो असिस्टैन्स सैन्टर से मिल सकती है टैक्स रिडक्शन वगैरह में, उससे इसकी कीमत कम हो जाएगी। जितनी इसकी ज्यादा खपत होगी, उससे भी इसकी कीमत कम आएगी। आजकल नई रिसर्च हो रही है जो कैलिफोर्निया में हो गया है जिससे इसके पैनल्स में जहाँ हम एक चीज़ इस्तेमाल करते थे, उसकी जगह अब एक सस्ती चीज़ इस्तेमाल करने से उसकी कीमत भी कम कर रहे हैं। हमारी कोशिश यह है कि स्टेट्स से मिलकर इस एनर्जी की तरफ हम लोग ज्यादा तवज्जह दे सकें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर से मिलकर, जैसे इन्होंने गुजरात का कहा, वहाँ पर भी और हर स्टेट में जाकर हम सोलर एनर्जी की तरफ भी ज्यादा से ज्यादा असर करके ज्यादा बिजली पैदा कर सकें, इसकी तरफ हमारी मिनिस्ट्री की कोशिश है।

श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी : महोदया, मैं मंत्री जी से एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह बहुत अच्छी बात है कि यूपीए सरकार इस दिशा में बहुत आगे बढ़ रही है। लेकिन छोटे किसान और गांव में रहने वाले गरीब लोगों के लिए सोलर ऊर्जा से चलने वाली लालटेन भारत सरकार के द्वारा एम्बोस करके सबसिडरी अथवा फ्री दी जाए तो मेरे हिसाब से यह देश की बहुत बड़ी सेवा होगी।

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला: महोदया, हम इस तरफ काम कर रहे हैं कि सोलर लालटेन ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिए जा सकें, जिससे उनके घर में भी बिजली आ सके, उनके बच्चे आसानी से पढ़ सकें और उनके घर में राहत आ सके। आजकल इस पर बहुत काम हो रहा है। मैंने कुछ दिन पहले एक पैनल देखा है, जिससे तीन लाईटें जलती हैं और पंखा भी चलता है। वे मेरी मिनिस्ट्री में आए थे...(व्यवधान)

SHRI YASHWANT SINHA : The point is that the cost of solar energy is high.

DR. FAROOQ ABDULLAH: Yes, the cost will be definitely higher. There is no doubt about it because the panel cost is higher. But we hope to bring down the cost of the panel by giving more relief to them from the financial side so that the price to the consumer, and particularly to the poorer consumer is brought down.

SHRI JANARDHANA SWAMY : Madam, going for solar power is a great way to be environmental friendly and also maybe the only solution moving forward given that we are on equatorial line and also we get abundant sunlight compared to many other countries. However, given the major limitation of this method, that is, supply is not available during nights, it creates a demand for energy storage techniques such as batteries to ensure supply of power during nights. The question is whether the Government has done anything to address this problem at the national level. If so, what and how are you planning to do it, how do we do it on a large scale and are we economical in doing so?

DR. FAROOQ ABDULLAH: There is no doubt about it. The biggest problem we have is that during the day time we have the solar energy and for storage, we use large batteries so that the power can be given in the night. A lot of studies are going on all over the world on how to store this energy. One of the methods that they are using now is hydrogen. In the present day, they are doing something with the batteries. They have started using lithium batteries rather than the

conventional batteries that we are using. Work is going on this and we hope that soon there will be a major breakthrough. People use it as storage but also the current should be at the same level or rather the fluctuations that are there should not be of that extent that are existing otherwise. We want to see into it. Our Department is nowadays looking into how to give electricity when there is no sun in the night so that it can be used in the night. So, a lot of work is being done. I am confident that very soon, the breakthrough will come through and you will find that solar energy will be one of the major breakthroughs that we will make in this country.

SHRI P.C. CHACKO : Madam, gross inadequacy of power in the country and under-utilisation of non-conventional sources of energy are matters of grave concern. The hon. Minister has answered that steps are being taken in this regard. Photovoltaic technology which is the basis of the solar energy has taken lead and in many countries, more efficient photovoltaic cells and foldable panels are available. Basic research need not be conducted in our country but will the Ministry adopt the latest photovoltaic technology wherever it is available? With the subsidy of the Department, what is being distributed now are inefficient and insufficient photovoltaic cells for storage system. Will the Ministry of Non-Conventional Energy adopt the latest photovoltaic technology and make it popular? We are grossly under-utilised in this sector, Madam.

DR. FAROOQ ABDULLAH: Madam, the Member is very correct. This technology should be used. My Ministry is looking into all these things. Obviously, my Ministry intends to adopt anything that is good for the country and we are here to give whatever benefits we can give to this country. Today, solar power is expensive. There is no doubt about it. Solar power is expensive at this time. The cost is Rs. 15 per unit. So, we are looking into the aspect of bringing this cost down. Every method is being adopted by my Ministry these days to do this. We are having quite a number of discussions with the people who are involved in solar energy technology.

श्रीमती मीना सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, बिहार जैसे प्रांत में आज भी अधिकांश गांवों में बिजली का पोल तो है, लेकिन तार नहीं। पोल और तार दोनों हैं तो ट्रांसफार्मर नहीं है। वहां के लोग आजादी के इतने वर्षों बाद भी अपनी जिन्दगी अंधेरे में जी रहे हैं। गांवों के लोगों की जिन्दगी सूर्योदय से शुरु होकर सूर्यास्त तक समाप्त हो जाती है। लोग रात होने से पहले ही खाना खाकर सोने के लिए विवश हो जाते हैं। बच्चे लालटेन की रोशनी में अपनी पढ़ाई करते हैं, इसलिए बचपन में ही वे अपनी आंखों में चश्मा लगा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इस समस्या के निदान के लिए सौर ऊर्जा कहां तक कारगर है और उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कृपया बताएं?

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला: अध्यक्ष महोदया, राजीव गांधी योजना है, जो इन चीजों की तरफ बढ़ाई गई है। हम यह समझते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कई गांव, न सिर्फ बिहार में, बल्कि हिन्दुस्तान की कई रियासतों में ऐसे गांव हैं, ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश भी, हर जगह, मेरी खुद की जो रियासत है, वहां भी कई ऐसे गांव हैं जहां मुझे नहीं दिखाई देता है कि वहां कुछ सालों में, आजकल जो बिजली है वह वहां पहुंच सकेगी। वहां ग्रिड की लाइट नहीं पहुंचती है। उनके लिए एक ही रास्ता है - सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी। जहां-जहां हवा के द्वारा हम पैदा कर सकते हैं, वह है या फिर सोलर पैनल लगा कर गांवों के एरियाज़ में बिजली दी जा सकती है या फिर वाटर से भी छोटी-छोटी मशीनें चल सकती हैं। इसी तरह उनसे हम लोग छोटे-छोटे पावर माइक्रो हाइडल चलाना चाहते हैं, जो उस गांव के लिए हों। उसी तरह हम आपके बिहार के लिए और बाकी प्रांतों के लिए भी सोच रहे हैं कि उनके गांवों में घर के लिए रोशनी हो, अगर उन्हें रोशनी मिल जाए और बॉयो गैस, क्योंकि हमारे यहां सबके पास गाय वगैरह है, केटल है, हम सोचते हैं कि जो बॉयो गैस है, उससे खाना बन सकता है और यह जो सोलर लाइट होगी, इससे बच्चों को ऐनक की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में रोशनी आ जाएगी। उसी से अगर एक टेलीविजन भी चल जाएगा तो उन्हें खबरों का भी पता लगेगा। इसके लिए हमारा मंत्रालय काम कर रहा है और बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें यह बात है कि जो राज्य की सरकार है, उसकी तरफ से हम लोगों को आना चाहिए कि गांव में इन चीजों की जरूरत है। हम लोग फिर यहां से सैंक्शन कर देते हैं और वहां जो सरकार है, वह लगवा देती है और कंसेशन हमारी तरफ से...(व्यवधान) Members can also say. But this has to come from the State Government. The State Government is the nodal agency that writes to the Central Government. आप स्टेट गवर्नमेंट को लिख सकते हैं।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : स्टेट गवर्नमेंट नहीं भेजेगी, आप डायरेक्ट दीजिए।...(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य: आप इस बात को मान लीजिए।...(व्यवधान)

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला: मैं मान लेता, मगर मैं इसे मान नहीं सकता हूं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता, नहीं तो कल आप मुझे पकड़ लेंगे। इसलिए वही जो है, आज के माध्यम से यही होता है कि सरकार की तरफ से आता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : आप रिव्यू करिए।...(व्यवधान) पॉलिसी बनाइए।...(व्यवधान)

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला: जरूरत पड़ी तो मैं ये चीजें आपकी तरफ से केबिनेट में रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि केबिनेट इसकी तरफ ध्यान दे।...(व्यवधान)

श्री हसन खान : मैडम, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर के लद्दाख रीजन में इनर्जी के नैचुरल रिसोर्सेस, जैसे जिओ थर्मल, विंड वैलोसिटीज और सन-शाइन सबसे ज्यादा हैं। वहां की जो धूप है, उसमें बाकी हिस्सों के मुकाबले सबसे ज्यादा अल्ट्रा-वॉयलेट रेज पाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि सोलर इनर्जी कॉस्टली है। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि लद्दाख और जम्मू के अनेक हिस्सों में जिओ-थर्मल इनर्जी के बहुत रिसोर्सेस पाए जाते हैं तथा इस सिलसिले में पहले बहुत से सर्वे भी किए गए हैं। अतः मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन सर्वेज के क्या कोई नतीजे निकले हैं, क्योंकि जिओ-थर्मल इनर्जी टैप करने के संबंध में हमें ग्राउंड पर आज तक कोई भी काम देखने को नहीं मिला है?

महोदया, इसी प्रकार मैं ऑनरेबल मिनिस्टर के ध्यान में लाना चाहता हूं कि लद्दाख के ऐसे बहुत से हिस्से हैं, जहां पर विंड-वैलोसिटी बहुत हाई है और वह भी राउंड दि ईयर रहती है। विंड-वैलोसिटी से भी बहुत पॉवर जनरेट की जा सकती है। मैं उनका ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि इस बारे में भी पहले कुछ सर्वे हुए थे। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उनके ध्यान में इस प्रकार के सर्वे होने की कोई बात है या उन सर्वेक्षणों की कोई रिपोर्ट है, क्योंकि ग्राउंड लैवल पर हमें विंड-वैलोसिटी से इनर्जी पैदा करने के बारे में कुछ भी नजर नहीं आता है, अगर नहीं हैं, तो क्या वे इस बारे में सर्वे करा के कुछ इनर्जी पैदा करने का काम करेंगे?

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला : मैडम, मैं ऑनरेबल मैम्बर से यह बात कहना चाहता हूं कि लद्दाख क्षेत्र में इस मिनिस्ट्री ने सोलर इनर्जी के तहत बहुत काम किया है। आज जब ये विंड-इनर्जी की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि लद्दाख के जांस्कर में एक पदम नाम की एक जगह है, जहां हैमलेट्स बहुत दूर-दूर हैं। वहां भी हमारा वह मिशन जाने वाला है, जो ऐसी जगहों पर देखेगा कि विंड-वैलोसिटी कैसी है और क्या वहां हम विंड से इनर्जी पैदा कर सकते हैं। जहां तक ऑनरेबल मैम्बर ने प्रश्न पूछा कि वहां पर सर्वेज किए

गए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि इस बारे में मुझे अभी कोई खबर नहीं है। अभी मेरे पास जो जानकारी आई है, उसके अनुसार We are trying to harness hydro and solar energy which are better suited than geo-thermal energy. मगर तब भी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने मुख्य मंत्री जी से मुलाकात की थी। हमने उनके अफसरों को यहां बुलाया है। अगले हफ्ते में वे यहां आएंगे। उनके साथ बैठकर हमारी मिनिस्ट्री करगिल और पूरे लद्दाख क्षेत्र के लिए व्यवस्था बनाएगी कि वहां हम क्या-क्या कर सकते हैं और कितनी जल्दी कर सकते हैं। उस तरफ हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अभी तक वहां डीजल के पॉवर स्टेशन चलते हैं, जिन्हें मुम्बई से ले जाना पड़ता है। उन्हें मुम्बई से वहां ले जाने में बहुत कीमत लगती है। अगर हम सोलर इनर्जी वगैरह की व्यवस्था कर के किसी प्रकार से कम कीमत कर के उन्हें उपलब्ध करा दें, तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा।

श्री जयंत चौधरी : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे खुद इस बात को कह रहे थे और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि सौर-ऊर्जा के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि अभी सोलर पैनल महंगे हैं। मेरा यह मानना है कि यदि ग्राहक को विकल्प दिया जाए, तो यह अपने आप स्केल-अप हो जाएगा और टैक्नौलोजी सस्ती हो जाएगी। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि उन्होंने वित्त मंत्रालय से इस बारे में बात की है कि इस बारे में कुछ फायनेंश्यल हैल्प दी जाए, ताकि सोलर पैनल सस्ते हो सकें, तो यह कारगर साबित होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बजट पेश होने से पहले, उन्होंने वित्त मंत्रालय को क्या ठोस प्रस्ताव अपनी ओर से दिए और सरकार ने उन पर क्या काम किया?

डॉ. फ़ारूख़ अब्दुल्ला : मैडम स्पीकर, मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक सोलर पैनल्स का सवाल है, यह तो आप मानते हैं कि वे महंगे हैं, क्योंकि उनमें सिलीकॉन इस्तेमाल किया जाता है। मगर अभी हमने सुना है कि कैलीफोर्निया में एक नई टैक्नौलौजी आई है, जिसके अनुसार सिलीकॉन का इस्तेमाल नहीं होता है। वे पैनल चीपर हैं। हमारी मिनिस्ट्री का जो ताल्लुक है, वह काफी इंडस्ट्रीज से है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज से यह कहने वाले हैं कि जो पैनल अब कैलीफोर्निया में बन रहे हैं, उन्हें वे एग्जामिन करें, ताकि उन्हें यहां लाकर, उनकी कीमत कम की जाए। इसके अलावा हम लोग यहां पर काफी कंसैशंस दे रहे हैं। जो कंपनियां सोलर पैनल बना रही हैं, उन्हें टैक्स कंसैशंस मिलते हैं। उन्हें इन्कम टैक्स कंसैशंस मिलते हैं। मैं आपको पूरा जबाव पढ़कर सुनाता हूं। The Government is supporting research, development, upgradation of solar energy system components and materials used in the manufacture of such systems. The focus of research is solar-photovoltaic

technology which is to support the research group and industries in reducing the cost of solar cells, modules, etc.… (*Interruptions*) मैं यह जवाब आपको भेज दूंगा।

MADAM SPEAKER: Question Hour is over.

<u>12.00 hrs</u>

PAPERS LAID ON THE TABLE

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Finance for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 128/15/09)

(2) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Parliament, Secretariats of the President and Vice-President for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 129/15/09)

THE MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (DR. FAROOQ ABDULLAH): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Indian Renewable Energy Development Agency Limited and the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 130/15/09)

(2) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 131/15/09)

(3) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 132/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (PROF. SAUGATA ROY): Madam, on behalf of Shri S. Jaipal Reddy, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Urban Development for the year 2009-2010.
(Placed in Library, See No. LT 133/15/09)

(2) A copy of the Annual Statements (Hindi and English versions) of allotments made under 5 % discretionary quota, in terms of the guidelines dated 17/11/97, for the year ending 31/12/2008.
(Placed in Library, See No. LT 134/15/09)

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (DR. C.P. JOSHI): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Rural Development for the year 2009-2010.
(Placed in Library, See No. LT 135/15/09)

(2) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Panchayati Raj for the year 2009-2010.
(Placed in Library, See No. LT 136/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SULTAN AHMED): Madam, on behalf of Kumari Selja, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Housing and Urban Development Corporation Limited and the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 137/15/09)

(2) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 138/15/09)

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): महोदय, मैं वर्ष 2009-2010 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(Placed in Library, See No. LT 139/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Planning for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 140/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): Madam, on behalf of Shri Namo Narain Meena, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Housing Bank, New Delhi, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Housing Bank, New Delhi, for the year 2007-2008.

(Placed in Library, See No. LT 141/15/09)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-

(i) The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2009 published in Notification NO. LAD/NRO/GN/2009-10/07/165404 in Gazette of India dated the 5th June, 2009.

(ii) The Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 published in Notification NO. LAD/NRO/GN/2009-10/04/163097 in Gazette of India dated the 13th May, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 142/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Security Printing and Minting Corporation of India Limited and the Ministry of Finance for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 143/15/09)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-

(i) The Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Issuance of Indian Depository Receipts) (Amendment) Regulations, 2009 published in Notification NO. LAD/NRO/GN/2009-10/10/166936 in Gazette of India dated the 20th June, 2009.

(ii) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2009 published in Notification NO. LAD-NRO/GN/2008-2009/34/154082 in Gazette of India dated the 13th February, 2009.

(iii) The Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2009-10/05/163525 in Gazette of India dated the 19th May, 2009.

(iv) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 published in Notification NO. LAD-NRO/GN/2009-2010/09/165992 in Gazette of India dated the 10th June, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 144/15/09)

(3) A copy each of the following Reports (Hindi and English versions) under article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. CA 14 of 2008-09)-Compliance Audit Observations.

(Placed in Library, See No. LT 145/15/09)

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. CA 16 of 2008-09)-Scientific Departments.

(Placed in Library, See No. LT 146/15/09)

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Defence Services) (No. CA 17 of 2008-09)-Army and Ordnance Factories.

(Placed in Library, See No. LT 147/15/09)

(iv) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. CA 21 of 2009) - Direct Taxes.

(Placed in Library, See No. LT 148/15/09)

(v) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. PA 25 of 2009)-Direct Taxes-Performance Audit.

(Placed in Library, See No. LT 149/15/09)

(vi) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. PA 30 of 2008-09)-Autonomous Bodies-Performance Audit of National Institute of Biologicals (Ministry of Health and Family Welfare).

(Placed in Library, See No. LT 150/15/09)

(vii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. PA 29 of 2008-09)-Autonomous Bodies-Performance Audit of Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority.

(Placed in Library, See No. LT 151/15/09)

(viii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. CA 20 of 2009-10) (Compliance Audit) –Indirect Taxes-Central Excise, Service Tax and Customs.

(Placed in Library, See No. LT 152/15/09)

(ix) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. PA 24 of 2009-10) (Performance Audit) –Indirect Taxes-Central Excise, Service Tax and Customs.

(Placed in Library, See No. LT 153/15/09)

(4) A copy each of the following Reports (Hindi and English versions) under article 151(2) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Government of Jharkhand (Revenue Receipts) for the year ended 31st March, 2008.

(Placed in Library, See No. LT 154/15/09)

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Government of Jharkhand (Civil and Commercial) for the year ended 31st March, 2008.

(Placed in Library, See No. LT 155/15/09)

(5) A copy of the Handling of Cargo in Customs Areas Regulations, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 174(E) in Gazette of India dated the 17th March, 2009 under section 159 of the Customs Act, 1962, together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT 156/15/09)

(6) A copy of the Service Tax (Amendment) Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 171(E) in Gazette of India dated the 17th March, 2009 under sub-section (4) of section 94 of the Finance Act, 1994, together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT 157/15/09)

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 :-

(i) G.S.R. 437(E) published in Gazette of India dated the 22nd June, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose provisional anti-dumping duty on imports of Diethyl Thio Phosphoryl Chloride, commonly known as DETPC, originating in, or exported from, the People's Republic of China into India.

(ii) G.S.R. 438(E) published in Gazette of India dated the 22nd June, 2009, together with an explanatory memorandum seeking to impose provisional anti-dumping duty on imports of Phosphoric Acid of all grades and all concentration (excluding Agriculture or Fertiliser grade), originating in, or exported from, Korea RP into India.

(Placed in Library, See No. LT 158/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI BHARATSINH SOLANKI): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Power for the year 2009-2010.
(Placed in Library, See No. LT 159/15/09)

(2) A copy of the Annual Budget (Hindi and English versions) of the Damodar Valley Corporation for the year 2009-2010 under sub-section (3) of Section 44 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948.
(Placed in Library, See No. LT 160/15/09)

(3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the NHPC Limited and the Ministry of Power for the year 2009-2010.
(Placed in Library, See No. LT 161/15/09)

(4) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Tehri Hydro Development Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2009-2010.
(Placed in Library, See No. LT 162/15/09)

(5) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Rural Electrification Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2009-2010.
(Placed in Library, See No. LT 163/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SULTAN AHMED): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Demands for Grants Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of Tourism for the year 2009-2010.
(Placed in Library, See No. LT 164/15/09)

(2) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of Tourism for the year 2009-2010.
(Placed in Library, See No. LT 165/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI PRATIK PATIL): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of Youth Affairs and Sports for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No. LT 166/15/09)

12.04 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 13th of July, 2009, will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

2. Introduction, consideration and passing of the Appropriation Bill relating to the Demands for Excess Grants (General) for 2006-07.

3. Discussion on the Statutory Resolution seeking approval for the continuance in force of the Proclamation dated 19.1.2009 in respect of the State of Jharkhand, issued under Article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 19th July, 2009.

4. General Discussion on Jharkhand Budget for 2009-10.

5. Discussion and voting on Demands for Grants (Jharkhand) for 2009-10.

6. Introduction, consideration and passing of the Jharkhand Appropriation (No. 2) Bill, 2009.

7. Discussion and voting on the Demands for Grants for 2009-10 under the control of the Ministry of :-

(a) Agriculture
(b) Consumer Affairs, Food and Public Distribution
(c) Human Resource Development

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाये:

1. देश के आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में, विशेषकर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जाये।

2. देश के अनेक राज्यों में नकली खाद और बीज का कारोबार व्यापक पैमाने पर हो रहा है। इसे रोकने की दिशा में कारगर कदम उठाये जायें।

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्न लिखित विषयों को शामिल करने का कष्ट करें -

1. उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में केन्द्रीय विद्यालय की तुरन्त स्थापना।
2. उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र में, उरई (जालौन जनपद) में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना।

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR): The following items may be included in next week's agenda:-

(1) Discussion on the present stage of monsoon and its effect on the farmers with special focus to Rajasthan.

(2) Discussion on the drinking water situation in India with special focus to the present situation in Rajasthan.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): The following items may be included in next week's agenda:-

(1) Aila (cyclone) affected people in West Bengal need immediate medical assistance as malaria has assumed an endemic proportion including the immediate supply of mosquito nets which they are starved for.

(2) Food processing industry to be set up in the Central and Northern parts of West Bengal prosperous for fruit and vegetables.

<u>12.06 hrs.</u>

ELECTION TO COMMITTEE
Advisory Council of Delhi Development Authority

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (PROF. SAUGATA ROY): Madam, on behalf of Shri S. Jaipal Reddy, I beg to move the following:

> "That in pursuance of clause (h) of sub-section (2) of section 5 of the Delhi Development Act, 1957, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Advisory Council of the Delhi Development Authority for a term of four years, subject to the other provisions of the said Act."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of clause (h) of sub-section (2) of section 5 of the Delhi Development Act, 1957, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Advisory Council of the Delhi Development Authority for a term of four years, subject to the other provisions of the said Act."

The motion was adopted.

12.08 hrs.

MOTION RE: SECOND REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, I beg to move the following:-

> "That this House do agree with the Second Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 9th July, 2009, excluding item at Para No.4, since disposed of by the House and also Para Nos. 6 and 7 of the Report."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Second Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 9th July, 2009, excluding item at Para No.4, since disposed of by the House and also Para Nos. 6 and 7 of the Report."

The motion was adopted.

<u>12.09 hrs</u>

OBSERVATION BY THE SPEAKER

Priority of notices for raising matters of urgent public importance

MADAM SPEAKER: As the hon. Members are aware, in an effort to regulate the procedure for raising matters of urgent public importance after "Question Hour', a decision was taken in consultation with the leaders of all Parties at the meeting held on 1st July, 2009 that notices for raising matters of urgent public importance will be accepted between 0900 hours and 0930 hours. The first 20 notices will be valid for the day. Out of these 20 notices 5 will be permitted to be raised after Question Hour and rest of the matters will be allowed to be raised after 6 o'clock or after business for the day is over, as the case may be.

I wish to reiterate that the priority of the notices is not determined on the basis of their time of receipt in the Notice Office. It is entirely for the Chair to decide which of the matters will be permitted to be raised after the Question Hour. Members may kindly bear in mind that being first in point of time does not entitle them to raise their matter immediately after the Question Hour.

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): अध्यक्ष महोदया, आज पूरे देश में बरसात की स्थिति बहुत खराब है। यह कृषि पर आधारित देश है। पानी न बरसने की स्थिति में पूरे देश में काफी किसानों को दिक्कत आ रही है, उन्हें संकट का सामना करना पड़ रहा है।...(व्यवधान) अकाल पड़ रहा है। मैं बुंदेलखंड के जनपद जालौन का रहने वाला हूं। पूरे बुंदेलखंड में, चाहे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो या मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो, चाहे बुंदेलखंड से लगे हुए फतहपुर, कानपुर तथा सौ किलोमीटर की दूरी के जिले हों, वे सब प्रभावित हैं। लगातार सात सालों से पानी नहीं बरस रहा है जिससे किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। किसान मजदूर हो गया है और मजदूर भूखा मरने लगा है।

यहां माननीय सोनिया गांधी जी बैठी हुई हैं। चुनाव से पहले राहुल गांधी जी झांसी गए थे। वे वहां के जिन-जिन गांवों में गए थे, उन्होंने कहा था कि हम आपके यहां विकास करवाएंगे, पानी की व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सरकार बनने के बावजूद उन गांवों में एक हैंड पम्प की व्यवस्था भी नहीं की गई है। हमारा लोक सभा क्षेत्र पड़ रहा है। माननीय प्रदीप जैन जी मंत्री हैं। उनका भी लोक सभा क्षेत्र पड़ रहा है। क्या एक हैंड पम्प की व्यवस्था भी की गई? नहीं की गई। आज स्थिति यह है कि पूरा बुंदेलखंड पलायन करने लगा है जिससे शिक्षा प्रभावित होगी। वहां के पानी का स्तर नीचे चला गया है।...(व्यवधान) पीने के पानी तक के लिए व्यवस्था नहीं है।...(व्यवधान) हमारे लोक सभा क्षेत्र में यमुना सहित पांच नदियां एक साथ मिली हुई हैं जिसे पंचनदा कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उस पर तत्काल बांध बनाया जाये, जिससे इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। ऐसा करने से बिजली पैदा होगी और खेतों को भी पानी मिल सकेगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

श्री घनश्याम अनुरागी : पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और सरकार बिल्कुल चुप बैठी हुई है।..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री घनश्याम अनुरागी : हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि सांसदों को कम से कम हैंड पम्प लगाने की अनुमति दी जाए।...(व्यवधान) बुंदेलखंड में सांसद निधि से हैंड पम्प लगवा दिए जाएं।...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में दो हजार हैंडपम्प की व्यवस्था करायी जाये, जिससे गांव के लोग पानी के संकट से

निजात पा सकें। ...(व्यवधान) हम आपसे विशेष प्रार्थना करेंगे कि किसानों के आज तक के कर्जे माफ हो जाने चाहिए, बैंक से आज तक जो ऋण दिए गए हैं, वे माफ किए जाएं...(व्यवधान) मजदूरों को 365 दिन मजदूरी दी जाए।

जहां तक आप NREGA की बात करते हैं, मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं,...(व्यवधान) नरेगा अधिकारियों की मंशा काम करने की नहीं है, इसलिए उसे प्रदेश सरकार नहीं, बल्कि केन्द्र के नियंत्रण में रखने की जरूरत है। क्योंकि प्रदेश सरकार और उनके अधिकारी इस योजना को मृतक लोगों के फर्जी आंकड़े दिखाकर धन की बंदरबाट कर रहे हैं। मेरे जनपद में एक परियोजना निदेशक हैं। उन्होंने नरेगा के नाम पर सामान खरीद लिया है। अधिकारियों द्वारा छः लाख रुपये, दस लाख रुपये का सामान, जैसे हसिया, खुरपी, गेती आदि बहुत सा अनउपयोगी सामान जिले स्तर से खरीदकर वहां भेजे गए हैं।...(व्यवधान) यदि इसे ग्राम पंचायत स्वयं खरीदती, तो उसे उसकी उपयोगिता के बारे में पता चलता और भ्रटाचार से बचा जा सकता था। ...(व्यवधान) एक-एक गांव में पांच-पांच छः-छः लाख का सामान खरीदा गया है। यह बंदरबांट हो रहा है।...(व्यवधान) नरेगा के पैसे को उत्तर प्रदेश की सरकार और अधिकारी बंदरबांट करके खाना चाहते हैं।...(व्यवधान) मैं आपसे विनती करता हूं कि इसकी व्यवस्था करने की जरूरत है।...(व्यवधान) यह गंभीर मामला है।...(व्यवधान) हमारी बात नहीं सुनी जा रही है।...(व्यवधान) योजना आयोग के पास विशेष पैकेज की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि उस विशेष पैकेज के लिए शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान की जाये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उसमें पंचनदा बांध को प्राथमिकता के तौर पर रखा जाये। ...(व्यवधान) वहां राहत दी जाए।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Yashwant Sinha, Shri Jagdish Sharma, and Shri Shailendra Kumar have given their notices on the same matter. They are also associating themselves with this.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठिए। श्री संजय निरुपम बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): मैडम, मैं अपने देश के नेशनल फ्लैग कैरियर एयर इंडिया के 31 हजार कर्मचारियों का दर्द लेकर खड़ा हुआ हूं जिसमें से चार-पांच हजार कर्मचारी मेरे चुनाव क्षेत्र में रहते हैं। हम सबको मालूम है कि एयर इंडिया एक संकट के दौर से गुजर रहा है। कैसे संकट हुआ, क्यों आया, यह एक दूसरा विाय है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि पिछले कई दिनों से उन्हें पिछले महीने का वेतन नहीं

मिला है। वेतन की मांग को लेकर, अन्य बातों को लेकर एयर इंडिया के कर्मचारी हड़ताल पर जाना चाहते हैं, अपनी बातें सार्वजनिक रूप से लाना चाहते हैं। लकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एयर इंडिया की मैनेजमैंट ने पिछले दिनों एक GAG आर्डर ईशू किया है और तमाम ट्रेड यूनियन एक्टीविटीज़ में शामिल कर्मचारियों को कहा गया है कि वे इस प्रकार की कोई बात सार्वजनिक रूप से नहीं कहेंगे। मैं चाहता हूं कि गैग आर्डर पढ़कर सुनाऊं and I quote ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप पढ़कर मत सुनाइए, आप बोलिए।

श्री संजय निरुपम : ठीक है।

गैग आर्डर के बाद कर्मचारियों के खिलाफ इस प्रकार का स्टैंड लिया गया है कि अगर उन्होंने बाहर एयर इंडिया मैनेजमैंट के खिलाफ या एयर इंडिया के दुख-दर्द के बारे में कुछ कहा, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, डिस्पिलनरी एक्शन होगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि यह बहुत ही जनतंत्र विरोधी किस्म का आर्डर है। ट्रेड यूनियन के तहत जो ट्रेड यूनियन एक्टीविस्ट्स होते हैं, उन्हें इस प्रकार की अनुमति होती है। हमारा कहना है कि इस अनुमति को छीना गया है, इसलिए उस गैग आर्डर को वापस लेना चाहिए। इस अनइथिकल गैग आर्डर को वापस लेना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं यह कानून के खिलाफ है। मैं जानता हूं कि एयर इंडिया को रास्ते पर लाने के लिए, सुधारने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय की तरफ से प्रयास चल रहा है, लेकिन जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिनका रास्ता ढूंढ़ना चाहिए, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि पिछले एक-दो वर्ष में लगभग 67 हजार करोड़ रुपये का एयरक्राफ्ट खरीदा गया। एयर इंडिया की तरफ से उसके लिए छः हजार करोड़ रुपये के आसपास ईएमआई दी जा रही है। पिछले कई वर्षों से मांग थी कि फ्लीट साइज बढ़नी चाहिए, लेकिन जब फ्लीट साइज बढ़ रही है तब बिल्कुल उसी समय बायलेटरल के जरिये पिछले चार-पांच वर्षों में लगभग 12 लाख सीट्स हमने फॉरेन एयर लाइंस और प्राइवेट एयर लाइंस को दे दी है । एयर इंडिया के जो ल्यूक्रेटिव रुट्स थे, वे सारे रुट्स हम धीरे-धीरे दूसरों के हवाले करते जा रहे हैं। ऐसे समय में इतना सारा एयरक्राफ्ट एक्वीजिशन का मतलब क्या है? दूसरा, बायलेटरल पॉलिसी कहीं न कहीं रिव्यू होनी चाहिए, ताकि एयर इंडिया जो प्रॉफिट मेकिंग कम्पनी थी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपका समय समाप्त हो गया है इसलिए कृपया आप अपना भाषण खत्म कीजिए।

श्री संजय निरुपम : मैडम, मुझे यह कहना है कि एयर इंडिया जो एक प्रॉफिट मेकिंग कम्पनी थी, उसके प्रॉफिट अचानक खत्म हो गये हैं और वह लगभग छः-सात हजार करोड़ रुपये के लॉस में चल रही है।

हमारी मांग है कि एयर इंडिया को लॉस से उबारने और कर्मचारियों के जीवन को ठीक रखने, सुरक्षित रखने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, उसमें थोड़ी सी तेजी बरती जाये। यह अच्छी बात है कि एक नया बोर्ड बन रहा है, जिसमें सैम पिटरोडा और रतन टाटा जैसे बड़े जानकार आ रहे हैं। हमारी मांग है कि एयर इंडिया को सुधारने की दिशा में सरकार की तरफ से जल्द से जल्द प्रयत्न हो। यह गैग आर्डर वापस लिया जाये और कर्मचारियों को तत्काल वेतन दिया जाये, यही मेरी मांग है।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam Speaker, may I also associate my feeling with the matter raised by Shri Sanjay Nirupam? That may kindly be recorded.

MADAM SPEAKER: Yes.

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): अध्यक्ष महोदया, मैंने सूखे के बारे में बोलने के लिए नोटिस दिया है। आपका जिला भी उसमें है। पूरा बिहार सूखाग्रस्त है। …(व्यवधान)

12.18 hrs.

SUBMISSION BY MEMBER

RE: Massive damage due to breach of Kushna embankment on Kosi river

श्री शरद यादव (मधेपुरा): बिहार में एक वर्ष पहले बाढ़ आयी थी, जिसे प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय विपदा कहा था। कोसी क्षेत्र में पिछली बार 50 लाख लोग सराबोर हो गये। वहां मकान, खेत-खलिहान, सड़क, स्कूल, घरद्वार, अस्पताल, गाय-भैंस, आदमी, रेल ट्रैक आदि सब चीजें तबाह और बर्बाद हो गयी हैं। वहां प्रधान मंत्री जी, आडवाणी जी, सोनिया जी, राजनाथ जी समेत कई लोग गये थे। देश का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, जो वहां न गया हो। प्रधान मंत्री जी ने आज तक कभी, मुझे याद नहीं, उसे राष्ट्रीय विपदा कहा हो। वहां 18 अगस्त को बाढ़ आयी थी। इस बात को एक वर्ष बीतने वाला है। बंगाल में आइला आया, तूफान आया, आपने एक हजार करोड़ रुपये दिये, आप वहां और ज्यादा रुपये दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आती कि दो-तीन पहले गृह मंत्री जी ने कहा कि यूपीए सरकार किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। …(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): उन्होंने एक हजार करोड़ रुपया वापस ले लिया। …(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): मैंने उस समय भी निवेदन किया था, आप भी उस दिन थी, यह ठीक बयानी नहीं हो रही है, गलत बयानी कर रहे हैं। इस सारे मामले को एक बरस बीत रहा है। एक धेला भी वहां

नहीं दिया गया। अब फिर बरसात आने वाली है। वहां तबाही मची हुई है। यह जिम्मेदारी भारत सरकार की है और राज्य सरकार की भी है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि हमारी सरकार कोई पक्षपात नहीं करती है। बिहार के मुख्य सचिव को यह पत्र 27 अप्रैल, 2009 को भेजा गया है। यह शून्य काल है, समय कम है, अगर मैं पूरा पत्र पढ़ूंगा तो ठीक बात नहीं होगी। वह कह रहे थे कि पहले दिया हुआ पैसा, 1000 करोड़ रूपए जो तत्काल हर जगह दिए जाते हैं, उसके बारे में जैसे ही चुनाव खत्म हुए, बिहार के मुख्य सचिव को जो पत्र भेजा गया, उसमें एक वाक्य एलार्मिंग है:

"The entire amount of Rs. 1,000 crore released from the NCRF on an account basis is required to be recovered." … (*Interruptions*)

महोदया, यहां वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं। वह इस सदन के नेता भी हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सिर्फ शरद यादव जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। यादव जी, कृपया आप बोलिए।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदया : कृपया माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री शरद यादव : महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी भयंकर तबाही जिसको प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय विपदा कहकर आए, पूरे देश का राजनीतिक नेतृत्व वहां गया, लेकिन आपने रिकंस्ट्रक्शन पैकेज के लिए एक रूपया नहीं पहुंचाया। आपने बंगाल में 1000 करोड़ रूपए दिए। आप उनको और ज्यादा दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन बिहार की त्रासदी जिसको आपने राष्ट्रीय विपदा कहा। उड़ीसा के हमारे साथी बता रहे हैं कि उड़ीसा में भी इसी तरह से पैसे वापस मांगे गए हैं। वित्त मंत्री जी, आप इस सदन के नेता भी हैं, इस मामले में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा जुल्म, ऐसा अन्याय हो रहा है। उस इलाके से मैं चुनाव जीतकर आता हूं। इस बार वहां से मैंने चुनाव भी लड़ा था, मैं जीतकर भी आया। आचार्य कृपलानी, ललित नारायण मिश्रा जैसे कई बड़े-बड़े नेता वहां से आए हैं। उस इलाके में 50 लाख लोग पूरी तरह से तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। आज समय नहीं है, नियम 193 में चर्चा कराने के लिए आपसे निवेदन किया है। मैंने आपसे निवेदन किया कि इस पर थोड़ा समय चाहिए। मैं सरकार से कहूंगा कि इस पर जल्दी से जल्दी कोई रास्ता निकालें। बरसात आ गयी है, कोसी का वह इलाका इतना

---

* Not recorded.

तबाही वाला है, कोसी हमेशा इतिहास में इधर-उधर चलती रही है। फिर से वहां तबाही आ जाएगी। वहां फिर से पानी अंदर आ गया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां फिर से बड़ी तबाही होने वाली है, आप इस पर तत्काल ध्यान दें। होम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही, वह ठीक बात नहीं है। आपने पैसा वापस करने के लिए कहा है। जब वहां के चीफ मिनिस्टर ने पत्रकारवार्ता की और कहा कि इस तरह का पत्र मेरे पास आया है, तो प्रधानमंत्री जी ने उनको टेलीफोन से कहा कि यदि कोई ऐसी गड़बड़ हुई है तो उसको सुधारने का काम करेंगे। दो-तीन महीने का समय हो गया है, आपने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया है। मेरी विनती है कि वह इलाका फिर से तबाही की कगार पर है, फिर से वहां बाढ़ आने वाली है, इसलिए आप इस पर जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लेने का काम करें। आपके माध्यम से यही सरकार से मेरी विनती है।

अध्यक्ष महोदया : श्री राजीव रंजन सिंह जी आप श्री शरद यादव जी के भाषण के साथ स्वयं को सम्बद्ध कर लें।

The hon. Finance Minister to respond on this issue.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please take your seats. The hon. Finance Minister is responding.

… (*Interruptions*)

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): आप कृपा करके बैठिए, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। मुझे रिस्पांड करने की कोई जरूरत नहीं है। I wanted to respond to him, and you are all just obstructing me!… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप लोग बैठ जाइए।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, I am aware of this fact. In fact, this issue was raised a couple of days back, what you raised now. Therefore, I have looked into it and I am assuring, Madam, through you to this House that a technical requirement is there, which is to be rectified, and there will be no question of retuning or recovering the money. On earlier occasions, there have been three precedents where the Cabinet took the decision that technically, it was to be adjusted from the next year. But the Government decided that keeping in view the magnitude of the disaster, there will be no recovery.

What has been given to Bihar will continue to be their money. There is no question of recovery. Please wait. … (*Interruptions*)

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): What about Orissa? उड़ीसा में भी ऐसा ही हुआ है और हमने भी इसका नोटिस दिया है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: It is not the question of Orissa, Mr. Sethi. You cannot bring everything here.… (*Interruptions*)

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : No, I have given the notice… (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Whatever I have to say, I have said it. Enough is enough.… (*Interruptions*)

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : Madam, I have also given the notice. Please allow me. … (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैंडम, यह खुद मंत्री थे उस वक्त और तब इन्होंने क्या किया जो अब इसे यहां उठा रहे हैं।...(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Even the then NDA Government refused to declare it as a national calamity. I know it. I was in-charge of that famous cyclone.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Your notice is not here.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shrimati Meena Singh, please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Every time you will get up and say something.

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग): माननीया अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान भिलाई स्टील प्लांट के चार लाख कर्मचारियों के हितों की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। भिलाई इस्पात संयंत्र

देश के नवरत्नों में से एक है। वहां जो चार लाख अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं वे पे रिवीजन के लाभ से आज भी वंचित हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में वेतन समझौते को लागू करने का निर्णय किया गया था। यह निर्णय इस्पात मंत्रालय को भेज दिया गया। इस निर्णय के 24 घंटे के बाद महामहिम ने इसे मान लिया और इस पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। नवरत्न कम्पनी 'सेल' के बोर्ड के डायरेक्टर्स ने 28 मई, 2009 को अपनी बैठक में इसे पास करके इस्पात मंत्रालय को भेज दिया। माननीय महोदया, मैं यह कहना चाहती हूं कि इस्पात मंत्रालय में दो कम्पनीज 'रीनल' और 'सेल', इन दोनों ही कम्पनीज में 'रीनल' में तो 24 घंटे में महामहिम का यह आदेश जारी हो जाता है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर 'सेल' में चार लाख कर्मचारियों के हितों पर आघात किया जाता है। यह विसंगति आखिर हुई तो क्यों हुई। मैं यह अनुरोध भी करना चाहती हूं आपके माध्यम से सदन से कि चार लाख कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात न किया जाए। उनके हितों का ध्यान रखते हुए उनके हितों का संरक्षण किया जाए। जो विलम्ब हुआ है, उसकी भरपाई करते हुए राष्ट्रपति जी के निर्देश को तत्काल जारी कराया जाए और 'सेल' के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इस वेतन समझौते को लागू करने का निदेश दिया जाए। आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम (जामनगर): अध्यक्ष महोदया, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि गांधी के गुजरात में जहरीली शराब पीने से 125 लोगों की मृत्यु हो गई। जब मैं सुबह घर से चला तो यह संख्या 92 थी, जब मैं इस सदन में आया तो यह संख्या बढ़कर 114 हो गई और मुझे अभी मैसेज मिला है कि वहां 125 लोगों की मृत्यु हो गई है। हर दो घंटे में दस लोग मर रहे हैं। जहां तक शराब की बात है, तो गुजरात में बहुत पहले से शराब बंदी है, लेकिन वहां हर चौराहे पर, स्कूल के पास और अन्य जगहों पर शराब बिकती है...(व्यवधान) यह कोई आज की बात नहीं है। सन् 2008 में एक गैर सरकारी संस्था काकरिया मोड़ जागरुक समिति है, उसने कुछ दिनों पहले पुलिस को लिखकर इस बात को आइडेंटीफाई किया था कि इन-इन जगहों पर जहरीली शराब बिक रही है, लेकिन सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। वहां की सरकार और पुलिस की मिलीभगत से इस काम द्वारा करोड़ों रुपया कमाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदया: आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं, वह पूछकर अपनी बात समाप्त करें।

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा इश्यू है। गुजरात विधान सभा का सत्र चल रहा है।.. * गुजरात की सरकार के खिलाफ वहां के लोग आवाज नहीं उठा सकते।...(व्यवधान) जो चाल-चरित्र और सुराज की बात करते हैं, वे लोग यहां बैठे हुए हैं।...(व्यवधान)

* Expunged as ordered by the Chair.

MADAM SPEAKER: This is pertaining to the Assembly.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं, यह पूछकर अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The Assembly matter will not go into the record.

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : मैडम, जो लोग मर गये हैं, उन्हें तीन दिन तक मीडिया में दिखाया गया, उनकी लाशों को कोई उठाने वाला नहीं था। लोग मरे, उसका मुझे दुःख है लेकिन गांधी जी के गुजरात में मानवता मर गयी, उसका मुझे सबसे ज्यादा दुःख है। मरे हुए लोगों को कफन तक नसीब नहीं हुआ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER : The House will now take up further discussion on the General Budget and the Demands for Excess Grants for 2006-2007. Shri Sandeep Dixit to continue his speech.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। संदीप दीक्षित जी को बोलने दीजिए। आप शांत होकर बैठ जाइये, आपकी बात पूरी हो गयी है।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER : All this will not go on record.

*(Interruptions) …**

MADAM SPEAKER : Except what Shri Sandeep Dixit is saying, nothing else will go on record.

*(Interruptions) …**

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Madam, the subject is the same. … (*Interruptions*) It is an identical subject. … (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

MADAM SPEAKER : I will take it up when the notice comes.

… (*Interruptions*)

SHRI ARJUN CHARAN SETHI : Madam, please allow me. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER : I will take it up when the notice comes. Shri Sandeep Dixit to continue his speech.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठ जाइये। कृपया शांत हो जाइये। सेठी जी, आप कृपया मन्डे को नोटिस दे दीजिए, आपका 23 नम्बर था, आपका नम्बर नहीं आया, नोटिस आने पर हम आपको इजाजत दे देंगे।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER : At the end of the day all the matters under 'Zero hour' will be taken up.

Shri Sandeep Dixit to speak.

12.34 hrs

GENERAL BUDGET 2009-2010 - GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR EXCESS GRANTS –(GENERAL)2006-07 – CONTD.

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): धन्यवाद स्पीकर महोदया जी, कल शाम मैंने बजट पर समर्थन भाषण की शुरूआत की थी। मुझे कुछ समय मिला था, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आज उसे पूर्ण करने का आपने मुझे मौका दिया है। मैं तीन बातों पर अपने विचार रखना चाहूंगा। प्रथम, बजट पर माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बातें पेश की है और जिस आर्थिक परिप्रेक्ष्य में यह बजट प्रस्तुत किया गया उस पर अपने विचार रखूंगा। दूसरा, कल माननीय लालू जी ने तथा बहुत से वक्ताओं ने बड़ी खूबी से कृषि पर अपनी टिप्पणियां कीं और एक वर्ग जो बहुत समय से इस बात को महसूस कर रहा है कि चाहे बजट हो या सरकार के सकारात्मक कार्यक्रम हों, ऐसे वर्ग अभी भी सरकार के सकारात्मक कार्यक्रमों से अपने को परे समझते हैं, उस पर टिप्पणी देना चाहूंगा। अंत में जो वित्त मंत्री जी ने प्रशासनिक सुधारों की बातें बताई और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित अपने वक्तव्य बजट में दिये, उस पर संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा।

महोदया, मैंने यह बात जरूर कही कि आर्थिक मंदी के दौर में आज भी भारत ने 6.7 प्रतिशत की प्रगति प्राप्त की है। दूसरे देशों में कहीं एक प्रतिशत, कहीं दो प्रतिशत बदलाव आया, बल्कि कुछ देशों में नकारात्मक प्रगति हुई है, उससे बचा कर हमने अपने आपको रखा है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी, भूतपूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम जी और वर्तमान वित्त मंत्री प्रणब जी का बहुत योगदान रहा है, इसके लिए मैं उनकी सराहना करना चाहता हूं। हमें मालूम है कि इस समय भी दुनिया में मंदी चल रही है और बहुत कठिन दौर से हमारी सरकार को हमें मंदी के दौर में से निकालना पड़ेगा। प्रणब साहब ने, सरकार ने इस बारे में जो भी प्रमुख कदम उठाए हैं, भले ही हम लोगों का वित्तीय घाटा, चाहे फिसकल डेफिसिट हो, रेवेन्यु डेफिसिट हो जो एक, दो, तीन या साढ़े तीन परसेंट रहा करता था, वह बढ़ कर 4.8, 6.2 और 6.8 हुआ है। इससे आगे आने वाले समय में हमें कुछ दिक्कत आएगी, लेकिन इस बात को सारे वित्तीय सलाहकार, सारे विशेषज्ञ जानते हैं कि जब विपदा आती है, तो उस समय साहसिक कदम उठाने की आवश्यकता होती है। हमारे वित्त मंत्री जी ने दो रूपों में साहसिक कदम रखे हैं, मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। एक तो त्वरित कदम उन्होंने रखे, जिसमें तकरीबन 186000 करोड़ रुपयों का हमारी इंडस्ट्री को सहयोग दिया, एक तरफ पब्लिक स्पैंडिंग पर, ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा देने की बात कही और दूसरी तरफ हमारे एक्सपोर्ट और दूसरे जगहों पर हमें सहयोग दिया, मेरे हिसाब से इन्होंने 186000 करोड़ रुपया जो खर्च

किया था, बहुत हद तक हमारी 6.7 प्रतिशत ग्रोथ का राज है। इसके पीछे इन त्वरित कदमों का हाथ है। देखने में ऐसा प्रतीत नहीं होता है। देखने से ऐसा लगता है कि ये ऐसे दूरगामी कदम हैं, जो कहीं और किए जा रहे हैं, लेकिन इनका सीधा-सीधा प्रभाव जब हमें दिखाई देता है, तब लगता है कि हमारी प्रगति की जो नाव नीचे गिरेगी, वह नीचे गिरने की बजाय ठहरी है और देश की तरफ से समर्थन मिला है कि ऐसे कदम जरूर उठाए जाने चाहिए थे। बहुत से लोग इसमें मीन-मेख निकालेंगे। कुछ कहेंगे कि आपने चार लाख करोड़ रुपए के करीब बैंक से पैसा उठाया है, उसे हम कैसे वापिस करेंगे। हमारा इंटरेस्ट बिल करीब 170000 करोड़ के करीब था, अब 211000 करोड़ रुपए हो गया है, उसका पैसा कहां से आएगा। मैं कहता हूं कि जब वह समय आएगा, तब आएगा। आज के समय में सबसे पहले हमें देश को संभालना है, जिसे हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत बखूबी से संभाल रखा है। दूसरे उसके साथ-साथ दुनिया के दूसरे देशों में जो कदम उठाए जा रहे थे, जैसे इंडस्ट्री को सीधे पैसा दिया जा रहा था, कहीं बैंकों को उबार कर लाया जा रहा था, जिन देशों की प्रणालियां यह समझती थीं कि प्राइवेट सैक्टर ही एक निदान है, उसी सोच पर आज भी चल रही थीं, उन सबके विपरीत वित्त मंत्री जी ने इस सार्वजनिक पैसे का इस्तेमाल किया है, वह इनकी योग्यता दर्शाता है। एक तरफ सीधे-सीधे इंडस्ट्री को पैसा देने की बजाय उन सैक्टर्स में, एक इक्नोमिक मैसेज दिया है, चाहे अपनी वित्तीय प्रणाली को बदल कर, चाहे आरबीआई द्वारा इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर-नीचे करके, चाहे टैक्सेशन को बदल कर, जो संकेत दिए और जब आर्थिक व्यवस्था में ये संकेत गए, उनके जाने से हमारे कई सैक्टर संभले, उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी की सराहना करना चाहूंगा।

वित्त मंत्री जी ने ज्यादा से ज्यादा पैसा ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित किया, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उस ऊर्जा का आने वाले समय में जरूर प्रभाव पड़ेगा। मैंने कल अपनी बात समाप्त करते समय एक पिक्चर की प्रस्तुति की थी, आज चूंकि सदन में और भी सदस्य मौजूद हैं, इसलिए मैं उस पिक्चर की फिर प्रस्तुति करना चाहूंगा, जो दिखाएगी कि इस देश की वित्तीय प्रणाली को संभालने वाले लोगों का क्या रूप रहा है। अगर आप एक गली को देखें, जिसमें आठ-आठ, दस-दस मंजिलों की इमारतें खड़ी होती हैं और भूकम्प आता है तो आप देखते हैं कि अगल-बगल जितनी इमारतें हैं कोई सात प्रतिशत की इमारत है, कोई छह प्रतिशत की इमारत है, कोई चार प्रतिशत की है, वे गिरने के बाद कुछ में तो तहखाने तक ढह जाते हैं अगर उसमें एक बिल्डिंग जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है, वह अभी भी पांच या छह इमारतों के साथ खड़ा रहता है। जिस व्यक्ति ने उस इमारत को बनाया था, जिसने उसकी संरक्षा की है, उस व्यक्ति की सराहना तो होनी ही चाहिए। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी की मैं बहुत सराहना करूंगा।

कल लालू जी ने तकरीबन अपने आधे घंटे के वक्तव्य में अपना दर्द आपके सामने रखा था तथा कई दूसरे वक्ताओं ने भी रखा था। मुझे मालूम है कि पिछले 50-60 सालों के प्रयासों से तबदीली बहुत हुई

है, लेकिन आज भी हमारा कृषि वर्ग, ग्रामीण वर्ग कई बार अपने आपको असहाय महसूस करता है। हमें मालूम है कि हमारी कृषि मानसून पर आधारित है। 70 से 80 प्रतिशत पानी तीन महीने के अंदर आ जाता है, इस कारण दूसरे महीनों में दिक्कत आती है। जिस तरह से दुनिया के दूसरे देशों को निरंतर साल भर पानी मिलता है, उसका संरक्षण अच्छी तरह से वे कर पाते हैं। वे सब तर्क हैं लेकिन आज भी 9 प्रतिशत 7 प्रतिशत की ग्रोथ दर के बाद आज भी दुनिया की 5-6 सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाओं में से होने के बावजूद भी अगर 15-20-25-30 दिन हमारी बरसात पीछे हो जाती है तो हम हिलने लगते हैं। हमारी अर्थ-व्यवस्था में थोड़ा-बहुत कम्पन आने लगता है। इस बात पर जरूर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारे वित्त मंत्री जी उस समय भी शायद सरकार में थे, मुझे इस बात का पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन उस समय के बड़े अच्छे मंत्री रहे होंगे। सन् 1960 के दशक में भी ऐसी ही कुछ परिस्थितियां इस देश के सामने आई थीं। खाद्य के मामले में हम लोग दुनिया भर के सामने एक तरीके से घुटने टेक कर खड़े हो गये लेकिन तब की प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, उनके साथ सुब्रहमणियम साहब थे, उनके साथ एम.एस.स्वामीनाथन साहब थे, विशेषज्ञों का एक गुण था जिन्होंने यह संकल्प लिया कि उस देश को जिसको अमरीका की तरफ लालायित नजरों से देखना पड़ता है कि अगर आपके यहां से धान या आपके यहां से खाद्य पदार्थ आएगा तब हम अपने गरीबों को खाना दे पाएंगे। उस परिस्थिति से निपटने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे क्रांतिकारी कदम लिये, जिसे बाद में हरित क्रांति कहा गया। उसमें कुछ भी कमजोरियां या कमियां रही हों, वह अलग बात है लेकिन एक एमर्जेंसी के मैजर में और तीन या चार साल के अंदर इसी देश ने इसी देश की व्यवस्था ने, किसानों ने, वैज्ञानिकों ने, मजदूरों ने इस देश को एक फूड डैफिसिट स्टेट से तीन या चार साल के अंदर अगर फूड सरप्लस प्रदेश में बदला है तो क्या उस तरीके की पुन: व्यवस्था इस देश में कोई कर सकते हैं? इस बात का मुझे विश्वास है कि अगर हमारे पास इच्छा-शक्ति होगी तो दूसरी या तीसरी हरित क्रांति लाने में हमें समय नहीं लगेगा। प्रधान मंत्री जी ने कुछ समय से कहा है कि दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है। लेकिन मुझे थोड़े से अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि वह दूसरी हरित क्रांति हमें दिखती नहीं है। आज भी जहां तक इरीगेशन की बात है, 30 से 40 प्रतिशत के बीच इरीगेटेड लाइन पर अभी भी फंसे पड़े हैं। अभी भी जहां-जहां मुश्किल से दो फसलें होती हैं, वहां हम तीसरी फसल नहीं ला पा रहे हैं। जहां एक फसल होती है, वहां दूसरी फसल नहीं ला पा रहे हैं। आज भी फर्टिलाइजर, पेस्टीसाइड्, और एचवाईवी सीड्स के भीष्म जाल के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं। आज भी जबकि बार-बार उदाहरण दिया जाता है कि ऑरगेनिक फॉर्मिंग में भी वही जोर है, वही उत्पादकता है जो हमारी फर्टिलाइजर बेस्ड एग्रीकल्चर में होती है, हम उसकी तरफ बड़े रूप में नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा क्यों

है? इसी देश में जहां जगह-जगह हमारे विस्तार अधिकारी जा-जाकर हमारे एमएलएज, एमपीज जा-जाकर उस किसान को समझाते हैं कि आप फर्टिलाइजर, पेस्टीसाइड्स और एचवाईवी उन्नत सीड्स इस्तेमाल करिए और इस देश में तीन साल से क्रांति ला दी, क्या हम दोबारा ऐसा प्रभाव नहीं ला सकते? क्या अगर आज हमारी इंडस्ट्री जेगुआर खरीद सकती है और अगर आज हमारी इंडस्ट्री आर्सिलर खरीद सकती है तो क्या आज हमारा किसान अपने आप को दुनिया के सबसे अच्छे किसान के साथ सशक्त नहीं मान सकता? अभी शरद यादव जी ने या किसी ने यह मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी ने कहा था कि क्या वह भी समय कभी आएगा जब हमारा किसान भी इंकम टैक्स देने की डील पर होगा? क्या वह समय भी कभी आएगा जब हम जान पाएंगे कि सामान्य रूप से हमारा किसान भी डेढ़ से दो लाख रुपया प्रति साल कमा पाता है? इस दिशा में मेरा बहुत विनम्रता से निवेदन है कि वित्त मंत्री जी आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा।

तीसरी बात पर मैं आखिर में आता हूं। वित्त मंत्री जी ने दो-तीन बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। सबसे पहले प्रशासनिक सुधार की तरफ आकर्षित किया है। प्रशासनिक सुधार पर पिछले कई वर्षों से किसी भी सरकार ने सकारात्मक कदम नहीं रखे हैं। पहले पांचवां वेतन आयोग आया था, अब छठा वेतन आयोग आया है। हर बार सब व्यक्ति वेतन आयोगों पर पूरी तरह से चिल्लाते हैं कि यह देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए लेकिन उसके साथ-साथ जितनी भी गैर-वित्तीय बातें कही जाती हैं, प्रशासनिक सुधार, एकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की बातें कही जाती हैं, उस पर कभी भी कदम आगे नहीं बढ़ाया जाता है। मेरे से बहुत वरिष्ठ यहां सांसद बैठे हुए हैं। मुझे बताएं कि 5वें वित्त आयोग के बाद जब हमारे अधिकारियों की सैलरी बढ़ी थी, क्या फील्ड पर उनकी गुणवत्ता भी बढ़ी थी? शायद ही कोई होगा जो यह बात कहेगा कि बढ़ी थी। हम लोग तो फिर भी चाहे कितने भी अच्छे हों या खराब हों, हमें तो जनता हर पांच साल में बताती है कि हम कैसे हैं, नहीं अच्छे होते हैं तो घर बिठा देती है, कुछ काम किया होता है तो आशीर्वाद करके फिर यहां अपनी सेवा के लिए भेज देती है। लेकिन उन अधिकारियों का क्या है, जब भी आप किसी भी सांसद से या विधायक से कहेंगे, वह अपनी तरफ से कितना भी प्रयास कर ले, एक अधिकारी अगर किसी फाइल पर अटक जाता है तो पूरा का पूरा जिला लालायित होकर बैठा रहता है। हमारे कार्यक्रम नहीं बन पाते हैं, हम जो पैसा लगाना चाहते हैं, वह नहीं लगा पाते हैं। वहां कोई तो कदम आगे बढ़े। हमसे कहा जाता है कि हमारी एकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि होनी चाहिए। जितनी है, उससे भी आगे होनी चाहए। अगर हम एक साल में आज अपना इंकम टैक्स का बयान देते हैं, हम कहते हैं कि और करिए, हमारे पीछे सीबीआई लगा दीजिए। हम जनता की आस्था को यहां रखकर आते हैं, एक रुपये की भी गलती करने का हमारे पास अधिकार नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए कि जो

अगर 10 लाख करोड़ की आज वित्त मंत्री जी ने यहां वित्तीय व्यवस्था बनाई है, इस दस लाख करोड़ में से चार लाख करोड़ जो हमारा प्लान एक्सपेंडिचर है, उसे क्रियान्वित करने के लिए जो फौज खड़ी गई है, उसमें भी गुणवत्ता लाने की आवश्यकता है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में इकनॉमिक रैगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात कही है। मैं इस तरफ सदन का ध्यान सिर्फ दो मिनट की लिए दिलाना चाहूंगा क्योंकि यह बहुत आवश्यक बात है। आज हम हिन्दुस्तान में धीरे-धीरे कई सेवाएं प्राइवेट प्रणाली को दे रहे हैं। इसे दें, अगर राज्य सरकारों और सरकार को अलग-अलग लगता है कि वे हमारी सरकारी तंत्र से बेहतर काम कर सकती हैं, तो दें। लेकिन मैं दो चीजों के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं कि जब हम ये प्रणालियां प्राइवेट सैक्टर को देंगे तो जनता के हक का संरक्षण किस रूप में होगा? हमें इस बात पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। अगर हमारी बिजली व्यवस्था में वे बिजली वितरित करेंगे, अगर हमारी पानी व्यवस्था में वे पानी वितरित करेंगे तो हमारा संरक्षण कौन करेगा? अगर हमारे यहां किसी चीज की दिक्कत होती है तो सुबह छः बजे नागरिक हमारा दरवाजा खटखटा सकता है। वह विधायकों, मंत्रियों, कलक्टर और एसडीएम के पास जा सकता है। लेकिन अगर प्राइवेट प्रणाली अपना दरवाजा बंद करके टेलीफोन बंद कर देगी तो नागरिक किसके पास जाएगा? आज ममता जी इस हक से कह सकती हैं कि मैं सोशल एकाउंटिबिलिटी को इकनामी से ज्यादा बेहतर मानती हूं लेकिन कोई प्राइवेट सैक्टर का आदमी यह वाक्य नहीं कहेगा, न कहे। लेकिन तब हमारी सोशल वाएबिलिटी कौन देखेगा? जब हम रैगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं, तब उसे ऐसे सशक्त बनाएं कि अगर कोई चीज प्राइवेटाइज होती है तो हमारा नागरिक समझे कि हमारे इन्ट्रस्ट का संरक्षण पूर्ण रूप से हो रहा है।

महोदया, अब मैं आखिरी बात कहूंगा। जब हम कई बार चीजों को प्राइवेटाइज करते हैं तब हम देखते हैं इसमें चेंज आ जाता है और वही चीज बेहतर रूप से काम करने लगती है। ऐसा क्यों है? हमें इसके पीछे कहीं न कहीं, कुछ न कुछ तो देखना पड़ेगा। वही व्यक्ति जब प्राइवेट सैक्टर में चला जाता है तो गुणवत्ता बढ़ा देता है और जब इस तरफ रहता है गुणवत्ता नहीं दिखा पाता है। यही बात दिल्ली एयरपोर्ट की है जब यह दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंडर था तब ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन से एयरपोर्ट में आ गए हैं, कौन से जहाज में बैठेंगे। लेकिन जब यह प्राइवेटाइज हुआ तब बेहतर सुविधाएं दिखने लगी। इसका मतलब है कि यह सिर्फ प्राइवेटाइज का असर नहीं है, हमारी प्रणालियां सरकार में ही कहीं ऐसी हैं। हमें अपने अधिकारियों को सशक्त करना पड़ेगा ताकि जो गुणवत्ता वे प्राइवेट सैक्टर में रहकर दे सकते हैं वह सरकार के अंडर रहकर भी दें। मैं इस बात को नहीं मानता कि केवल प्राइवेटाइज करने से ही बेहतर गुणवत्ता दे पाएंगे। आप इस बारे में भी थोड़ा विचार करें ताकि वे अधिकारी, जो पब्लिक सैक्टर में अच्छा काम करते हैं, वे भी इसी तरह की गुणवत्ता नागरिकों को दे सकें। अगर हम 51 परसेंट से 49 परसेंट

सरकार की शेयर होल्डिंग बदल देते हैं तो वह व्यवस्था या संस्था बेहतर काम करने लगती है। अगर दो परसेंट के बदलाव से इतना बदलाव आ सकता है तो क्या हम अपनी प्रणालियां नहीं बदल सकते ताकि हम पब्लिक सैक्टर को पब्लिक सैक्टर रखकर अपने नागरिकों को वे सब सुविधाएं दे सकें जो एक सशक्त और शक्तिशाली हिन्दुस्तान को अपने नागरिकों को देनी चाहिए।

मैं इन बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं वित्त मंत्री जी की बहुत सराहना करता हूं और इस बजट का पूरा समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, the Budget is, on one side, too ambitious; on the other side, it is too nominal. The Budget of 2009-10, I concede, has the largest ever outlay of nearly ten lakh crores of rupees, and naturally the credit goes to the present Finance Minister, I admit. But in my humble opinion, it is too inadequate to meet the challenge of economic recession, increasing slowdown, rising job loss, decline in the purchasing power, rising consumer price inflation, and gross agricultural crisis. In this background, therefore, Madam, I feel that the Budget, on one side, is too ambitious; on the other side, it is inconsequential. The 12-million jobs creation promise, I do not think can be realized considering the present economic scenario of the country. The agricultural growth reaching four per cent is unlikely. GDP rise to nine per cent may not be realized.

Madam, for the first time, in free India, political donation has been made tax exempt in the name of the phraseology 'transparency'. But, I have an apprehension. I firmly believe that this is going to pollute the political environment and make the democratic system subservient to the corporate world because there will always be a demand for pound of flesh in exchange of that which is given to the political parties. It is natural in the society and the political system that we are living in.

Madam, in my opinion, the tax system has again been proved to be regressive. The withdrawal of surcharge will benefit those who are comparatively affluent than the others. The most interesting fact is that the direct tax will not yield any additional revenue. The direct tax is not going to yield additional revenue whereas indirect tax is going to generate additionally Rs.2000 crore.

Going through the Budget, it appears that there is a possibility of de-regulating the pricing of petroleum products. If the regulation is done, it may lead to speculation as we have seen in this country and it will lead to further increase in an unregulated system. The withdrawal of the tax on commodity transaction, I deeply apprehend, will increase the price of essential goods and commodities. It

will spur inflation and it will escalate unproductive, uneconomic speculation in the country. We have seen the way in which the transactions in goods and commodities lead to hoarding and manipulating the market. I am sorry to say that in the Budget, the hon. Minister of Finance has not taken into consideration the impending threat of drought throughout the country arising out of the shortfall of rainfall and its probable impact on the price of essential goods and commodities particularly food grains. I have never heard about this throughout the speech. If I am wrong, I may be corrected. The Finance Minister is one of the senior most politicians of the country and he had not taken note of inadequate rainfall in the country and its likely imprint and impact on the price level of the food grains. It is a serious omission and I feel that the Government will come to this House with a contingency plan to take care of the drought, the impending danger of the drought.

If you permit me to say, irregularity in the supply of power or serious gap in the generation and supply has led further to obstructing the artificial irrigation in the country. On the one hand, there is less rainfall and on the other, there is serious power cut. What we have seen in Delhi is power cut for 12 hours in a location which is away from the VIP area. We are the privileged few who enjoy the fruit of power. This is the result of the privatisation that this Government has been carrying forward for so many years.

Madam, there is a gap in the Budget. There is 4.6 per cent revenue deficit and 6.2 per cent fiscal deficit. Therefore, there is a dreadful possibility of reckless disinvestment for raising additional revenue.

The Economic Survey says that nearly Rs.25,000 crore may be raised by sale of shares. It is a sale of family silver to meet the grocer's bill. It is uneconomic, unethical, not equitable and, therefore, it is an act of injustice. Seen in the background of the Economic Survey there is talk of labour reforms, the pet subject of the Government. There is talk of increasing weekly work hours from 48 to 60. There is talk of liberalisation of laws to empower the corporate lords to reduce the manpower as they wish and also to employ contract labour at a

minimum cost. What is the social significance of all this? In a situation of joblessness, in a situation of decline of purchasing power of the people, the free hand that is sought to be given to the captains of industry will further compound the social contradictions.

In the background of the decline of GDP, in the background of fall in agricultural production to 1.2 per cent, in the background of the index of industrial production coming down to 2.4, in the background of deceleration affecting manufacturing, electricity and construction sectors along with the fall in exports and contraction of the domestic purchasing power, it is unlikely that the budget presented by hon. Pranab Mukherjee will show any ray of light. He has been too timid. He should have been aggressive in his allocation. If he had a perspective, it has no proper direction. If his allocation has been large, I would concede. There has been minimality in the provision of outlay.

Madam, the budget speaks of food security. It is a good move, if it is done. While it speaks of supply of 25 kilograms of rice and wheat at Rs.3 a kilogram to the people below the poverty line, the question arises as to what is the poverty line. What is the poverty line? According to Planning Commission it is 28 per cent. According to a Committee set up by the Ministry of Rural Development the poverty is nearly 50 per cent. There is another report of Sengupta Commission which says 77 per cent of the people in the country are living below the consumption level of Rs.20 per day. It is good that you have decided to supply 25 kilograms of rice and wheat. But to whom? What is the line? What is the minimum? How do you decide? That remains a question. In order to make the scheme fruitful we must identify the total quantity and quantum that is needed.

Madam, crisis in agriculture has intensified. Private capital formation has declined. Productivity has not improved. Employment generation has decelerated. Therefore, in my humble view, the guaranteed supply of credit of Rs.38,000, that too at an interest of seven per cent, is not going to bring the dividend that is necessary.

Madam, only Rs.1,000 has been allotted for Accelerated Irrigation Scheme. Only a little more than Rs.2,000 crore has been allotted for the Accelerated Power Generation.

13.00 hrs.

Is it that amount which can bring about necessary change to retrieve the agriculture, which is in the grip of deepening crisis? The Government says, it has the policy of *aam aadmi* - whether I agree or disagree is not the question.

MADAM SPEAKER: Please conclude. We have to break for lunch.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Yes, Madam. I would take just two minutes.

After Sachar Committee, the Government had allotted only Rs.780 crore additionally. Is that amount sufficient? Does it do justification to the findings of the Sachar Committee? You have tears for the Scheduled Castes. I agree. But are the tears genuine or synthetic because you are allocating only Rs.100 crore as a pilot project? Something more should have been done considering that this section of the community has been denied the benefit of economic development for so many years. Madam, therefore, I feel that this Budget will not do justice, social or economic.

I feel the parliamentary control over Government expenditure is shockingly becoming insignificant. How? We pass a Budget, Budgeted Estimates; then, we go to the Revised Estimates. Then, we find the Actuals. And there is always a divergence. Divergence is never explained. Therefore, I feel genuinely that the parliamentary control over the spending of Government funds is becoming shockingly insignificant.

Lastly, I come to inflation. Today newspapers carried a news – inflation has become more negative. But will the Pranab *Babu* take the trouble of visiting `Mother Dairy' outlets and find out the price at which tomato is being sold, potato is being sold; fish is being sold, which are the daily necessities? On the one hand, the Government is in glee that inflation has become negative, and on the other

hand, people are grievously hurt of the abnormal increase in the price of essential goods and commodities.

MADAM SPEAKER: You must conclude now.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: This is not a paradox; it is a statistical jugglery. If this statistical jugglery becomes a yardstick in formulating the policy of the Government, we shall land the Government in a mess. I would like the Government to respond to the question of abnormal increase in the Consumer Price Index of the country, and take immediate corrective measures as soon as possible.

MADAM SPEAKER: Thank you so much.

Now, the House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

13.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned
for Lunch till Fourteen of the Clock.

14.04 hrs.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Four Minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): कोरम जुटाने का आपका काम है और हम जुटा रहे हैं।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): हम दोनों का काम है। ...(व्यवधान)

GENERAL BUDGET-2009-2010 - GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR EXCESS GRANTS – (GENERAL)-2006-07 – Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up Item Nos. 17 and 18.

Shri N. Kristappa.

*SHRI N. KRISTAPPA (HINDUPUR): Hon. Deputy Speaker Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on General Budget. In the name of agricultural development subsidy on interest rates has been announced in this Budget. Earlier, when the interest rate was 7%, farmers who repay their loans on time were given a subsidy of 1% on interest rate. While we are facing food crisis on one hand and spiraling prices of food commodities on other hand, in these circumstances, simply giving subsidy of 1% on interest rates would not help the farming community. If the intention of the government is to give more benefits our farmers, then, 1% of subsidy on interest rates would not justify the intention.

---

*English Translation of the Speech originally delivered in Telugu.

Andhra Pradesh is the second largest producer of groundnuts, next to Gujarat. There was a crop yield of 1225 kg per acre, two years ago. But, now it drastically fell to 67 kg per acre. If farmers could not repay their loans on time due to natural calamities or inadequate rainfall or crop diseases, then, they won't be in a position to claim even this 1% subsidy on interest. Is this the subsidy you give to them in your Budget? Sir, in this context, I request the government to kindly review this budget. This subsidy is perhaps to benefit the banking sector so that they get their repayments in time and it does not help farmers in any manner.

Earlier, this government announced a waiver of agricultural loans to the tune of Rs.70,000 crores. It is not known who got those benefits. Whether the benefit of loan waiver has gone to real farmer or to those persons who took loans in the name of farmers is not known. When farmers were expecting announcement on loan waiver in this budget, the 1% subsidy on the interest rate seems to benefit only banking sector. I request the government to ponder, whether 1% subsidy will do any good to farmers. And, I feel that this measure does not help farming community. This government introduced Employment Guarantee Scheme (NREGA). Hon. Prime Minister Manmohan Singh and Smt. Sonia Gandhi introduced this scheme with lot of pomp in my district. This scheme is very much beneficial to farmers and daily labourers. This is a good scheme if implemented properly. But there is no proper implementation of this scheme and for the last five years, we voiced our concern over proper implementation of this scheme. The fruits of this scheme are not reaching the real beneficiaries. Due to rampant corruption in the implementation of the scheme, middlemen are coming between these benefits and labourers. Even 10-15% of the funds are not reaching the poor. You brought this scheme for the livelihood of poor people, but it emerged as a scheme for livelihood of political leaders. And this scheme is in no way beneficial to poor people and farmers. I request the government to check middle men and corruption in this scheme, so that the benefits reach the poor labourers. Similarly, if you look at Indira Awaas Yojana, which is allocated with

some more funds in this budget, is being implemented in Andhra Pradesh by linking it with other Housing Schemes. By taking every village as a unit, all villages will be covered under various phases, for the implementation of this scheme. In reality, poor people are not the beneficiaries of this scheme. Only followers of local leaders are getting benefits under this Housing Scheme. When a village is taken up as a unit, why all the beneficiaries are not provided with housing? This government is responsible and it should reply to this question. When we enquire with district collectors, they say that there are some leftovers and those proposals will be sent to the government. When a village is taken as a unit, why the government could not provide this scheme to all beneficiaries and why this scheme is not being completed on time? The government should look into these aspects. There are large number of weavers in Andhra Pradesh compared to West Bengal and Tamil Nadu. In Andhra Pradesh, around 600 weavers committed suicides in the last 5 years. When such a large number of weavers commit suicides, there is a need to provide for handloom mega cluster. Whether this government proposes any such plan to the weaving community? While weavers are committing suicides and handloom sector is in crisis, onus is on this government to protect these weavers and save the handloom sector from ongoing crisis. I would like to know whether this government is thinking on these lines? No steps are being taken to save the weaver community from this crisis in Andhra Pradesh. Recently, Smt. Panabaka Lakshmi, who is MoS Textiles told me that she talked to the Prime Minister and requested him to waive off loans of weavers, to which he responded positively. And she made an announcement to this effect that there will be loan waiver package for weavers. But in this budget I don't find any mention of it. I don't know what she had explained to the Prime Minister. Weavers were expecting some relief. One more minute sir, I will conclude. I demand that there should be a relief package to weavers and their loans should be waived off. In Andhra Pradesh, we have reserves of natural gas in Krishna-Godavari Basin. There used to be tax exemption on LNG gas produced

from mineral oil, which was done away with recently. Due to which common people who are using LNG gas will have to bear additional burden. I request that the earlier tax exemption may be continued with. With these words, I conclude.

उपाध्यक्ष महोदय: जो भी माननीय सदस्य लिखित भाषण देना चाहते हैं, वह अपना भाषण सभा पटल पर ले कर सकते हैं।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सन् 2009-10 के आम बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका ह्रदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने सन् 2009-10 के बजट को प्रस्तुत किया है। मंत्री जी ने इस बजट में अपनी बहुत ही बारीकियों का परिचय देते हुए बजट पेश किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत ही बारीकी से बजट पेश किया है। एक तरफ तो वित्त मंत्री जी ने रक्षा विभाग का बजट बढ़ाया है। देश की सुरक्षा के लिए यह जरूरी भी है। वे जितने और दूसरे कार्यक्रम लेकर आए हैं, उनसे लगता है कि देश के विकास की दर और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। आजादी के बाद से अब तक, हमें समझ में नहीं आया कि जो भी सरकारें आती हैं, वे अपने बजट को पेश करती हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं को लाती हैं, लेकिन आजादी के बाद से आज तक गरीबी दूर करने का जो नारा दिया गया, वह गरीबी अभी तक दूर नहीं हो पाई है। कांग्रेस पार्टी की उस समय की प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पहली बार वर्ष 1970-71 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था और उसके बाद बार-बार उस नारे का उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन अभी तक गरीबी दूर नहीं हुई है।

महोदय, आजादी के बाद देश के लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम बने। बैंको का राष्ट्रीयकरण हुआ और बहुत सारी ऐसी योजनाएं आईं जिनसे देश की गरीबी मिटाने का प्रयास किया गया। आज भी बहुत सी योजनाएं, वित्त मंत्री जी लेकर आए हैं, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश का विकास तभी होगा और आर्थिक मजबूती तभी आएगी, जब गांव, गरीब किसान की मजबूती और खेती की मजबूती के ऊपर ध्यान देकर हम मजबूत करेंगे और तभी निश्चित तौर से यह देश मजबूत होगा।

महोदय, हमने बजट में जो प्रावधान किया है, उसके बावजूद आज भी हम किसानों को अल्पकाल के लिए 7 परसेंट ब्याज पर लोन देते हैं। आज किसानों को खेती का कार्य करने के लिए ट्रैक्टर और अन्य बड़े-बड़े कृषि यंत्र खरीदने की जरूरत है, लेकिन उसे केवल 3 लाख रुपए तक का ही लोन दिया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि 3 लाख रुपए में वह कौन सा ट्रैक्टर और कौन सी मशीन खरीदेगा। दुनिया के दूसरे देश किसानों को 4 परसेंट ब्याज पर लम्बी अवधि के ऋण दे रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसानों की भलाई की बात आप कर रहे हैं, तो जो 7 परसेंट पर आप लोन दे रहे हैं, उसे 4 परसेंट करिए। आपने बड़े पैमाने पर किसानों का ऋण माफ किया। मैं वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना

चाहता हूं कि किसानों का ऋण माफ हुआ, लेकिन उनकी जेब गरम नहीं हुई, क्योंकि उनके ऊपर जो ऋण था, वह तो बैंकों का था और आपने उनका जो ऋण माफ किया, वह धन बैंकों को चला गया, किसान को कुछ नहीं मिला। उनके लिए जिन यंत्रों पर छूट दी गई थी, उसमें भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। मैं चाहूंगा कि किसानों की जो कर्ज माफी योजना है, उसके अन्तर्गत सीधे किसानों को लाभ मिले, ऐसे कार्यक्रम और ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि बिना खेती को मजबूत बनाए, हम कोई कार्यक्रम सफलता पूर्वक नहीं कर पाएंगे।

महोदय, आपका नरेगा का कार्यक्रम है, जिसमें हम मजदूर तबके के लोगों को, जो हाथ से काम कर रहे हैं, उन्हें रोजगार देने की गारंटी देते हैं, लेकिन उसका व्यावहारिक पहलू क्या है, उसे भी देखिए। उसी गांव में, उसी शहर के आसपास गरीब तबके का कारीगर, कामगार, कुम्हार, जो बढ़ई का काम करने वाला खाती और जो लोग दूसरे छोटे-छोटे कार्य मशीनों से करते हैं, उनके रोजगार के लिए हमने कोई योजना इसमें नहीं बनाई है। मैं चाहूंगा कि नरेगा पर व्यापक रूप में विचार करें और उसके कार्यक्रम में इन सभी लोगों को अवसर दिया जाए। नरेगा में आपने बहुत ज्यादा पैसा दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस सरकार ने अच्छा कार्यक्रम दिया है। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सिंचाई के लिए जो परियोजनाएं बननी चाहिए, जिससे खेतों में ठीक प्रकार से सिंचाई हो सके। इसके लिए जिस प्रकार की प्लानिंग की जरूरत है, वह अभी तक नहीं बनी है। मैं यदि गुजरात की बात कहूं, तो मुझे बी.जे.पी. का समर्थक नहीं माना जाना चाहिए। मैं वहां की बी.जे.पी. सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्तापक्ष के लोगों का ध्यान गुजरात की तरफ आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि गुजरात में दलगत भावनाओं से ऊपर उठ कर के एक-एक बूंद पानी का सदुपयोग किया गया है। वहां बिजली अच्छी मात्रा में मिल जाती है। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो उपजाऊ भूमि है, जो अच्छी भूमि है, जहां पानी बहुत है, लेकिन हम उस भूमि की सिंचाई का इंतजाम आजादी के इतने वर्षों के बाद, आज तक भी नहीं कर पाए हैं। वहां सूखा पड़ा हुआ है। वहां परेशानियां बढ़ रही हैं। अगर हम वहां के लिए बढ़िया योजनाएं बनाते, तो आज वे परेशानियां नहीं आतीं। ...(व्यवधान) गुजरात में भले ही किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन वहां अच्छा काम हो रहा है। आप की भी सरकार रही है। उसमें भी अच्छे काम हुए हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री रामकिशुन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे बीच में टोक कर, मेरे समय को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि जितना मेरा समय माननीय सदस्य नष्ट करें, उतना समय मुझे बोलने के लिए और दिया जाए।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने गुजरात का नाम इसलिए लिया, क्योंकि मैं गुजरात गया था और मैंने वहां किसानों को देखा है और वहां पानी का इंतजाम देखा है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया चेयर को सम्बोधित कर के बोलिए। उधर मत देखिए और उनकी बातों का उत्तर मत दीजिए। आप अपनी बात बोलिए और चेयर की ओर देखकर बोलिए।

श्री रामकिशुन : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में भले ही किसी भी दल की सरकार हो। मैं सरकार के बारे में नहीं, बल्कि वहां के किसानों की खेती के लिए जिस प्रकार से सिंचाई की व्यवस्था की गई है, उसके बारे में बता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में दंगा भी हुआ था। मानवता का, दरिद्रता का नंगा तांडव हुआ था। जब यह हुआ था, तब किस की सरकार थी। आपकी नहीं थी।

महोदय, उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि पानी की त्वरित सिंचाई की जो योजनाएं आप लाए हैं, उन्हें जरा बेहतर बनाइए। हमारे गांव का बरसात का पानी बेकार बह जाता है। हमारी जो नहरें जर्जर हैं, जो हमारी लिफ्ट कैनाल कच्ची और कमजोर हैं, उन्हें हम ठीक करें, उनके एक-एक बूंद पानी को हम किसानों के खेतों तक पहुंचा दें, ऐसी व्यवस्था करें। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं, उस क्षेत्र चन्दौली का इलाका आदिवासी और गरीब तबके का इलाका है। वहां एशिया की सबसे बड़ी पम्प कैनाल भोपौली पम्प कैनाल और नारायणपुर पम्प कैनाल हैं, लेकिन बिजली न मिलने से वहां की नहरों का ठीक प्रकार से इंतजाम नहीं हो पा रहा है और उनका सारा पानी बहकर गड़ई नदी में चला जाता है और वहां से गंगा में जाता है। मैं आपसे दो मिनट बोलने के लिए समय और चाहूंगा।

महोदय, शिक्षा के बारे में आप कहते हैं कि हम अनिवार्य और समान शिक्षा लाना चाहते हैं। यह अच्छा बिल है। इसे आप लाइए। हम इसका स्वागत करते हैं। आप अनिवार्य शिक्षा अवश्य कीजिए। अनिवार्य शिक्षा में कलैक्टर का बेटा और एम.पी. का बेटा, उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ें, जिसमें गरीब का बेटा पढ़ता है। जिस मिडिल और इंटरमीडिएट स्कूल में एक गरीब का, चपरासी का बेटा पढ़ता है, उसी में कलैक्टर का और एम.पी. का बेटा भी पढ़े। अगर आप इस तरह की शिक्षा व्यवस्था करते हैं, तो देश की गरीबी को मिटाने का काम करेंगे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज कुपोषण के कारण गरीब और दलितों के बच्चों को गम्भीर बीमारियां हो रही हैं। आप उन्हें पौष्टिक आहार नहीं दे पाए। हमें इस संबंध में विश्व बैंक से बहुत पैसा मिला है। आपने इस हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनेक योजनाएं बनाईं। आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यहां चला रहे हैं, लेकिन आज भी गरीबों के बच्चे कुपोषण के चलते कमजोर और विकलांग पैदा हो रहे हैं। हमारे आदिवासी इलाकों में गर्भवती महिलाएं बच्चे के जन्म के समय ही दम तोड़ देती हैं। आप कहां और किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री रामकिशुन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों में आप अच्छे प्रकार के अस्पताल बनाइए। प्राइवेट सैक्टर की बात यहां कई माननीय सदस्यों ने कही। दीक्षित जी ने ठीक ही कहा था। मैं भी कहना चाहता हूं कि आपके जो सरकारी संसाधन हैं, जो सार्वजनिक संसाधन हैं, अगर उन पर आपका वित्तीय नियंत्रण हो, तो आप ठीक प्रकार से काम कर सकते हैं, लेकिन आपका उनके ऊपर नियंत्रण नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री रामकिशुन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। वित्तीय नियंत्रण नहीं है। आपने नरेगा में पैसा दिया, लेकिन वह गरीब के पास नहीं गया। श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम अगर केन्द्र की ओर से एक रुपया देते हैं, तो उसमें से 10 पैसे भी गरीब के पास नहीं पहुंचते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी भी इसी बात को कहते हैं कि हमारा पैसा गरीब के पास नहीं जाता है। अफसरशाही और दलाल किस्म के जो लोग हैं, वे इस पैसे की बंदरबांट कर लेते हैं। हमारी आंगनवाड़ी जैसी संस्थाएं हैं। उन्हें भी आप मजबूत कीजिए और उनकी विसंगतियों को दूर कर के आप एक अच्छा कार्यक्रम बनाइए। आपने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है, लेकिन आपने इन्कम टैक्स में उन्हें क्या लाभ दिया, मात्र 1000-1200 रुपए का लाभ मिला है। राज्य कर्मचारियों की स्थिति ठीक नहीं होगी, तो निश्चित रूप से उनकी कार्य-क्षमता घटेगी। मैं चाहता हूं कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद उन्हें इन्कम टैक्स में जो छूट और सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं, वे नहीं मिली हैं। इन्कम छूट में उन्हें कुछ लाभ दीजिए, ताकि उनकी कार्य-क्षमता बढ़े। ढाई लाख रुपए या उससे ऊपर उनकी आमदनी की छूट की सीमा रखिए। इस बारे में परीक्षण करा लें और इस काम को करें।

महोदय, अन्त में, मैं अपनी एक-दो बातें कह कर, अपना भाषण समाप्त करूंगा। वाराणसी और चन्दौली, जो सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी है, जो पूर्वान्चल की हृदयस्थली है, मैं उस क्षेत्र के विकास के लिए वित्त मंत्री जी और इस सरकार से कहूंगा कि वहां पर्यटकों की बहुत जरूरत है। वहां सिंचाई की जरूरत है। वहां ऐसे बहुत से विदेशी पर्यटक आते हैं। गांगा को आपने राष्ट्रीय नदी घोषित किया, लेकिन वहां गंगा आज बहुत प्रदूषित है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, धन्यवाद। आप बैठ जाइए। अब आपका भाषण रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है। आप यदि कुछ और कहना चाहते हैं, तो सदन के पटल पर लिखित में दे दीजिए, वह आपके भाषण का हिस्सा मान लिया जाएगा।

*(Interruptions) … **

---

* Not recorded.

***श्री प्रेमदास (इटावा):** मैं वित्त बजट पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराता हूँ। मैंने आपका बजट भाषण बहुत ध्यान से पढ़ा और समझा आपने किसानों के लिए गाँवों के लिए उतना अच्छा जनहित में बजट नहीं दिया है जो होना चाहिए आज पूरे देश एवं खास कर उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है। इस सूखे से निपटने के लिए कोई खास उपाय इस बजट में नहीं किया गया है जबकि किसानों की स्थिति ठीक नहीं है। इस सूखे से किसान और बदहाल हो जाएगा। महोदय, मैं एक और समस्या की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। इस समय डीजल तथा पेट्रोल के दाम बढ़ाने की आवश्यता नहीं थी परन्तु सरकार द्वारा किसानों की स्थिति तथा सूखे की स्थिति का सही आकलन न करते हुए दोनों पेट्रो पदार्थों के दाम बढ़ा दिए है जिससे किसान और बदहाल हो जाएगा। यदि सूखें से निपटने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तथा बजट में प्रावधान नहीं किया गया तो स्थिति अत्यंत भयंकर हो जाएगी।

मैं माननीय मंत्री जी के सामने एक सुझाव रखना चाहता हूं। अगर इस सुझाव पर अमल किया गया तो काफी हद तक किसानों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। प्रत्येक नदीयों का पानी 50-50 किलो मीटर की दूरी पर पानी रोक-रोक कर निकाला जाए, जिससे जल स्तर के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाए। इससे काफी हद तक सूखे की स्थिति से निपटा जा सकता है तथा सभी क्षेत्रों को बराबर पानी का उपयोग करने का मौका मिलेगा।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान राष्ट्रीय रोजगार योजना के अंतर्गत आने वाली समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस योजना को चालू करने का उदेश्य बहुत अच्छा था परन्तु भ्रष्ट अधिकारियों के कारण इस पर सही से अमल नहीं किया जा रहा है यह स्थिति विशेषकर उत्तर प्रदेश में है जिसके कारण जरूरतमंद लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो धनराशि जारी की जा रही है उसका राज्य सरकार द्वारा सही प्रयोग नहीं किया जा रहा है इसमें भेदभाव बरता जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो यह योजना जिस उदेश्य के लिए बनी उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।

अंत में मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस योजना के लिए धनराशि का पूरा प्रबंध किया है। यदि इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मैं चाहता हूं कि इसके लिए केंद्र स्तर पर एक निगरानी तंत्र की स्थापना की जाए जिससे केंद्र द्वारा आबंटित धनराशि का राज्य सरकारें दुरूपयोग न कर सकें। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं तथा आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे द्वारा दिए गए सुझावों का बजट में प्रावधान करेंगे।

---

* Speech was laid on the Table

SHRI RAJEN GOHAIN (NAWGONG): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you. I rise to speak on the General Budget. I come from a State and a region which is facing turmoil due to decades of insurgency which has virtually created lots of damage to the economic development. The root cause of this insurgency has been the economic disparity, besides other reasons. Therefore, one of the major ways to bring an end to this insurgency activity is to develop the State in all fronts and create job opportunities for the unemployed youths. I feel sad to say that this Budget has not come out with any solution towards the agony of the people of Assam. Since Independence Assam has been neglected except during the NDA Government under the leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee, when the Central Government started thinking for the welfare of the North-Eastern region. But today I am sorry to say that, though we are proud to have the hon. Prime Minister from my State, nothing remarkable is done for the upliftment of the State or towards solving the problem of insurgency or the infiltration problem.

The demography of the State of Assam has changed and the fate of people of Assam is in the hands of illegal Bangladeshi migrants. The issue of illegal Bangladeshi migrants is also a stumbling block in the economic development. Since they managed to get their names enrolled in the voters list and finally manipulate to get their citizenship, they eat into our Budget. These migrants are a threat to the national security. It is necessary that the entire border fencing with Bangladesh be completed on a war-footing. But any such thing is not mentioned in the General Budget.

In Assam, flood is a perennial problem. Every year there is a tremendous loss of life and property. Kilometres after kilometres of land gets eroded due to floods in the river Brahmaputra and its tributaries. About 60 square kms. of land was washed away from the Kaziranga National Park, which has reduced the habitable area of wild life, especially the one-horned rhino. Important townships like Dibrugarh have lost major areas. Districts of Moregaon, Dibrugarh, Jorhat,

Lakhimpur, etc. stand threatened. Even the State Capital, Guwahati, is facing the great problem of erosion. A major road on the river bank was washed away. But the Government has not considered it seriously. The Central Government should announce a package of at least Rs. 10,000 to Rs. 15,000 crore to systematically and scientifically control the erosion in a time-bound and phased manner.

The climate change has an effect in the North-Eastern region too. Due to late monsoon, there is a drought like situation in many areas, which has badly affected the farmers. The farm loan waiver has not benefited the farmers of Assam much. Emphasis should be laid on better irrigation system. The food subsidy bill has been rising year after year. But it has not brought much relief to the BPL families in my State. There is still dearth of food for poor people. It is a matter of worry that children go to bed without having food.

Malnutrition has remained high and is currently affecting 45.9 per cent of children below the age of three. The hon. Finance Minister has mentioned that the National Food Security Act would be brought, which will benefit every family living below the poverty line. It is a positive step. But it should ensure that no discrimination is done amongst the BPL families due to political reasons.

Since, in my State, the benefits for the BPL families are provided on the basis of which political party he or she belongs to, this attitude has deprived lakhs of innocent poor families, poor people of enlisting themselves in the list of BPL. Therefore, a judicious system has to be developed to enlist all the poor people as belonging to BPL without any sort of a discrimination.

Sir, I am happy to say that the allocation under the National Rural Employment Guarantee Scheme is increased by 144 per cent. The proposed allocation is Rs. 39,100 crore. To increase the productivity of assets and resources under NREGA, convergence with other schemes relating to agriculture etc. is being initiated. In the first stage, 115 pilot districts have been selected for such convergence. Now, I would like to put forward my demand to include as many districts of Assam for convergence as possible. I would also like to say that fool-

proof mechanisms should be adopted in the disbursement of funds under such schemes since there is ample scope of misappropriation of funds under such schemes.

Recently, on 17th June, 2009, thousands of farmers in the district of Nowgong took to the streets to highlight the plight of misappropriation of funds under NREGA. I am happy to say that Shri Atal Bihari Vajpayee's dream project, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana has seen an increased allocation of 59 per cent by the hon. Finance Minister. But it has been noticed that during the last five years, the quality of construction of such roads has deteriorated and a newly constructed road gets damaged in a short span of six months. The contractor responsible for the construction of such a road should give guarantee for the road built for five years and should maintain it accordingly. For this, security money should be kept with the Department for maintenance as the case used to be earlier.

I would like to conclude by saying that the so-called inclusive growth and equitable development Budget of the UPA Government has only excluded the far North-East India and has deprived its people.

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): Respected Mr. Deputy-Speaker, Sir, first of all, I would like to thank you very much for giving me the opportunity to express my humble views on this Budget. I stand before this august House to speak on the General Budget.

Sir, from yesterday onwards, I have been closely following the speeches which, especially were attacking the Budget provisions. I scrutinized each and every sentence of the hon. Members who were speaking against the Budget and I am of the humble opinion that anybody who follows that will reach the irresistible conclusion that this Budget is excellent and unique in all respects. When growth and fiscal responsibility move in divergent directions, opposite direction, the job of the Finance Minister is very difficult, especially to present a Budget. Shri Pranab Mukherjee, our hon. Finance Minister, has presented the best possible Budget in the worst global economic situation. I have been following the speeches. Everybody is speaking inside the House and outside the House also about the *aam aadmi* or the poor people and inclusive growth. This is not a new phenomenon. According to me, the great visionary Pandit Jawaharlal Nehru, the builder of modern India, should be called the father of inclusive growth. He had two options: either to catch hold of the Stalinistic Communist mode of economic planning or the capitalist way. But then he thought of the mixed economy. He saw the poorest of the poor in India and so he brought into existence the mixed economy. It was he who started the foundation of inclusive growth. That was built upon by Shrimati Indira Gandhi, Shri Rajiv Gandhi. And, no doubt, now under the able, scientific leadership of Dr. Manmohan Singh, under the able political leadership of Shrimati Sonia Gandhi and under such a great brain like Shri Pranab Mukherjee, this net of inclusive growth has widened.

Even the World Health Organisation and every section of the society are applauding this Budget. This forenoon, I heard the Communist leader speaking that we are very poor. We should see the growth of India. Pranabji was telling about the first Budget. On 26th November, 1947, Shri Shanmugam Chetty presented the first Budget for about Rs. 193 crore. Now it has come to Rs. One million crore. In 1951, our foreign exchange reserves of India were below Rs. 1,000 crore. Now it has grown upto Rs. 12 lakh crore. How has this happened?

When the world economy was reeling under pressure and was coming down, the greatest economic countries were trembling under the global recession, but India pulled on. How has it happened? It is because we went to the *Aam Aadmi*, we went for inclusive growth, we saw the plight of the people and the stimulus package announced in 2008-09 which amounts to Rs. 1,86,000 crore has boosted our economy. Our economy can withstand any kind of pressure. Now the world is telling that there are two economies that are going to conquer the world and they are China and India.

Some of my friends who have gone to China tell us, "Look, what a great country. China is progressing like anything, but India is not progressing so much." According to me, the humble progress of India is greater than that of China because in China nobody can think aloud. China's progress is under the barrel of the gun. Nobody can think there and nobody can express his opinion. That is China. But China is also reeling under pressure now. China is also suffering from the global recession.

My friend in the CPI (M) circle was telling that in India we are losing jobs. Yes, a few lakh jobs have been lost. But what about China? *News from China* is a magazine published by the Chinese Embassy. It is an official organ of the Chinese Embassy in India. In the February Edition of *News from China*, it is said:

> "Up to now in China alone at least 20 million migration workers have lost their jobs. The crisis is real, deep, dire and devastating. The pain and suffering are acute and may be protracted. Without a doubt, it is a killer crisis of unprecedented proportions."

Sir, two crore workers have lost their jobs in China. This is what China is undergoing now and we have withstood this crisis. We have achieved 6.7 per cent growth. In spite of all the havocs playing in the global economic field, India has grown to such an extent. As I told you, the stimulus package to the tune of Rs. 1,86,000 crore was announced about 140 days ago. Now we have attained this growth of 6.7 growth even when 60 billion dollars of foreign money has been flowed away from this country. Even then India is standing. You see the progress. Yet some people say that we are poor. Take the NREGP, the farmers' loan waiver scheme etc., no Government in the world can do it. Our Government announced a loan relief of Rs. 71,000 crore to our farmers. It was disbursed within one year. Usually political parties go on saying something or the other about such schemes. But under the leadership of Shrimati Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh we implemented it effectively and showed it to the world.

Sir, I come to the Budget now.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please try to conclude now.

SHRI M.I. SHANAVAS : Sir, I am speaking for the first time in this Parliament. Please give me some more time.

The biggest stimulus in this Budget is the plan expenditure of Rs.3,25,149 crore and Rs.2,39,840 crore for the growth budget support of the Central Plan. So, what has Mr. Pranab Mukherjee done? He has taken the cause of the down-trodden people. We are pulling them up.

I have been reading newspapers where the industrialists, the corporates, the common man, say that they are all satisfied. Now, we see a resurgent India, an India which is to grow like anything, and an India which is coming up like anything. In these circumstances, what should the Opposition and the Ruling Party do? We all should unite and see that this good sense of love for the poor people prevail. Now, it has come up like anything.

When the Indo-US nuclear Treaty was discussed in this House, I watched it from outside the Parliament. The discussion went on for hours and hours and I watched the whole discussion. Our young leader Mr. Rahul Gandhi was speaking about one Kalavati. I saw smiles on the faces of some Members and in the discussion on the TV channels some people were laughing. Some of them who laughed have not returned to this House. Now, everybody speaks about Kalavatis, about the poorest of poor people. The poorest of the poor people should be rescued and that is the main attempt of Mr. Pranab Mukherjee.

I do not want to speak much because you have curtailed my time, but I want to bring one or two proposals before the hon. Finance Minister. The farmers' loans worth Rs.71 crore have been waived. It is a gigantic leap forward for the farming community. But there is a little anomaly. The anomaly is that the cut off date for overdue loan is 28.2.2008. Some farmers have sold their houses and have taken loans from the private money lenders. They remitted some amount, but now their cases are pending. I would request the hon. Finance Minister to look into it.

The hon. Finance Minister has announced concessions for the students. Now, I want to emphasise that the concessions of the students may be extended to the students who are still pursuing their studies.

Last but not least, this is the august House where history sleeps, this is a great tradition, we, the Members of Parliament, are torch bearers of a great democracy inherited from Gandhi Ji, Pandit Jawaharlal Nehru and the galaxy of leaders. We are working; we are going into the villages where thousands of petitions confront us. We do not know what to do. I want to bring to the notice of the hon. Finance Minister the fact about the MPLAD Fund. The MLA Fund in my State for each MLA is Rs.75 lakh. In my Municipality, the fund given to the Municipal Councillor is Rs.45 lakh. We, the Members of Parliament, are the custodians of the tradition of this country. We are the torch bearers of the traditions of this country. I respectfully request the hon. Finance Minister to raise this MPLAD Fund from Rs.2 crore to Rs.7 crore per year. That is the only way

we can do a lot in the country. If that is given, we can spend more time in the law making process.

I thank you so much for giving me some extra time.

डॉ. बलीराम (लालगंज): महोदय, सामान्य बजट पर चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय भी यूपीए की सरकार बनी, उसे एक जनादेश मिला। जनता को बड़ी उम्मीदें-आशाएं थीं कि हमने अच्छा ज, अनादेश दिया है, तो हमारे हित में योजनाएं बनेंगी। माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उस बजट में गरीबों के हित में ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है जो उनके लिए कल्याणकारी हो। यह जो बजट है, इसके बारे में आज चारों तरफ यह चर्चा चल रही है कि यह बजट पूंजीपतियों और धन्नासेठों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट में आपने टीवी सस्ता कर दिया है, फ्रिज सस्ता कर दिया है जिनको गरीब कभी यूज ही नहीं करता है और जैसे टेलिविजन की बात कही गयी है, उस तरह का टेलीविजन तो गरीब रखता ही नहीं है, उसकी इतनी क्षमता ही नहीं है। उसे आपने सस्ता कर दिया है, लेकिन जो गरीबों के दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, उनको महंगा कर दिया है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह बजट गरीबों के हित वाला बजट नहीं है। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा कि इस देश में लगभग 44,000 ऐसे गांव हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 50 प्रतिशत से ज्यादा है। वित्त मंत्री जी ने, सरकार ने चिन्ता की है कि अनुसूचित जाति के लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाए। देर से ही सही, आपको उनका ख्याल तो आया। अपने बजट में उन्होंने 1,000 ऐसे गांवों को चुना है, जिनके लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में बनाई गयी है। यह संकल्प लिया है कि हम देश के ऐसे 1,000 गांवों को विकसित करेंगे और 100 करोड़ रूपए उसके लिए आपने बजट में दिए हैं। उत्तर प्रदेश में इसी तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने डा0अम्बेडकर ग्राम विकास योजना बनाई थी। आज भी यह योजना चल रही है। वह योजना सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए ही नहीं है, चाहे वह जिस समाज का व्यक्ति हो, हर गांव तक वह सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। कोई भी ऐसा अम्बेडकर ग्राम नहीं है जिस पर 80 लाख रूपए से कम खर्च हो रहा है, कहीं-कहीं पर जो बड़े गांव हैं, उन पर एक-एक दो-दो करोड़ रूपए तक खर्च करके, वहां जो गरीब लोग हैं जिनके पास घास-फूस की मंडइयां हैं, उनको इन्दिरा आवास और निर्बल आवास दिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने जो योजना बनाई है, जो बजट दिया है, उसमें एक गांव पर लगभग दस लाख रूपए खर्च करने का अनुमान है। इससे उस गांव का विकास नहीं हो सकता है। नकल तो जरूर की है, उत्तर प्रदेश में डा0 अम्बेडकर गांव बनाकर गरीबों का विकास किया जा रहा है।...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : कहां हो रहा है? विकास नहीं हो रहा है।...(व्यवधान)

डॉ. बलीराम : विकास हो रहा है। आप वहां जाकर अंबेडकर ग्राम देखिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप चेयर की ओर देखकर बोलिए। चेयर को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

डॉ. बलीराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह दस लाख रुपए की राशि गांव के विकास के लिए बहुत कम है। इसे बढ़ा कर 1 लाख रुपए या कम से कम 80 लाख रुपए करना चाहिए। अगर आप इस तरह से इस योजना को बनाते हैं, तो सही मायनो में आप गांवों को विकसित कर पाएंगे। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: बलीराम जी की स्पीच के अलावा और कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

डॉ. बलीराम : वित्त मंत्री जी ने देश की खाद्य स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सम्बन्धी कार्य ईमानदारीपूर्वक शुरू किए गए हैं। उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए तीन रुपए प्रति किलोग्राम चावल या गेहूं देने की बात भी अपने बजट भाषण में कही है और इस बारे में संकल्प भी जाहिर किया है। मैं कहना चाहूंगा कि देश में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। सन् 2002 में बीपीएल की जो सूची तैयार की गई थी, उसमें बहुत से गरीब छूट गए थे। मैं सरकार से चाहूंगा कि वह पुनः बीपीएल के तहत आने वाले लोगों की जांच कराए और जो लोग छूट गए हैं, इस सूची में शामिल कर उन्हें भी इसका लाभ दिया जाए। इस तरह की व्यवस्था वित्त मंत्री जी को करनी चाहिए।

आज नरेगा की चारों तरफ चर्चा हो रही है। बीपीएल के तहत आने वाले लोगों को इस योजना के तहत सरकार रोजगार उपलब्ध कराने की बात कहती है। लेकिन आप गांवों में जाकर देखें, तो आपको वास्तविकता का पता चलेगा। वहां जीसीबी मशीनों द्वारा खुदाई का काम किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. बलीराम : केन्द्र सरकार इस योजना के तहत राज्यों को जो पैसा देती है, उसे इसकी मानिटरिंग करने की भी जरूरत है कि वह पैसा सही लोगों के पास जा रहा है या नहीं। अगर ऐसा होगा, तब जाकर सही अर्थों में गरीबों को लाभ पहुंचेगा।

यूपीए सरकार के समय पहले भी काफी महंगाई बढ़ी थी और दोबारा सत्ता में आते ही इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, जिससे महंगाई को आगे बढ़ाने का संकेत इन्होंने दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें सुधार करने की जरूरत है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

---

* Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जो घोषणाएं की हैं, वे सिर्फ घोषणा ही न रह जाएं, उन पर अमल भी किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: बलीराम जी, अब आप समाप्त करें। मैं महाबली सिंह जी को अपनी बात कहने के लिए मौका दे रहा हूं।

डॉ. बलीराम : जिस तरह से रेल मंत्री जी ने कहा है कि हम रेलवे में अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे को पूरा करेंगे, ऐसा वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कुछ नहीं कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप बैठ जाएं। आपका भाषण अब रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

* Not recorded.

श्री महाबली सिंह (काराकाट): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पहली बार इस सदन में आने का मौका मिला है और पहली बार आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सदन में आम बजट पेश हुआ है और उस पर चर्चा हो रही है। पहले रेल बजट पेश हुआ, दूसरा आम बजट पेश हुआ है, जिस पर मैं बोल रहा हूं। हमने चर्चा के दौरान देखा कि सत्ता पक्ष के लोग, इस बजट को देश-हित में, दलित, पिछड़े और अक्लियत समाज के हित में बताकर मेजें थपथपा रहे हैं और विपक्ष के सदस्य इस बजट की आलोचना कर रहे हैं, हम भी विपक्ष में हैं, हम भी आपकी आलोचना करेंगे। लोकतंत्र में यह परिपाटी चली आ रही है कि सत्ता पक्ष कितना ही अच्छा कार्य क्यों न करे, उसके कार्यों की सराहना विपक्ष कभी नहीं करता, लेकिन देश की जनता आपके अच्छे कार्यों की सराहना करती है। जो सरकारें वादा करके मुकर जाती हैं, अपने वादों पर खरा नहीं उतरती हैं तो जब सरकार आम चुनाव में जाती है तो वैसी घोषणा करने वाली सरकार को, वादा न निभाने वाली सरकार को जनता जवाब देती है और उस सरकार को उखाड़ फैंकती है।

हमने देखा कि देश में जितनी भी सरकारें बनीं, उन्होंने जब भी बजट बनाया, दलित, गरीब और पिछड़े लोगों के हित में बनाया, गरीबों के हितों को देखते हुए बनाया, लेकिन गरीब का, दलित का आज तक क्या हुआ - यह आपके और देश के सामने है।

देश में जितनी भी पार्टियां हैं, उनकी सभी नीतियां और सिद्धांत गरीब, दलित और पिछड़े लोगों के हित में बनें। जितनी भी सरकारें बनीं, सभी सरकारों ने अपना बजट दलित, गरीब, अक्लियत और पिछड़ों के हित में बनाया। पार्टियां तो बनती-बिगड़ती रहीं, सरकारें बनती-बिगड़ती रहीं, बजट बनते और बिगड़ते रहे, साल और मौसम बदलते रहे लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों की तकदीर नहीं बदली। आज भी इस देश के करोड़ों लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, वे पेड़ों के नीचे, गंदे नालों के किनारे अपना जीवन-बसर करते हैं। सदन में जब बजट रखा गया, चाहे रेल बजट हो चाहे आम बजट हो, हमने उसे पढ़ा तो खुशी हुई। पढ़ने पर मुझे लगा कि मौजूदा सरकार समाज के नीचे गिरे लोगों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है।

15.00 hrs.

इस देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि इन दोनों बजटों में बिहार की बड़े पैमाने पर उपेक्षा हुई है। हम बिहार की उपेक्षा करके यह सोचें कि देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा सकते हैं, तो यह हमारी गलती होगी। बिहार एक ऐसा राज्य है, जहां महावीर, गौतम बुद्ध जैसे लोग पैदा हुए, जिन्होंने भारत में ही नहीं, विश्व में भी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। जिसके उपदेशों को मानने वाले कई देश आज तरक्की कर रहे हैं। विश्व के कई देशों के लोग बिहार में लाखों की तादाद में पयर्टक बन कर आते हैं। श्रीलंका, चीन, जापान, थाईलैंड आदि कई देशों के

लोग बिहार में बहुत संख्या में आते हैं। अगर आप बिहार की आधारभूत संरचनाएं ठीक नहीं करेंगे, वहां रेल, सड़क, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे, तो जब विदेशी पर्यटक बिहार से वापिस अपने देश जाएंगे, तो बिहार की आलोचना करेंगे। जब विदेश में बिहार की आलोचना होगी, तो यह सिर्फ बिहार की ही नहीं, बल्कि देश की आलोचना होगी। जब भारत की आलोचना होगी, तो आप कैसे विश्व के विकसित देशों के साथ भारत की तुलना कर सकते हैं?

महोदय, बिहार के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करने से, बिहार की उपेक्षा करने से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। यूपीए की सरकार अगर सोचती है कि उसने पिछले पांच सालों में बिहार में बहुत कुछ काम कराए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले पांच सालों में रेल के मामले में भी बिहार की उपेक्षा हुई है। वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री, जो एनडीए की सरकार में रेल मंत्री थे, जिन्होंने लकीर खींची थी, अभी तक वही काम पूर्ण नहीं हो सका, तो हम कैसे नए कामों की चर्चा कर सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री महाबली सिंह : महोदय, मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा। बिहार में मेन रोड, नेशनल हाईवे को छोड़ कर कोई ऐसी रोड नहीं है, जो ठीक हो। पांच साल में यूपीए की सरकार ने क्या काम किया है? अगर बिहार में यूपीए सरकार ने कोई काम किया होता, तो बिहार में यूपीए की दुर्गति न होती।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री महाबली सिंह : बिहार की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। बिहार की बनावट इस तरह की है कि एक तरफ उत्तरी बिहार बाढ़ से बरबाद होता है

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए, नहीं तो हमें कहना पड़ेगा कि रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा।

श्री महाबली सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमें पहली बार बोलने का मौका मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय : समय में पहली-दूसरी बार की बात नहीं होती है। समय तो समय है। दूसरे माननीय सदस्यों को भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए।

श्री महाबली सिंह : महोदय, हमने बजट में अर्थशास्त्री कौटिल्य के शब्दों को वित्त मंत्री के भाषण में सुना है। हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या इस सरकार को मालूम नहीं है कि बिहार में हर साल नेपाल में बारिश होने के कारण कोसी और गंडक नदी में हर साल बाढ़ आती है। इस कारण बिहार और उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले प्रभावित होते हैं। सरकार को मालूम है कि हर साल बाढ़ आती है, लेकिन सरकार ने आज तक इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

---

* Not recorded.

SHRI UDAYANRAJE BHONSLE (SATARA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I would like to firstly thank you for giving me time to air my views before this august House.

I would like to point out the uniqueness of the constituency that I represent. The name of the constituency is Satara. It is in the State of Maharashtra.

Sir, if you see the premises of this Parliament House, out of all the statues that are erected of the legendary figures, five statues are of the legendary people who are from the constituency, the area from which I have got elected namely – Chhatrapati Shivaji Maharaj, Chhatrapati Sahu Maharaj, Dr.Babasaheb Ambedkar, Mahatma Jyotiba Phule and the former Deputy Prime Minister of India Shri Yashwantraoji Chavan. All these legendary figures have been a driving force and all of us get our inspiration from the deeds that they had done. I know none of us can reach those heights. But I must bring to the notice of this august House that by serving the *aam aadmi* we can strive towards perfection and the thoughts and the vision that they had and this way we will be following them. The State of Maharashtra has a peculiar shape or you can say location because if you see the map of India you can call the State of Maharashtra as a 'mini-India'.

Through you, hon. Deputy-Speaker, I would like to congratulate the hon. Minister of Finance for the Budget that he has presented. In a situation of global economic slowdown he has rightly targeted the rural population which constitutes about 65 to 70 per cent of India. By targeting and providing extra funds in this Budget, not only will the farmers and the poor people benefit but also in return there will be an increase in the agricultural produce and there will be an increase in the upliftment of the downtrodden and the farmers who live in the villages. Also, this will create a larger customer base for the goods which are produced by 30 per cent of the population which lives in the urban area. I feel that this Budget has a rural face. But, apart from that, the hon. Minister of Finance has not forgotten the urban poor also. Through the *Rajiv Awas Yojana* the people living in

the slums are also going to be benefited and we will, in future, have a slum-free India.

In fact, I would like to point out that by doing so the hon. Minister of Finance, by prioritising agriculture, he has seen to it that India strives towards becoming a super power. Like there is the Great Wall of China, even if we build a Great Wall of India, not only can India survive in isolation but it can also cater to the demands, the needs of the rest of the world. By prioritising agriculture, India will, in future, become a super power.

In the late eighties, hon. Deputy-Speaker, Sir, the then dynamic Prime Minister, late Rajiv Gandhiji rightly said that only 15 per cent of the fund trickles down to the end user who lives in the villages and the reason for this is the inefficiency in the bureaucracy.

Our hon. Finance Minister has said "…to convert words into deeds". By this, it is his intention to fulfil Rajiv Gandhi's dream. He has rightly done this by transferring fertiliser subsidy directly to the farmers. In fact, this was the dream of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi, because indirectly we are striving for deepening and widening panchayati raj by decentralisation.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, now I would like to draw your attention to the State of Maharashtra. In fact, there is a Corporation for handling irrigation projects which, I think, must be the largest or the biggest ever formed by any State in India. It is worth over Rs. 10,000 crore. And, I was the Vice-Chairman of the Maharashtra Krishna Valley Development Corporation. Seventy per cent of the irrigation work has been completed, but at the same time, since many of the projects under this Corporation were not included in the Kendriya Jal Ayog, funds could not be allocated. Therefore, through you Mr. Deputy-Speaker, I would like to request the hon. Finance Minister to include the remaining projects not only of the Maharashtra Krishna Valley Development Corporation but also other corporations in the State of Maharashtra in the Kendriya Jal Ayog so that it is beneficial to the farmers, which has many effects because there will be upliftment

of the people. There will be rise in the agricultural produce which in turn will create employment which will result in increase in the purchasing power. This will add indirectly to the increase in the Central Government's revenues. Thus, I would like to request, through you, to the Finance Minister that the necessary funds should be allocated at the earliest.

I think that this will be a great tribute in the real sense to all the legendary figures not only from my area but also those from all over India, whose statues are erected in the Parliament House premises, which have been and will be a driving force for all parliamentarians belonging to the august House.

Hon. Deputy-Speaker, Sir, through you, I would like to thank the Finance Minister for presenting an *aam admi* Budget.

Thank you hon. Deputy-Speaker, and all the hon. Members of the august House, for giving me the opportunity to air my views.

श्री शिवराज भैया (दमोह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आम बजट के संबंध में बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैंने माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण बहुत गंभीरता से सुना है। इसमें कृषि विकास के संबंध में कॉलम 27 में वर्ष 2009-2010 के लिए 3,32,000 रुपए का प्रावधान किया है और ऋण प्राप्त करने के लिए सात परसेंट की चर्चा की है लेकिन यह अल्पावधि ऋण की बात कही गई है। किसानों के लिए अल्पावधि में तीन लाख तक का ऋण कितना लाभकारी होगा, ये आप समझ सकते हैं।

अंत में माननीय वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा है कि मुझे मालूम है देश की साठ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात भारत की साठ प्रतिशत जनता अपना आहार कृषि से प्राप्त करती है। लेकिन भारत की साठ प्रतिशत किसानों की जनसंख्या की आज क्या हालत है, यह बहुत चिंता का विषय है और इस पर चिंतन होना चाहिए। यदि इन किसानों की चिंता भारत का यह सर्वोच्च सदन नहीं करेगा तो शायद कोई नहीं कर सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि भारत में दो संविधान काम करते हैं। एक सिर्फ किसानों के लिए काम करता है और दूसरा अन्य काम करता है। सदन को मालूम है कि जब भी कोई उत्पादन करता है तो उसमें अपनी लगी हुई पूंजी और लाभ को जोड़कर उसका मूल्य निर्धारित करता है और फिर पूरे भारत मे उसका वितरण होता है। परंतु किसान को यह अधिकार नहीं है। किसान अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता। आश्चर्य की बात यह है कि किसान जब अपना माल मंडी में ले जाता है तो या तो उसके माल का मूल्य निर्धारण सरकार करती है अथवा व्यापारी उसका मूल्य निर्धारित करता है। यहां इस बात पर चिंता करने की आवश्यकता है कि वास्तव में जब उस किसान को खाने के लिए, बोने के लिए अनाज की आवश्यकता पड़ती है और जब वह अनाज लेने के लिए व्यापारी के पास जाता है तो उसकी कीमत भी व्यापारी बतलाता है। किसान से किसान का माल लेना हो तो व्यापारी मूल्य निर्धारित करेगा और यदि किसान को माल लेना हो तो भी व्यापारी मूल्य निर्धारित करेगा। यह कैसी विसंगति है। आज एक माचिस बनाने वाला कारखाना माचिस की पूरी लागत और उस पर अपना लाभ जोड़कर पचास पैसे में अपनी माचिस बेचता है। इन्हीं कारणों से किसान आज तक तरक्की नहीं कर सका बल्कि किसान कर्जदार होता गया और आज स्थिति यह है कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर है।

महोदय, यदि वास्तव में आज के किसान की माली हालत का, उसकी चिंता का, उसके दुख का यदि हम वर्णन करें तो हमारे पास शब्द नहीं होते। परंतु मैं एक किसान हूं और मैं जानता हूं, इसलिए किसान के इस दुख को इन शब्दों में मैं आपके सामने व्यक्त करता हूं -

"दिन रात किया श्रम है हमने, पल एक भी चैन न पाया प्रभु।
ढंकने को शरीर न वस्त्र मिले, भरपेट कभी नहीं खाया प्रभु।।
हमको सुख हाय मिला न कभी, दुख नर्क से ज्यादा सताया प्रभु।
वह कौन से पाप किये हमने, जो हमें दीन किसान बनाया प्रभु।।"

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा किसान रोता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी, जो आपने मुझे दीन किसान बनाया। मैं यह जानता हूं कि किसान आज संतुष्ट नहीं हैं। पहले भारत में 85 प्रतिशत किसान हुआ करते थे, जो आज साठ प्रतिशत पर आ गये। 25 प्रतिशत किसान कहां चले गये, उनकी जमीन कहां चली गई, यह बहुत चिंता का विषय है। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि एक बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जब वह भारत के प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने किसान के दुख को समझते हुए किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाने का प्रयास किया और उसके बाद मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने पांच प्रतिशत की ब्याज दर को घटाकर 1 जुलाई, 2009 से तीन प्रतिशत कर दिया है।

किसानों को बचाने के लिये उन्हें सहयोग प्रदान किया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पूरे भारत में किसानों को 3 प्रतिशत के आधार पर ब्याज दर पर कर्जा मुहैया कराया जाये।

उपाध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश देश का सब से बड़ा पिछड़ा हुआ राज्य है। इसमें बुन्देलखंड का इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मेरा संसदीय क्षेत्र दमोह इसमें आता है। यहां दो लाख गरीब परिवार हैं जिनके पास छत की व्यवस्था नहीं है। मजदूरी करके अपना जीवन-यापन करते हैं। उन्हें कुटीर उद्योगों के लिये धन मुहैया कराया जाये ताकि बुन्देलखंड में विकास कार्य को गति मिल सके और यह क्षेत्र आगे बढ़े।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, first of all, I fully support the Budget introduced by the Finance Minister Shri Pranab Mukherjee. However, I have some observations to make in respect of some provisions in the Speech of the hon. Finance Minister.

First of all, I want to place before you, hon. Deputy-Speaker, Sir, that BPL cards are not really being given to the deserving persons. I would like to suggest to the hon. Finance Minister that let there be a statutory scheme in respect of distribution of BPL cards so that deserving persons, who are really the poor people of this country, can get the BPL cards.

Really, a great endeavour was made when the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 was introduced in this august House, but unfortunately, in the Act itself, the Scheme was made in such a fashion that even if I have any complaint regarding non-extension of works to deserving persons, I have to lodge a complaint with the officer who is designated as the Programme Officer. Incidentally, that Programme Officer is also the Executive Officer of a Gram Panchayat. How the Secretary of a King can decide the complaint against the King? Let the Act be amended so that if any aggrieved person really lodges a complaint against the Gram Panchayat for non-distribution of works to a deserving person, that complaint may be heard by an independent authority, and the benefits should be given to the deserving persons, that is, the poor people of this country.

Sir, I now come to a very important aspect, according to me, which was mentioned at para 133 of the Speech. The hon. Finance Minister, no doubt, is having the discretion or the power to disagree with the view of his predecessor. With great respect, although disagreement can be there, I do not find any reason as to why the disagreement has arisen. At least, on two occasions, the Apex Court of our country held that the Legal Services do not come within the purview of 'commercial establishment', nor do they come within the purview of 'industrial establishment'. In our State, the Calcutta High Court held that Legal Services do not come even within the purview of 'Shops and Establishment Act'. I do not

know why it has been brought within the purview of the 'Services' category and, therefore, to be taxed. Today, most of the litigants' cases are against Government's functioning. Most of the poor people file their complaints against Government's functioning before the Constitutional Courts. It is not that only arbitration cases or commercial cases are filed before the courts.

Today, even in the Supreme Court it has gone up to more than one lakh cases. Now the service tax has been increased. I request the hon. Finance Minister to review it. I just point out about a vague thing. It has been said, "I propose to extend the service tax on advice, consultancy or technical assistance provided in the field of law." What does it mean – technical assistance provided in the field of law? If a lawyer argues before a court of law, he comes within this category. Then in the next sentence it has been said, "This tax would not be applicable in case the service provider or the service receiver is an individual." Sir, I have great respect for the hon. Finance Minister. I know that he is a pride of our country as a parliamentarian vis-à-vis a pride of our country as a Minister. But a service provider, means a lawyer also. If you go to a senior advocate, designated as the senior advocate under the Advocates Act, a senior advocate cannot function without having any assistance of a lawyer who is called an advocate on record. Therefore, the moment a person goes to a senior advocate, he has to pay the service tax. Now the expression used is 'service individual'. What does the 'service individual' mean? If two workers go to a lawyer, they have to pay the tax. I can understand that in a commercial establishment or the corporate sector, taxes have been provided. Today in our country, there are maximum numbers of service matters, industrial dispute matters and constitutional matters that are coming. If two persons or two prisoners or two labourers go to a court of law, then they have to pay the tax. The moment it has become plural, they have been brought at the corporate level. Therefore, I request the hon. Finance Minister to kindly make a review of it. It would be a tremendous service. To get a justice is also a constitutional right. One goes either before a court of law or before a Minister or

before the Government or the executive authority to get a justice. They are going for getting the justice. When one is fighting before a court of law for getting the justice, it would be my most humble submission before the hon. Finance Minister that this would be really unreasonable. I have fought such cases in the last three years. I had to fight out for the prisoners of Singur; I had to fight out for the Nandigram persons; I had to fight out for the poor people of West Bengal. If service tax is provided for two prisons, then it would be really unreasonable. If two women are raped and if they go to a lawyer, a senior advocate for consultation, in that case they have to pay the service tax. I would request the hon. Finance Minister to consider this aspect of the matter.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI KALYAN BANERJEE : I will conclude in two minutes.

Now I come to another point. The Central Government has given extension to the fast track court up to 2010. After 2010, there is no scheme to extend it. I would request the hon. Finance Minister to extend the benefits of the fast track courts beyond 2010. A number of cases have been disposed of through the fast track courts in the last five to seven years. Therefore, I would make a request to the Finance Minister to extend the fast track courts even beyond 2010 so that the people of this country get the justice.

I now come to para 88 of the Budget speech. There has been an increase of only Rs.10,000 in the income-tax limit. The exemption on the income-tax has been increased from Rs.1.80 lakhs to Rs.1.90 lakhs. I would request the Finance Minister that the exemption on income-tax should be at least increased up to Rs.2.50 lakhs so that the people really get the benefit of the income-tax.

One of our friends from the other side was telling – I have come for the first time and I have forgotten the name – that the money for the MPLAD scheme should be increased. It should be increased from Rs.2.00 crore to at least Rs.5.00 crore.… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Members will support it.

SHRI KALYAN BANERJEE : Kindly see, Sir, the Minister also agrees with my view. Let it be recorded that one of the Ministers also agrees with my suggestion.

SHRI V. NARAYANASAMY: I made an observation that hon. Members also support it that is all. Do not put words in my mouth.

SHRI KALYAN BANERJEE: Le that also go on the record.

Sir, I would once again request the hon. Finance Minister to review the paragraph which I have referred to.

श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी (बनासकांठा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ज़रिये सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(Interruptions) ...**

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा। यह प्राइवेट मैम्बर्स बिज़नैस का टाइम है।

*(Interruptions) ...**

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ मैन्या जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है। टी. मैन्या जी, आप बोलिये। आप बोलना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

***श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन):** महोदय, मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं । मैं इस बजट पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव माननीय वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

विडम्बना यह है कि इतने महत्वाकांक्षी बजट के बावजूद सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों जैसे कृषि, लघु उद्यम और सबसे बढ़कर गरीब आम आदमी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है । 10लाख 20 हजार करोड़ रूपए से भी अधिक के सरकारी खर्च में से कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास को मात्र 62, 837 करोड़ ही मिले हैं जो कुल खर्च का मात्र 6% ही है । ऐसे में माननीय वित्त मंत्री जी किस दम पर कृषि विकास को चार प्रतिशत तक ले जायेंगे । यह समझ से परे है । आज देश की कृषि व किसान संकट के दौर से गुजर रहे हैं । हम दालों, तिलहन और अनाज के लिए विदेशों पर निर्भर होते जा रहे हैं । हमारा किसान कृषि में हो रहे नुकसान के कारण या तो कृषि से विमुख हो रहा है या आत्महत्या कर रहा है । कृषि जो 1970-71 में कुल राष्ट्रीय आय का 45% से भी अधिक अर्जित करती थी, आज मात्र 18% पर आ चुकी

____

*Speech was laid on the Table

है। इसका अभिप्राय यह है कि कृषि क्षेत्र में कमाई घटती जा रही है । एक क्षेत्र जो 60% से जयादा लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा हो, उसकी ऐसी दयनीय हालत के प्रति सरकार की संवेदनहीनता देश के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है । माननीय वित्त मंत्री जी यदि कृषि के विकास के लिए कोई महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत करते तो बेहतर होता । माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि वे प्रतिवर्ष 1 लाख लोगों को रोजगार दिलायेगें वास्तविकता के धरातल पर ठहरता नहीं हे । यह बात ठीक है कि सरकार बजट प्रावधानों के द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत लोगों को तुरन्त रोजगार तो दे सकती है लेकिन यह कोई स्थायी व्यवस्था नहीं मानी जा सकती हे । रोजगार की स्थाई व्यवस्था के लिए ऐसी उत्पादन पद्धति की आवश्यकता होती है जिसमें रोजगार के अवसर स्वयमेव पैदा हों । ऐसी उत्पादन की पद्धति पिछले दो दशकों से जानबूझकर समाप्त की जा रही है । अगर सरकार रोजगार सृजन के बारे में ईमानदार है तो उसे लघु और कुटीर उद्यमों का सरकारी सहायता से विकास में आ रहे अवरोधों को दूर करना होगा । लेकिन अगर आर्थिक समीक्षा 2008-09 में कोई संकेत हो तो कहा जा सकता है तो सरकार आने वाले कुछ महीनों में ही खुदरा क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए और अधिक खोलने जा रही है । ऐसे में बड़ी संख्या में छोटे-छोटे दुकानदार बेरोजगार हो सकते हैं ।

यह चिंता का विषय है कि पिछले कई वर्षों से सामाजिक सेवाओं पर कुल सरकारी खर्च का अनुपात लगातार घटता जा रहा है । कुछ समय पूर्व तक जो 25% तक पहुंच गया था वह आज 12% तक आ गया है ।

अति महत्वपूर्ण विषय में मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बुनकरों और शिल्पकारों की घोर उपेक्षा की गई है । बुनकर वह समाज है जिसने मनुष्य को सभ्यता देने का काम किया है । बच्चे के जन्म से ही कपड़े की आवश्यकता पड़ती है जो कि

उसके जीवनपर्यन्त उपयोगी रहता है । यहां तक कि मृत्यु पर भी वही कपड़ा मृतक को अंतिम यात्रा तक साथ जाता है । जिस बुनकर समाज ने मनुष्य के तन को ढ़कने का काम किया वही बुनकर समाज आज भुखमरी के कगार पर है और कोई सरकार उसके बारे में सोच नहीं रही है । मैं केन्द्र सरकार और विशेषकर वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बुनकर समाज के लिए ऐसी रियायतें दी जाएं जिससे कि वह अपना जीवनयापन सुगमता से कर सकें तथा इस सम्पूर्ण समाज को कपड़े से संबंधित सभी सरकारी विभागों में नौकरियों में कम से कम 25% का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए ।

कृषि के क्षेत्र में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । यदि फर्टिलाईजर की बात करें तो सरकार ने फर्टिलाईजर पर सबसिडी देने की तो बात कही है लेकिन यूरिया से सबसिटी हटा ली गई है और नाइट्रोजन पर बढ़ा दी गई है । ऐसा तो है नहीं कि यूरिया की खपत कम हो गई हो । यह तो वही बात हुई कि एक तरफ से कान को एक हाथ से छोड़कर दूसरे हाथ से पकड़ लिया ।

सरकार ने काम करने के उपाय तो कम किए हैं लेकिन उम्मीदें ज्यादा हैं । आर्थिक सर्वेक्षण में तो बातें कही गई हैं, बजट में उसकी छाया मात्र भी नहीं है ।

देश में बिजली की कमी को देखते हुए सरकार को बड़ी-बड़ी विद्युतीकरण की परियोजनाओं का निर्माण कराने की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि किसानों को, लघु उद्योगों को बिजली मिल सके क्योंकि मशीनरी बिजली पर आधारित हो गई है । कृषि और उद्योग तो बिजली पर आधारित हो गई है । कृषि और उद्योग तो बिजली के बिना एकदम पंगु हो गए हैं ।

पानी की बहुत बड़ी समस्या से आज देश गुजर रहा है । सावन का महीना चल रहा है लेकिन सूखे की कगार पर देश पहुंच गया है । धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। विशेषकर खरीफ की फसल नहीं बोई जा पा रही है । सरकार को ऐसी व्यवस्था

करनी चाहिए कि देश में जब बाढ़ आए तो उसके पानी का उपयोग किए जाने की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए । ताकि यह पानी झीलों, तालाबों और कुंओं इत्यादि में वाटर हारवेस्टिंक के उपयोग में लाया जा सके । यह एक कृषि प्रधान देश है । हमें कृषि और कृषक दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है । हमारे देश का मजदूर एवं नौजवान खाली बैठा है इनके लिए नौकरी की व्यवस्था की जानी अति आवश्यक है ।

यह बजट ऊपरी तौर पर ही ऐसा लगता है कि यह बड़े पूंजीपतियों, बड़े व्यवसायियों के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है । जबकि किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवान, शिक्षा, कृषि, लघु उद्योग, बुनकरों, काश्तकारों आदि की घोर उपेक्षा या ऐसा कहा जाए कि अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन इस अपेक्षा से करता हूं कि मेरे द्वारा इस बजट पर तो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, उन पर माननीय वित्त मंत्री जी अवश्य ही ध्यान देंगे ।

15.30 hrs.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

(i) RESOLUTION RE: CONSTITUTION OF NATIONAL BOARD FOR DEVELOPMENT OF HIMALAYAN STATES – Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up Private Members' Business. Item No. 19, Dr. Thokchom Meinya.

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much for allowing me to resume my speech on the Resolution moved by my friend Shri Virender Kashyap on the constitution of a National Board for the development of Himalayan States.

15.33 hrs (Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

Himalayan States, as you know, have different kinds of difficulties the first one being the geographical conditions. Because of these geographical features we have in those regions landslides, cloudbursts, earthquakes, hailstorms, and all other possible natural calamities. These result in loss of lives and property there. To mitigate all these things the people in these States have to actually prepare themselves to face all these eventualities.

The cost involved in the process of development in these States is very high. The cost of construction of houses, roads, bridges, buildings is much higher in hilly areas when compared to the plains. Leave aside the cost of commodities, with high transportation costs and heavy excise duty charged on transportation we have to pay very heavily. In addition to all these things, the mountain terrain is a very difficult terrain. The socioeconomic conditions of these areas are very bad. Taking into account all these factors my friend Virender Kashyap perhaps tried to bring out a National Board for Development of the States. The fund is to be provided solely by the Union Government.

I see the reason and at the same time I also see the honesty of his ideas when he thought of having this Board. At the same time, I would like to point out certain facts. For example, we have in these Himalayan States, right from Jammu and Kashmir, we have got Uttaranchal, we have Himachal Pradesh and then, we have Sikkim, Jharkhand and Arunachal Pradesh. At the end of these Himalayan ranges, we have a number of States like Nagaland, Mizoram, Manipur. All these States border the international friends, brothers and neighbours. We have got other difficulties. See the other side of our country, for example, in China. In China – after me, I think, my friend from Arunachal Pradesh would be speaking – the development process is very fast. When we go to Twang, just 30 kms. away from our international border - we can go to that Chinese area by small vehicles - you see that the development process is very fast.

Seeing all these things, I think, the Government of India requires to look into this aspect and develop these areas very fast. This is one area. In that particular area, when we talk of Himalayan States, we always think in terms of one important State, Jammu & Kashmir, which has got a Special Status on its own under our Constitution of India. At the same time, this State has been under tremendous difficulties. For example, international terrorism from the other side, and at the same time, internal problem and insurgent problem. This is very similar to a State, Manipur, from where I come. So, we are very concerned for the other States.

Of late, there has been talk about the Armed Forces Special Powers Act to be lifted or to be kept in Jammu and Kashmir. This has been the bone of contention for my State also. In my State, like what is being demanded in Jammu & Kashmir, we are requesting to repeal the Act. Fortunately, when the UPA Government came to power in 2004, seeing the condition of this particular draconian Act, a Committee was formed under Justice Jeevan Reddy, and the Committee has recommended repeal of the Act. This is now with the Government

of India. We are very hopeful that this recommendation will be implemented with right earnest. Of course, having been using this particular Act for so many years, the insurgency problem did not go, it has rather become monotonous. You would remember that I have mentioned those names of the Special Category States, where this particular Act is there. This is a national Act, of course, but it is regional in approach. We wish that this should be done away with.

One important thing about which my friend, hon. Member has suggested is, monitoring and implementation of the existing Centrally sponsored schemes and the programmes in these States. Of course, this is very important. Our monitoring or implementation is slow; delivery mechanism is not properly maintained. We require a good delivery mechanism so that whatever is given for the people there, at least a major chunk of the funds should reach the people, for whom we are sending the funds

Regarding the suggestion and measures to minimise the effect of natural calamities in the said Region, of course, we have got the National Disaster Management Board, which is looking after that. Even then, there are things which we cannot predict. For example, we do not know when earthquake comes. Of course, seismologically, scientifically we may be able to tell that at this time and at this moment, it may come but we never know as to what happens. There are certain eventualities about which we have to be very careful.

Before I conclude, as I suggested on the first day also, we have a Department, the Development of North Eastern Region, which is also called seven sister States and one big brother, Sikkim. We have to see that the powers, functions and areas of work should be demarcated properly so that there may not be overlapping. This is very important.

With these words, I thank my friend Shri Virender Kashyap for having moved this Resolution to constitute a National Board for the Development of Himalayan States. We hope that the Government will pay attention to his suggestion and we shall see that if this Resolution, at any point of time in the

course of the Government business, comes forward, we can debate and look at difficult areas; and at the same time, we can see what we can do for that and how to proceed further.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you very much. I stand here to elaborate and discuss on the constitution of National Board for the Development of Himalayan States, moved by our dear friend Shri Virender Kashyap.

I had been attentively listening to him and also to other Members who have spoken. One of our Party Members had spoken last Friday, who is from a non-Himalayan region State. I am the second speaker to speak from a non-Himalayan State.

At the outset, I should say that when a demand is made for the constitution of a National Board for development of an area, I should not be misunderstood, that clearly demonstrates, however small or big the area may be, that it is an acceptance of the fact that the State machinery has failed to a great extent; it is unable to deliver for the betterment of the people of that region, and the people's aspirations are not being met by the system that we have in place.

When I say that the State has failed, I am not only targeting the provincial Government, but also the Union Government. Our Constitution clearly demonstrates that this is a Federal State. Every province has its own capacity to deliver the development activities to the people. But what happens? Since 1967, especially after the division of Punjab – that was the first State that was divided – Himachal Pradesh came into being. Subsequently, in the 1970s, Assam Province was also divided into many States.

Earlier, when the States' reorganization was thought of and discussed in the 1950s, during that time, Shri G. B. Pant was the Home Minister, it was clearly stated in this House and also outside in the Report of the SRC, that a State should be competent enough to raise its resources to meet its demand. But subsequently, because of many pressures and demands of the people, we have formed a number of smaller States. These smaller States are dependent on the funding mechanism of the Centre.

Today, most of the Himalayan region States, say for instance, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, a part of West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh,

and in the case of lower Himalayan region States, Manipur, Tripura, Mizoram and Meghalaya – all these States get a specific substantial funding from the Central Government.

As a special category status, 90 per cent of the funding is provided through budgetary support and 10 per cent has to be provided by the State Government. When we talk of a special or a National Board for the development of Himalayan Region what is the idea? The idea is that the Centre will provide some amount of fund and it has to be worked out by this Board. When I say a National Board, how it is to work out? Will it be a representative character that all the States will be the Members of this National Board? Why you need a National Board? Is there any difference of opinion to work out a specific project between Uttarakhand and Himachal, between Sikkim and parts of West Bengal or between Assam and Arunachal Pradesh? Planning Commission is there. Finance Commission is there. If they are going to work out certain plans and programmes, I think they are the best mechanisms in place in our country to work it out.

But saying this, when I come to the programmes, especially the three programmes which have been chalked out, one is 'All round and speedy development of the States comprising the Himalayan Region' I think the Finance Commission and the Planning Commission are the best. I am yet to hear and I think ultimately when Shri Kashyap will be winding up this debate he will spell out the difficulties. The demand which has been made, subsequently when other Members of this region have spoken in this House, I do not find that it is very essential that we should have a National Board for development of these Himalayan States. Yes, monitoring of implementation of existing Central schemes and programmes in these States is required.

During the last 25 to 30 years we have seen that we have a Ministry especially for Northeast which was, if I remember correctly, formed during Atal Ji's tenure for the development of Northeast region. Specific funding also is being done after that. For the last 10 years specific budgetary funding is being done,

separate provisions are being made in different Ministries keeping in view the Northeast region. But only Himachal Pradesh and Uttrakhand are being left out. The Planning Minister and also the Finance Commission can see how to incorporate these two States where a specific provision can be made for the development of this region. To minimise the affects of natural calamities of the said region is one of the major issues which should be discussed while we are deliberating on this Resolution.

Disaster management is an awareness which for the last five-six years we have been discussing. What mechanism we have in place in Delhi especially in the Central Government to see how the disaster management is being worked out in those respective States? The smaller States are in dearth of revenue and are dependent on the Central Government's plans and programmes. What support the Government is going to give or is giving to meet the disasters which are occurring there. Disasters in this region are very different from the disasters which Bihar, West Bengal or Orissa faces or to that extent Gujarat or Maharashtra faces. These are hilly regions and there is greater scope for development of these areas. To keep people in good health, to provide them education and to develop those areas, it is very much essential.

In that respect, I would say that I have a different point of view. I would say that there is no need to have another Development Board as such because there is too much of centrality. I am for the federal character of this country. The States should rejuvenate themselves and what is due for every State should be provided by the Centre and the Centre should not overlook or breath down the neck of all the States but it is the utmost responsibility of the Centre to see that these areas are developed.

With these words, I conclude.

SHRI SANJOY TAKAM (ARUNACHAL WEST): Mr. Chairman, Sir, I thank you for the opportunity given to me to take part in the Private Members' Resolution moved by one of our Parliamentarian colleagues, Mr. Virender Kashyap for the constitution of a National Board for the Development of Himalayan states. If I am not wrong, I sense the mover of this Resolution had gone deep into the crux of the problems being faced by various States which consist of various ethnicities that make the diversity of Himalayan region.

Since Independence and before Independence, if we look back to the history, if all other parts of India had inherited infrastructural facilities from the then British Government, these Himalayan States inherited nothing except their own natural and beautiful resources. The so called Himalayan region stretches to a distance of 4000 kilometres right from Kashmir to the eastern tip of my State. This particular region houses various natural resources of the country. It does not only contribute to the ecology of the country, it does not only contribute to the environment, towards reducing the carbon emission but it is the sentinel of our security also. Many wars have been fought there. Let us go back to 1945 war memorials in Kohima and in Nagaland. The war memorials of 1945 in Pacho Pass of Teju in Changlang District of Arunachal Pradesh. The war and the experiences we have read and we are reading today about 1962 war. So, this particular region gives water to the lower valley of our country. It gives water and environment right to the Indian Ocean to the lowest tip of West Bengal. But so far the due share that is anticipated and expected from the Government of India has not been on the expected lines today. I am of the opinion that they have the biggest natural resources.

Let us go back to my State of Arunachal Pradesh. It has the potential of 56,000 MW of hydro power projects.

The situation was different prior to 1947. The present State was granted the status of a Union Territory in the year 1972 by the late Indira Gandhi. She felt that this Eastern tip is the sentinel of our security. Today we talk of the security of Jammu and Kashmir; we talk about the security of Gujarat, but internal and external security that can be provided by the Eastern Sector should be on the top of the agenda of the Defence Ministry. Accordingly, if today Government invests to tap 56,000 MW power potential that is hidden in the State of Arunachal Pradesh, then after 20 years from now the State of Arunachal Pradesh can sustain one-third of the economy of this country. This is the potential and greatness of my State. Right from the young to the old, without any Army, since 1962 have been guarding the frontiers of this country. We have been using the national flag to be our armour. Therefore, the real corridor, if for our security – internal and external – is to be taken care of, then it is all in the Eastern Himalayan Region. If a sum of Rs. 100 has to be invested for digging a hole in the Plains, then it is not the same amount that would have to be invested for digging a hole in that region because our State is located at some 20,000 feet above sea level. The Budget, therefore, that is prepared in Delhi does not match the harsh realities of this particular region. This has to be admitted.

Sometimes I should speak this that sometimes when we visit some hotels here in the city some friends in Delhi say, `are you from China?' `Are you a Japanese'? A few days ago I was going to the New Friends Colony and I took an autorickshaw. The driver of the autorickshaw asked me क्या आप चाइनीज एंबेसी जा रहे हैं? मैंने कहा, जी हां। उसने कहा कि आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। मैंने मजाक में कहा कि बीजिंग में बहुत से हिंदी स्कूल चलते हैं। This is the feeling of alienation; this is the feeling of deprivation and feeling of remoteness right from the Eastern sector of Arunachal Pradesh to Delhi. Here we are to bridge the gap between the farthest Eastern Sector and New Delhi.

I strongly feel that the support of the hon. Prime Minister is always required. The hon. Prime Minister of India visited Arunachal Pradesh in the year

2008. Dr. Manmohan Singh does not speak much but senses the reality, the crux of the problem. He came to Itanagar after having visited China and announced a package of Rs 21,000 crore. This was a great gesture. We need a Prime Minister of such stature. We need a Government with a vision. But in the year 2003, I would not name the Government, a very big personality from Delhi, head of the Government announced so many packages. We waited for it for a year, but not a single penny came. But I am proud to say that when Dr. Manmohan Singh visited Arunachal Pradesh, after two months of his visit funds were released for infrastructure building and we felt that Arunachal Pradesh has become a part and parcel of this great nation.

<u>16.00 hrs.</u>

If there is any force which is echoing from outside our country that Arunachal Pradesh is a disputed land, it is absolutely out of track of our historical, traditional and cultural ethos. I would like to appeal through you that the Government of India must be assertive of what they should say. Not even a child in the womb of its mother cries against India. It does not say अरुणाचल भारत का नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है। दिल्ली को हमेशा आगे कदम बढ़ाकर आना है और देखभाल करनी है कि अरुणाचल, दिल्ली सामने है, इम्फाल, दिल्ली सामने है, कश्मीर, दिल्ली सामने है, हमें दूर मत करवाइए। We are all for India and we are in India. The Resolution which one of our Members has moved has a basis, that is, the geographical terrain. If the Prime Minister becomes the authority, of the National Board for the development of the Himalayan States, planning can be properly initiated. Funding can be made. Security aspects can be taken care of. That is the most important aspect today. We see western sector to be a very dangerous security zone. It is not true. The eastern sector has the most typical situation. This young man is making an imagination. This reality should be taken care of.

I, therefore, would like to appeal through you to the Government of India to ensure that more and more investments are made to the Eastern Region. The coal mines of Meghalaya should be properly tapped, utilised taking local population into confidence. The Mega Hydel Project and the immense power potential of Arunachal Pradesh should be tapped. The beauty of culture and each and every ethnicity should be taken care of. This is possible when the Prime of India himself becomes the Chairman of that particular Board where 11 States of Himalayan Region would come and sit together.

The Bhoti language is spoken by the people of Tawang and Bombila of my State. Bhoti language is spoken by some sections of people in Siliguri and Darjeeling. The people of Ladakh speak Bhoti. But we are far away and because of distance and location, we are not together. Therefore, such languages and such scripts can be developed with the Board and authority chaired by the hon. Prime Minister of India.

Sir, I strongly support, without having an infringement to the Authority of the North-Eastern Council and the Department for the development of North-Eastern Region, that this Board chaired by the Prime Minister may kindly be constituted to ensure socio-economic, political and security control on the Eastern section.

Thank you very much for giving me this opportunity, Sir.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा लाए गए संकल्प की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। अभी इस संकल्प में राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड के गठन की मांग की गई है। उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ के सम्मानित सदस्यों के बड़े अच्छे और सामयिक सुझाव भी आए हैं। मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा। चूंकि हम पहाड़ी एरिया से नहीं आते हैं, लेकिन पहाड़ के दर्द को अच्छी तरह से समझते हैं। मेरे ख्याल से इस मानव जीवन समाज में ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the extended time for this Resolution is over now. I have four more Members to speak on this Resolution. If the House agrees the time may be extended by another one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: The time is extended by another one hour.

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि हम पहाड़ के नहीं हैं, लेकिन उस दर्द को समझते हैं। हमें याद है कि जब उत्तर प्रदेश में नैनीताल सम्मिलित था, उस वक्त पूरा प्रदेश एक था। हमारे सतपाल जी महाराज यहां बैठे हैं, वह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे भी उत्तर प्रदेश की विधान सभा में मंत्री और दो बार सदस्य रहने का सौभाग्य मिला था। इस समाज में जो भी व्यक्ति है, उसे प्रकृति से लगाव या प्रेम होना स्वाभाविक है। आज भी, खासकर गर्मी के मौसम में जब छुट्टियां होती हैं, तो लोग अपने परिवार और बच्चों को लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटक के तौर पर जाते हैं। उस दृष्टिकोण से देखें, तो विकास बोर्ड के गठन पर हम सबको सहयोग और समर्थन करना चाहिए, ताकि पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके और वहां दैवी आपदा या विकास से संबंधित योजनाएं अच्छी तरह से लागू हो सकें। वहां के रहने वालों को भी सुविधा मिले और बाहर से जो पर्यटक आते हैं, उन्हें भी सुविधा मिल सके। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाये, तो पहाड़ों पर भूस्खलन की स्थिति हमेशा बनी रहती है, खासकर वर्षा के समय ज्यादा होती है। हम लोग भी कई बार पहाड़ों में गये हैं। जब हम बाय रोड ट्रैवल करते हैं, तो देखते हैं कि इससे पहाड़ों में सड़कें जाम हो जाती हैं, तो सड़क से संबंधित फोर्स खासकर मिलिट्री के लोग वहां आकर मदद करते हैं। इसके साथ-साथ वहां का निर्माण विभाग भी मदद करता है और सड़क बनाता है। भूस्खलन से खेती का भी नुकसान होता है और मकानों को भी खतरा होने का डर बना रहता है। पहाड़ों पर बादल फटने की तमाम घटनाएं सुनने को मिलती हैं। यूं तो वर्षा मूसलाधार होती है,. लेकिन कभी-कभी जब बादल फटता है, तो एक बारगी पानी नीचे आता है। उससे जन-जीवन को काफी नुकसान पहुंचता है। तमाम अप्रिय घटनाएं घटती हैं जैसे लोगों की मृत्यु हो जाती है, घर बर्बाद हो जाते हैं। पहाड़ों में इस

प्रकार की घटनाएं कई बार घट चुकी हैं। भूकम्प की स्थिति भी पहाड़ों पर ज्यादा होती है। उसका थोड़ा बहुत असर मैदानी क्षेत्रों पर आता है। अगर पिछले रिकार्ड देखे जायें, तो उत्तरकाशी समेत तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां भूकम्प आने से जनजीवन को काफी नुकसान हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में ये सारी दिक्कते हैं। वहां ओलावृष्टि भी होती है। ओलावृष्टि पहाड़ों और मैदानी, दोनों क्षेत्रों में होती है। जब वर्षा के पहले या बाद में कभी-कभी बादल बनता है, तो ओलावृष्टि होती है। उससे भी मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर उन खेतों में जहां हम अनाज उगाते हैं, काफी नुकसान होता है।

केवल खेती और अनाज जी नहीं, सब्जियों और फलों का भी नुकसान होता है। जनजीवन को भी इससे नुकसान होता है। अन्य प्राकृतिक आपदाएं समय-समय पर वहां आती रहती हैं। यह तमाम जो बाते हैं, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चाहे सड़क निर्माण हो या अन्य प्रकार की विकास की योजनाएं हैं, पूरी तरह से पहाड़ों पर लागू हों ताकि वहां का विकास हो सके, पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, पहाड़ पर रहने वालों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हो सके और उनका पिछड़ापन दूर हो सके। इसके लिए उनको सहायता देने और योजना बनाने की आवश्यकता है। अक्सर देखा गया है कि मैदानी क्षेत्रों में रात में जो पहरेदारी करते हैं, उनमें से ज्यादातर पहाड़ के लोग होते हैं। वहां रोजगार नहीं मिलता है, वहां पिछड़ापन और गरीबी है, इसकी वजह से लोग पहाड़ों से उतरकर मैदानी क्षेत्रों में आकर रोजगार ढूंढते हैं। आपको हर जगह काम करने वाले ये लोग मिल जाएंगे। इसलिए अगर यह बोर्ड, राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड, बन जाए तो मेरे ख्याल से इन तमाम बातों की निगरानी हो सकेगी, उन योजनाओं पर जो धन लगेगा, उसका सही उपयोग होगा जिससे वहां विकास हो सकेगा और वहां पर जो तमाम आपदाएं आती हैं, उनके कुप्रभाव को रोका जा सकेगा। इस बोर्ड में ऐसे लोग हों जो वहां के स्थानीय लोग हों, स्पेशलिस्ट हों, इन आपदाओं से सम्बन्धित जानकार लोग हों। ऐसे लोगों के बोर्ड में होने से वहां पर विकास या प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए अच्छे सुझाव आ सकेंगे। मेरे ख्याल से इससे यह बोर्ड अपने आप ही एक सार्थक रूप में परिणत हो जाएगा।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस संकल्प पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कश्यप जी, जिन्होंने इस संकल्प को प्रस्तुत किया है, को और आपको धन्यवाद देता हूं। आपको भी इसलिए कि जब इस सर्वोच्च सदन में देश के पिछड़े क्षेत्र, उपेक्षित क्षेत्र पर बहस होती है तो उस एरिया के लोगों के मन में कितनी उत्सुकता होती है कि हमारे सवालों पर लोक सभा में चर्चा हो रही है। मैं उनके इस प्रस्ताव का समर्थन भी करता हूं। इसका कारण यह है कि पिछली सरकार में एक कामन मिनिमम प्रोग्राम बना था, जिसके आधार पर पिछले पांच साल हुकूमत चली थी। मैं नहीं जानता हूं कि वर्तमान हुकूमत इस कामन मिनिमम प्रोग्राम से पीछे हटना चाहती है या उस पर कायम रहना चाहती है। उसमें कहा गया था कि रीजनल डिसपैरिटी दूर करने के लिए हम सारे उपाय करेंगे। फाइव इयर्स प्लान लागू करने में जो राज्य डिसएडवांटेजियस पोजीशन में रहा, उसकी भी हम भरपाई करेंगे। इन दो सूत्रों को मैं याद कराना चाहता हूं। माननीय सदस्य का यह जो सवाल है कि उस एरिया के विकास के लिए बोर्ड बने और प्रधानमंत्री जी उसकी अध्यक्षता करें, क्या इन दोनों सूत्रों से यह प्रतिपादन और समर्थन नहीं होता है कि यह बोर्ड बनना चाहिए। मेरे ऐसा कहने के तीन कारण हैं। मैं डा0राम मनोहर लोहिया को याद करता हूं। जब अरूणाचल के क्षेत्र में वे उस समय गए थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने उसे उर्वशियम नाम दिया था, बाद में अरूणाचल नाम पड़ा। वहां पर गांव बूढ़ा प्रथा और प्रणाली हिन्दुस्तान की संस्कृति में है। जो सबसे पवित्र और ऊंचे स्थल पर हमारे देवी-देवता बिराजते हैं। जैसे कश्मीर में अमरनाथ है और उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम हैं। पूरा हिमालयी क्षेत्र सीमा क्षेत्र है और कई देशों से हमारी पहाड़ी सीमाएं लगती हैं। चीन की सीमा पर भी हमारा पवित्र स्थल है। हिमालयी क्षेत्र से हमारी कई नदियां निकलती हैं। वहां पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है। यह जो हमारा खजाना है, जब यह पिघलता है तो वहां से इन नदियों के रूप में हमें पानी मिलता है।

अभी हमारे अरुणाचल प्रदेश के माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनके यहां 56,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। हमारे पूरे हिमालय के क्षेत्र में अगर नदियों पर बांध बनाकर 5,000-7,000 मेगावाट के प्लांट लगाए जाए तो इनसे हमारे देश को डेढ़ लाख मेगावाट बिजली मिल सकती है। शर्त यही है कि इस क्षमता का हमें ईमानदारी और मेहनत से उपयोग करना पड़ेगा, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। पहाड़ी राज्यों में पन-बिजली का भी बहुत बड़ा स्कोप है। इसके माध्यम से भी हमें बहुत बिजली मिल सकती है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो देश में बिजली की कमी नहीं रहेगी।

इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में भारी मात्रा में प्राकृतिक सम्पदा है। जम्मू-कश्मीर से लेकर नार्थ-ईस्ट तक जो पूरा हिमालयी क्षेत्र है, वहां पर अपार मात्रा में प्राकृतिक सम्पदा विद्यमान है। लेकिन हमारे हिमालयी

क्षेत्र की जो खूबियां है, उनका इस्तेमाल और खनन ठीक से नहीं हुआ, उनकी अनदेखी हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास और वहां की समस्याओं पर मैं बाद में आऊंगा।

हमारा पहाड़ी इतिहास और कल्चर बताता है कि ऊंची जगहों से नदियां समतल इलाकों में आती हैं। पूरे हिमालयी क्षेत्र में हमारे पवित्र स्थल विद्यमान हैं। एक तरफ कैलाश पर्वत है, जहां भोलेनाथ जी का निवास है। इसके अलावा सभी देवी-देवताओं के पवित्र स्थल इस रीजन में हैं। पूरा हिमालयी क्षेत्र इन पवित्र स्थलों से महामंडित होकर हमें गौरवान्वित करता है। वहां पर असंख्य कीमती जड़ी-बूटियां हैं। वहां के लोगों को जीवनयापन करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताओं का वहां अभाव है।

जब हम देश की योजना बनाते हैं तो पहाड़ी इलाके का समुचित खयाल नहीं रखा जाता है। अभी तो एक ही राज्य को स्पेशल केटेगरी का स्टेटस दिया गया है, जबकि पूरे हिली एरिया को, आदिवासी बाहुल्य इलाकों को, जहां पर परकेपिटा इनकम लो हो, उन्हें भी स्पेशल केटेगरी का स्टेटस दिया जाना चाहिए। मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ स्पेशल केटेगरी का स्टेटस दे देने से ही वहां के लोगों की जनाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। इसके लिए हमें क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना होगा। इसलिए माननीय सदस्य द्वारा जो यह संकल्प लाया गया है, यह बहुत जायज है। इन क्षेत्रों की तरफ सरकार को फोकस करना चाहिए। हमारा पूरा पहाड़ी एरिया सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पांच देशों की सीमाएं इस क्षेत्र से लगती हैं। हिमालयी क्षेत्र की सीमा 4,000 किलो मीटर तक फैली हुई है। जिसके साथ चीन, बर्मा, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान देशों की सीमा लगती है। इसलिए हमारा यह बॉर्डर एरिया सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए देश के इस भाग की ओर हमें उत्कृष्ट ढंग से ध्यान देना पड़ेगा। यह हिन्दुस्तान की सुरक्षा का भी सवाल है।

मैं बॉर्डर एरिया में गया था। वहां लोगों ने बताया कि उधर चीन की तरफ तो बहुत बिजली आती है, लेकिन इधर हमारे यहां बिजली की समस्या है। वैसे तो बॉर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम इन इलाकों के लिए बनाया गया है, लेकिन वह संतोषजनक नहीं है। माननीय सदस्य ने जो राष्ट्रीय हिमालयी विकास बोर्ड बनाने की बात कही है, वह जायज है। अगर यह नहीं बनेगा तो उस क्षेत्र के विकास में काफी दिक्कत पैदा होगी।

आज जब हम कोई कानून या योजना बनाते हैं, तो पूरे देश के लिए बनाते हैं। हमें देश में कहीं सड़क बनानी है तो यह देखते हैं कि उस पर कितना खर्च होगा। समतल इलाकों में सड़क बनाने पर ज्यादा खर्च और दिक्कत नहीं होती। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाई जाए तो वहां बहुत सी दिक्कतें और खर्च भी ज्यादा आता है। वहां सड़क बनाने की कीमत समतल इलाके से दोगुनी-चौगुनी तक हो जाती है। इसलिए हमें पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर योजना बनानी चाहिए। अभी एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि वे लोग समुद्र तल से 30,000 से 40,000 फीट ऊपर तक रह रहे हैं। इतनी ऊंचाई पर लोग बसे हुए हैं, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, यह चीज हम लोग सोच नहीं सकते। वहां पर क्या स्थिति होती होगी, यह इसी से पता चल जाता है कि जम्मू-कश्मीर में कुछ इलाके कई महीने तक बर्फ से आच्छादित रहते हैं। वहां तक अनाज और दूसरी आवश्यक चीजें पहुंचाने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए पूरे देश के लिए एक कानून या एक योजना बना दी जाएगी, तो फिर यह क्षेत्रीय असंतुलन को ही बढ़ावा देने वाली बात होगी। जो समतल इलाके के या समुद्र के किनारे पर बसे हुए नगर हैं, वहां तो अनाज और दूसरी वस्तुएं आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं, लेकिन पहाड़ी और दुर्गम स्थानों पर नहीं पहुंचाई जा सकतीं। इस तरह से अगर समुद्री तट पर कोई सामान बाहर से आएगा तो उसका भाव एक समान भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों तक जाते-जाते उसका भाव काफी बढ़ जाएगा, जो वहां के लोगों की पहुंच से दूर होगा। इसलिए वहां तक कैसे सस्ते दामों पर और उचित मात्रा तथा समय पर सामान पहुंच, सरकार को यह देखना चाहिए।

मैं माननीय सदस्य द्वारा रखे गए इस संकल्प का समर्थन करता हूं। हिमालयी क्षेत्र से आए कई सदस्यों ने जो सवाल उठाए हैं, पहाड़ों पर जो लोग बसे हुए हैं, उन्हें जो दिक्कतें हैं और जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उसे कैसे दूर किया जाए, यह देखा जाना चाहिए। पहाड़ों पर अक्सर लैंडस्लाइड होने के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं। उधर के लोग छटपटाने लगते हैं कि आवागमन बंद हो गया। उसी तरह से बर्फ पड़ती है, ओले पड़ते हैं, आंधी आती है, भूकम्प आते हैं। हिमालयी जोन भूकम्प वाला इलाका है जिसे लोग साइज़्मिक जोन कहते हैं। उत्तरकाशी में जब भूकम्प हुआ था तो न जाने कितने लोग मर गये थे। इसलिए वहां भौगोलिक कठिनाइयां हैं, पहाड़ के लोग, समतल जमीन पर रहने वाले लोगों के मुकाबले कठिनाइयों में रह रहे हैं। इसलिए भारत सरकार को उन लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उस एरिया पर विशेष रूप से खर्च करने का प्रबंध करना चाहिए। तभी उस एरिया का विकास और जन-आकांक्षाओं की पूर्ति हो सकती है।

वहां पर न जाने कितनी जड़ी-बूटियां ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल की लोगों को जानकारी नहीं है और वे जड़ी-बूटियां खत्म हो रही हैं, उनका विध्वंस हो रहा है। उनके इस्तेमाल और बचाव का प्रबंध सरकार को करना चाहिए।

वहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बिहार में चापाकल 15-20 फीट पर लग जाता है और 15 फीट पर बिहार में पानी है तथा 20 हजार में बढ़िया चापाकल लग जाता है , लेकिन पहाड़ के लिए हम 10-20 हजार ही देंगे तो कैसे चलेगा? हिमाचल में एक चापाकल लगाने में सवा लाख रुपया लगता है। इसीलिए वहां की परिस्थितियां अलग हैं। पहाड़ पर पीने के पानी का बहुत संकट है। उत्तराखंड में वाटर की क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कहीं-कहीं पानी की स्कैअरसिटी की प्रॉबल्म हो जाती है, जहां झरना नहीं है, पानी का स्रोत नहीं है। जैसे नीचे से सामान ऊपर ले जाने में कठिनाई होती है उसी तरह से पानी ले जाने में भी कठिनाई होती है।

सभापति महोदय : नैक्स्ट रैजोलूशन वाटर स्कैअरसिटी के बारे में है, आप उस पर बोल सकते हैं, अब भाषण खत्म कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह सम्यक विषय है, हिमालयी रीज़न में हमारे 12-13 राज्य हैं और इन सभी राज्यों में जनता की जो समस्याएं हैं उनमें पानी की भी एक विकट समस्या है। दूसरी सड़कों की समस्या है, उनके यहां बिजली सब जगह नहीं है। सोलर की बात की जाती है लेकिन सोलर सिस्टम किस तरह उनके यहां पहुंचेगा। वहां पर पढ़ाई के लिए कोई मास्टर नहीं रहना चाहता, डाक्टर नहीं रहना चाहता। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, सभी तरह की कठिनाइयां वहां पर हैं। इसलिए माननीय सदस्यों को हमने धन्यवाद दिया है और हम भी मजबूती से उनका समर्थन करते हैं। संविधान हमारा बोलता है कि रीज़नल डिस्पैरिटी दूर हो होगी और जो राज्य ट्रॉपिकल डिस-एडवांटेज पोजीशन में हैं उनकी विशेष सहायता की जाएगी। पंचवर्षीय प्लान लागू होने में जो राज्य पिछड़ गये हैं, जो इलाका पिछड़ गया है उसे विशेष सहायता दी जानी चाहिए, ऐसा हमारा संविधान बोलता है। इसलिए सभी दृष्टिकोणों से, ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामरिक कारणों से ऐसे राज्यों की विशेष सहायता की जानी चाहिए।

अगर भोलेनाथ शिव के कैलाश पर्वत का विकास, वहां के लोगों का विकास नहीं करेंगे तो क्या हमें हमारी संस्कृति माफ करेगी। बद्रीनारायण वहां पर हैं, तवांग मठ में गया हूं जो सीमांत इलाका है। नाथुला बार्डर पर चीन की फौज पहरा करती है और इस ओर हमारी फौज पहरा करती है। इसीलिए सभी दृष्टिकोणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय सदस्य का प्रस्ताव जायज है और कोई उसका टैक्नीकल नाम-अथॉरिटी हो, बोर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस ओर विशेष फोकस सरकार का होना

चाहिए। डा. लोहिया ने उस समय कहा था कि हिमालय बचाओ। उसका क्या मतलब था? हिमालय के एरिया में पहले तो गलत भूगोल पढ़ाया गया कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, हिमालय तो हमारे हिंदुस्तान में ही है। इस चौहद्दी पर हम सख्ती से एतराज करते हैं, हिमाचल और हिमालय तो हमारा है।

सभापति महोदय, हिमालय हमारे देश का अंग है। अरुणाचल प्रदेश में मैं गया था। कितना कंचन पानी वहां की दिवांग नदी, सियांग नदी से निकलता है। सिक्किम में से तीस्ता नदी निकलती है। एक-एक जगह पर चार-चार हजार मेगावाट पनबिजली उत्पन्न करने की क्षमता है। हिंदुस्तान में स्केरसिटी आफ पावर इसीलिए है, क्योंकि हिमालय में पनबिजली की जो क्षमता है, उसका इस्तेमाल हमने नहीं किया। इस बात पर पूरा फोकस किया जाना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए हमें सोचना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में एक जानवर है, उसके रूएं होते हैं, जिसका नाम याक है, उसका कान छेद दिया, तो वह फ्री मिल जाता है और उस पर निशान बन जाता है कि वह किस किसान का है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान होते हैं, हमारे यहां मुखिया बोलते हैं, लेकिन वहां नार्थ-ईस्ट में गांव बूढ़ा कहते हैं। वहां लॉ एंड आर्डर की कोई प्रोब्लम नहीं है, वहां इतने निश्चल लोग हैं। वहां किसी प्रकार के अपराध नहीं होते हैं।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम पूरा समर्थन करते हैं। पहाड़ के उस भू-भाग पर जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए। वहां भोलेनाथ, बद्री नारायण, बद्रीनाथ, शंकर भगवान और बाबा अमरनाथ तथा तमाम मठ, उधर नागालैंड और मणिपुर वहां कितनी बिजली पैदा करने की क्षमता है। मैं सभी बातों का समर्थन करते हुए सरकार से आग्रह करते हैं कि आपको इसे लाने में कठिनाई होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो पालिसी कॉमन मिनीमम प्रोग्राम की चली है, उससे पीछा नहीं हटना चाहिए। रीज़नल डिस्पेरिटी दूर करनी चाहिए और फाइव ईयर प्लान के तहत करेंगे, यह कांस्टीट्यूशन का मैनडेट है। इससे सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए और इसे करना चाहिए। उन लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि हिंदुस्तान में हम लोगों का महत्वपूर्ण स्थान है और उनके विकास की अनदेखी नहीं की जा सकती है। सूर्य सबसे पहले वहां उदय होता है और विकास सबसे बाद में वहां होता है। हम इसका समर्थन करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि तुरंत विचार करके नारायणसामी जी तुरंत प्रस्ताव ले आइए। यह बताइए कि हम रीजनल डिस्पेरिटी दूर करने के लिए और हिमालय के लोगों के समर्थन में हम लोग खड़े हैं। इससे देश में एकता बढ़ेगी और देश मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री निनोंग ईरींग (अरुणाचल पूर्व): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि विरेन्द्र कश्यप जी ने राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा है, मैं भी इसका समर्थन करता हूं। तत्पश्चात् मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत गर्व है कि चालीस साल पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व सरकार में मेरे स्वर्गीय पिताजी डॉ. डाइंग ईरींग ने उपमंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए मुझे आपके सामने आने का मौका मिला है। समय की पाबंदी के कारण मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारे क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश की समस्याओं के बारे में मैं जरूर कहूंगा। वहां के इलाकों की सुंदरता के बारे में तो कोई दो राय नहीं हैं। हम उस राज्य से आते हैं, जहां सूर्य की किरण सबसे पहले हमारे देश भारत की पूज्य धरती को चूमती है।

<u>16.30 hrs</u> (Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

उस राज्य से हम आते हैं जहां जितने तीर्थ स्थान हैं चाहे वे परशुराम कुंड में हो, या मालिनी धाम में हो चाहे दिशमग नगर हो चाहे वह तवांग की मोनेस्ट्रीज हो, वहां की जो सुन्दरता है, उसकी तुलना किसी के भी साथ नहीं की जा सकती। यह जो सुंदरता है, वह पर्यटकों के लिए है और आप सब को भी हम न्यौता देते हैं कि आप इसे देखें और उनकी जो कठिनाई है, उसे भी आप देखें। ऐसे-ऐसे गांव हैं, जहां 15 दिन पैदल चलने में लगते हैं।

यातायात की जो असुविधा है, वहां के लोगों की जो लोकल समस्याएं हैं, उनको भी देखना होगा। वहां के लोग काफी कठिनाइयों में रहते हैं और जैसा मेरे दोस्त सांसद संजय तकाम ने कहा कि हमारे ऊपर चीन की नजर है। चीन हमारे ऊपर इतनी बुरी नजर रखे हुए हैं कि हमारे जो भूतपूर्व सांसद थे, उन्होंने भी इस सदन में बहुत बार इसकी चर्चा उठाई और अभी भी मैंने सुना कि एशियन डैवलपमेंट बैंक का हमारे उधर इन्हीं योजनाओं से संबंधित एक प्रोग्राम होता था, चाहे वह ऊर्जा शक्ति का हो चाहे यातायात का हो, चाहे अर्बन डैवलपमेंट का हो। इसलिए ये जो हम कार्यक्रम ले रहे हैं, मेरा वित्त मंत्री जी से और गृह मंत्री जी से भी अनुरोध होगा कि ये जो समस्याएं हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इस बारे में भी आप कुछ उपाय सोचें क्योंकि We are an integral part of India. We never had any relations with China. हमारा जो नैतिक रिश्ता है, हम तीन सीमाओं पर आपके रक्षक हैं। एक और भूटान है, दूसरा तिब्बत और तीसरा म्यंमार है। हमारा जो तवांग है, वहां पर चीन दबाव लगा रहा है, जो एशियन गेम्स थे, उस विषय में भी आप जानते हैं कि उन्होंने कैसे हमारे ऊपर दबाव डाला यहां का जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, उसमें भी दबाव डाला। जब हमारे ऊपर दबाव पड़ता है तो हमें भी बहुत दुख होता है।

राष्ट्रीयता के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में यदि आप जाएंगे तो वहां नमस्ते, गुड मार्निंग नहीं कहेंगे। जब वहां लोग आते हैं तो हम उनका जयहिन्द से स्वागत करते हैं। जब भी कोई अतिथि आएंगे, जब भी दिल्ली से लोग वहां जाएंगे, हमारे मंत्री साहब वहां गये हैं, वहां हम जयहिन्द कह करके ही लोगों का स्वागत करते हैं। जो नेशनल इंटीग्रेशन के विषय में सोचते हैं, I think, we do not have that national integration anywhere in India. हमारा फासला बहुत है लेकिन हमारी जो विचारधाराएं हैं और इस देश के साथ हमारा जो अटूट प्रेम है, वह शायद किसी भारतीय के पास नहीं होगा। इस बात को मैं तहेदिल से कह सकता हूं।

हमारे बहुत सारे दोस्तों ने ऊर्जा शक्ति के विषय में कहा। हमारे वहां पांच बड़ी-बड़ी नदियां हैं। वे कामिंग, सुबनसरी, सियांग, दिवांग और लोहित है। इसमें कामिंग और सुबनसरी में हाइडल इलैक्टरीसिटी का काम शुरु हो चुका है। इससे हमें कुछ सालों में जरूर बिजली उपलब्ध हो पाएगी। हमारी जो सियांग नदी है, और मानसरोवर से शुरु होती है, Siang river starts from Mansarover. यह पूरा चीन होते हुए अरुणाचल प्रदेश में ही आती है। इस नदी से ही हमें 12000 मेगावॉट की क्षमता मिल सकती है। यहां रोज हम बिजली के बारे में अखबारों में पढ़ते हैं और रोज यहां चर्चा चलती है, आज आप सुबह के ही प्रश्न देखिए, ज्यादातर तो बिजली के ही बारे में पूछ गये हैं । इससे आप सोच सकते हैं कि हमारे वहां से जो कंट्रिब्यूशन होगा, 56000 मेगावॉट होगा। We are going to give 56,000 MW as a gift to the people of India.

हम जानते हैं कि इससे हमारी बिजली की समस्या को सुधारने की पूरी कोशिश होगी। लेकिन केंद्र सरकार को हमारे प्रति सहानुभूति का नजरिया रखना होगा। हमारे बहुत से सांसद दोस्तों ने कहा, खास तौर से हमारे साथी, जो आज नहीं आए हैं, उन्होंने चर्चा की थी कि यहां एक पानीबम बन रहा है, रंगा नदी पर छोटा सा 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा - असम में बहुत तकलीफ होती है, वहां बाढ़ आती है। जब हम छठी-सातवीं क्लास में पढ़ते थे तो टीचर पढ़ाते थे -

"Brahmaputra is the river of sorrow. But it may be controlled and made into the river of joy only when these multipurpose projects are taken up."

इसका प्रयोग सिर्फ पन बिजली के लिए ही नहीं बल्कि इरीगेशन परपज़ के लिए हो, वाटर-वेज़ में हो जा सकता है। हम सीधा कहते हैं कि जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसमें पन बिजली या ऊर्जा शक्ति की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर इसमें सब समर्थन करें तो वहां के बाढ़ से पीड़ित लोगों को

राहत तथा सुविधाएं मिलेंगी और हम ब्रह्मपुत्र को रिवर ऑफ सॉरो कहते हैं लेकिन तब it will become the river of joy.

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैंने नियम 377 के अधीन प्रस्ताव रखा था जिसका जवाब वन मंत्री जी से मिला, इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे लिए सोचा। मेरा अरुणाचल प्रदेश को एक हरित आंदोलन क्रांति केंद्र का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था क्योंकि हमारे यहां 83 प्रतिशत जमीन पर वन हैं। इनमें बहुत सी जड़ी-बूटियां और पेड़-पौधे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिफलेशन, ग्लेशियर मेल्टिंग, वाटर डिक्रीज एंड टेम्परेचर राइज को कन्ट्रीब्यूशन देते हैं इसलिए वहां वनों को कायम रखा हुआ है और हम इसकी चौकीदारी करते हैं। हम यहां चाय बागान, फल फूल का उत्पादन करते हैं। यहां कीवीज़, सेब और स्ट्राबेरीज़ मिलती हैं। वे लोग जो कृषि विभाग में काम करना चाहते हैं, उन्हें इन वनों को सुरक्षित रखने के लिए एक अलग रास्ता दिखाना चाहिए। इस प्रकार से हम दूरदराज और पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याएं हल कर सकते हैं। हमें इसके लिए स्पेशल पैकेज, बोर्ड, जैसे डोनर, एनईसी हैं, के द्वारा दिया जाना चाहिए। अगर हम बोर्ड बनाएंगे तो वहां के लोगों को राहत मिल सकती है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं - हमारे फासले बहुत दूर हैं लेकिन मंजिलें बहुत ज्यादा हैं लेकिन भारत देश के प्रति हमारा दिल, दिमाग, विचारधारा, संस्कृति और परंपराएं अंग-अंग में भरी हुई हैं। मैं इस सदन के संदर्भ में कहूंगा - बूंद, बूंद पानी से सागर भरता है और इस सागर के बीच मैं भी एक छोटी सी बूंद हूं। इसके साथ मैं एक और छोटी सी बात कहूंगा - अमन्त्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम नौषदम, अयोग्य पुरुष नास्ति, योजक तस्त दुर्लभ।

DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Mr. Chairman, Sir, I am delighted to participate in this Resolution moved by hon. Member, Shri Virender Kashyap, though this is opposed by hon. Member. Shri B. Mahtab. In his view, he is supporting the States. But I am supporting the Resolution to constitute the Board.

I would like to draw the attention of the hon. Minister, Shri Narayanaswamy. He can very much draw the attention of hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh because he comes from Assam. Assam is beneath the Himalayan Ranges. But I would like to draw his attention to constitute this Board for the greater interest of the people and the country as a whole. The country is not being ruled by, we people alone. The country is being governed by those who are meditating in the Himalayan caves, which are well protected. Lakhs and lakhs of Sanyasis are there meditating in the Himalayan caves. Nowhere it is happening in the globe. I am of the same opinion, which Dr. Raghuvansh Prasad Singh expressed that Kailash is not under us. If you have to go to Kailash, you have to go there *via* Kathmandu. It will take another 15 days to reach there. It took me about three months to go there. Now it is under China. I had been to that place. Once if you go there I can tell you, you can see the real *Gandharvas,* angels. They usually come from the heavens and take bath in the holy Manasarovar. They are the only golden birds in the globe roving their wings and descending the seat of orderliness, ever pervading there. There, you can see the nature where your mind may take you to attend the paragon of excellence, for the beauty is beautified there. The place is such that it has a mention in the *Ramayana.*

Once upon a time, prior to Madam Curie, who invented mercury, there was a herbal medicine invented by Dhanvantri for curing Ravana who was infected with cancer. That medicine was the dung of the golden birds, which was collected from Manasarovar. It cured the cancer of Ravana. So, every herbal that we are discussing is really related to Manasarovar. It is no more with us.

The same thing happens in Amarnath. Nowhere in the globe have we had the biggest Linga. नमामि श्मीशान निर्वाण, रूपम, विभूं, व्यापकम, ब्रह्म, वेद, स्वरूपम, नीजम, निर्गुणम, निर्विकल्पम, निरीहम्, चिदाकाशं , आकाश, वासम, भजेहम्, you cannot see such beautiful nature's galore. The only place is Amarnath.

The next place you have quoted is Badrinath. What is happening in Badrinath? Is any State granting money to protect Badrinath? There will be a possibility of stampede any day because of a very long queue. That is the only place where hot water spring is there. There is no proper road. Recently our Oriya people had died. Nobody was there to protect them. They had not taken proper care in spite of our Chief Minister Mr. Naveen Patnayak reminding them again and again that those people were from the Ganjam district. Similarly, many tourists are dying. Who is paying proper attention to protect their lives?

The same thing happened to Kedarnath having the biggest Shiva Temple, Jyotir Linga. In India, there are 12 Jyotir Lingas and Kedarnath is the first Jyotir Linga. It is a famous holy place. I would like to draw your kind attention to one thing. I had once paid a visit there and found that due to frequent flying of helicopters, the bears are dying; the peacocks are dying; and the nature's other animals are also dying. The horses are also dying. So, we do not know how the State Government is going to protect the holy places of Himalayan ranges from Gangotri to Jamunotri. From all the places where one can meet the divine spirit, the spiritual soul of the country is to be protected.

Sir, I have written a book on Himalayan Ranges also. Once upon a time, prior to my joining Legislature, I was there meditating in the Himalayan caves. Though I am the Yogi of cave variety, I believe in the yoga of absoluteness. I had been meditating in the Manikund hill ranges for about six years. I am still remembering those days. I am quoting only a few lines from this book.

Sir, this book is titled – 'Horizon of my Himalayan Dawn'. This book has been translated in six languages throughout the globe. It is published in

Bangladesh. It is the fifth international edition. Though it contains so many stanzas, I am quoting only one :

"Her bare body dances before my eyes,
Epitomizing the absolute bliss of chastity
Allures me to embrace her body.
The romantic sweetheart kisses
The songs of agony, her Jealousy and wrath
Robbing me of my winter.
She comes to me with silent steps
To my corridor-cave with her cold palm
And with red-veined sunrays
And composes the symphony of life."

This feeling itself is vibrating the life and this feeling is vibrating the mind also and this is how your mind may take you to that feeling of par excellence, where your mind is transcended, where your thinking is transcended and your mind may come in contact with pure thought, to witness that purity, to take your mind to the Heavens. Sir, if you have been there, you may be knowing that their condition is not good. If you have not been there, please go and see other places – from Kedarnath, Badrinath, Amarnath etc. All are the Hills of Lord Shiva, we have to protect the place of crescent. If those places are not being protected, it will be difficult to pass on this heritage to the next generation.

The condition of the roads, particularly to Kedarnath, is bad. We need development of that road immediately. It is a zig zag way. If somebody goes to see the Badrinath temple - the place of Lord Vishnu in India - it will be difficult for him to go there.

Therefore, we need that there should be a National Board. It is because the State Government is not protecting the nature and the State Government has failed to protect the nature. Therefore, I would request you to constitute one National Board immediately to protect not only the nature but also the holy places and to see that development of that region is ensured.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, I am grateful to you for having given me this opportunity to reply to the very lengthy debate. Also, I am grateful to the hon. Member Shri Virender Kashyap for having brought a very important subject for discussion in this House. He wanted the constitution of a National Board for the Himalayan States for the development of the region. He has also mentioned the reasons like earthquake, cloudburst, cyclone, flood etc. which are causing damage to the lives of the people and also their property, loss of cattle etc. He is of the opinion that to remove the socio-economic backwardness of that region and also for development of that region, this National Board for the Development of the Himalayan States has to be formed.

I heard the spiritual speech by the hon. Member and also by the Members from the North-Eastern States and also from hon. Members from Orissa for and against forming the Board. Sir, about twenty hon. Members have participated in the debate. Shri Satpal Maharaj, Shri Anurag Singh Thakur, Shri Vijay Bahuguna, Dr. Rajan Sushant, Shri Adhir Chowdhury, Shri Ramen Deka, Shri K.C. Singh 'Baba', Shri Joseph Toppo, Shri Pradeep Tamta, Shri Tathagata Satpathy, Shri Om PrakashYadav, Shri Prem Das Rai, Shri Thangso Baite, hon. Member from Manipur Dr. Thokchom Meinya, hon. Member from Orissa Shri B. Mahtab, hon. Member from Arunachal Pradesh Shri Sanjoy Takam, hon. Member from UP Shri Shailendra Kumar, Dr. Raghuvansh Prasad Singh from Bihar, Shri Ninong Ering and lastly Shri Prasanna Kumar Patasani spoke in this debate.

DR. PRASANNA KUMAR PATASANI : It is Dr. Prasanna Kumar Patasani.

SHRI V. NARAYANASAMY : Yes, I mentioned the name. Dr. Patasani.

Valuable suggestions have been given by the hon. Members. While considering the Resolution that has been brought by the hon. Member, we have to see the background as to whether we are having enough mechanism for developing the North-Eastern States and if the mechanism is there, whether we can strengthen it and if the mechanism is not sufficient, whether we can go in for a Board for the Development of the Himalayan States.

First of all, I would like to submit to this august House that the Government of India has formed the North Eastern Council. The North Eastern Council is headed by the Minister of DoNER and the Chief Ministers of the respective States are also there as members. Actually, the North Eastern Council was constituted in the year 1971. The mandate given to this Council is similar to that of the formation of the National Board for Development of Himalayan States. According to the mandate given to that Council, it is to formulate and forward proposals, for securing the balanced development of the North Eastern Areas, a unified and coordinated Regional Plan, which will be in addition to the State Plan, in regard to matters of common importance to that area, and prioritising the projects and schemes included in the Regional Plan and to recommend stages in which the Regional Plan may be implemented. The very important thing is to review from time to time the implementation of the projects and schemes – that is what the hon. Member wanted – included in the Regional Plan and recommend measures for effecting coordination among the Governments of the concerned States in the matter of implementation.

Another important aspect is to review the progress of expenditure incurred for various Regional Plans and the implementation, and then give suggestions for the speedy implementation of the projects and recommend to the Government of the State concerned or to the Central Government the undertaking of necessary surveys and investigations for future projects. Therefore, the North Eastern Council has been given wider powers to coordinate for the purpose of preparing the Regional Plan and, when allocation of funds is made, to see that it is being

implemented properly. They have also to supervise from time to time and if any modification is required, this body is recommending the same to the Government – State Government as well as the Central Government – for the purpose of speedy implementation of projects in the Himalayan region.

As the hon. Member has suggested, you might be knowing Sir, that actually there was no Ministry earlier for the purpose of administering the North Eastern Region. The DoNER was formed and its main job is to look after the North Eastern Region. Whenever the proposal comes from the State Governments for any scheme or project, the duty of the DoNER is to allocate the funds and, thereafter, to monitor it. So, the Central Government's Department is also monitoring it. This is also being done.

Apart from that, the third layer for the purpose of considering how the backward regions can be developed is the Backward Region Grant Fund. The Backward Region Grant Fund has been given by the Government for the balanced growth in all the districts of this country. In 27 States, the backward regions have been identified and also the backward areas in the North Eastern region. In Himachal Pradesh, Chamba and Sirmour have been identified. In Jammu and Kashmir, Doda, Kupwara and Poonch have been identified. In Manipur, Chandel, Churachandpur and Tamenglong have been identified. In Meghalaya three districts have been identified, namely, Ri Bhoi, South Garo Hills and West Garo Hills; in Mizoram two districts have been identified, namely, Saiha and Lawngtlai; in Nagaland three districts have been identified, namely, Mon, Tuensang and Wokha; in Tripura one district has been identified, namely, Dhalai, in Uttaranchal three districts have been identified, namely, Chamoli, Champawat and Tehri Garhwal; and in Assam 11 districts have been identified. The Backward Region Grant Fund has been given by the Government of India for the balanced growth and development of the districts and the Region. This is the second point.

Thirdly, 100 per cent fund is being provided by the Central Government for implementation of various schemes in the North East Region and also in Jammu

and Kashmir, Uttarakhand and Himachal Pradesh. I would like to mention about the Centrally-sponsored schemes. Firstly, I would like to talk about the National Food Security Mission, and I would like to give the figures for 2006-2007. Earlier, it was having Rs. 4,317 crore, which has been increased because of the cost escalation to Rs. 4,883 crore. Secondly, I would like to talk about the Technology Mission on Cotton, which has Rs. 450 crore; the Integrated Scheme of Oilseeds, Pulses, Oilpalm and Maize, which has Rs. 1,500 crore only for the North East Region; the Technology Mission on Horticulture for the North East Region, which has Rs. 1,500 crore; the Micro Irrigation, which has Rs. 3,400 crore; and the National Mission on Bamboo Technology and Trade Development, which has Rs. 3,400 crore. There are so many schemes that are directly funded by the Central Government for the North East Region.

Apart from this, the Central-sector schemes are also there. Under the Central-sector schemes, the funds are provided by the Government of India. Thereafter, comes the State Budget -- Plan and non-Plan Budget -- for the various schemes given by the Government of India. I would like to give a couple of examples and mention as to how much money is given in it. The Budget for Himachal Pradesh, about which the hon. Member has raised a point, the Plan outlay for 2008-2009 is Rs. 2,400 crore. Apart from this, the special fund that has been provided for Himachal Pradesh by the Government of India is mentioned in Annexure I, and I will submit those figures. As regards Jammu and Kashmir, the Plan outlay for 2008-2009 is Rs. 5,512 crore. Apart from this, in the regular State Plan Rs. 1,012.97 crore have also been given. Further, Rs. 4,775 crore is given in the State of Uttarakhand Budget for 2008-2009. I do not want to go into the figures of each State for the additional Central assistance provided to the States and special Plan assistance provided to the States, but the total amount of Rs. 26,408.5 crore has been given for the year 2008-2009. This is the total amount for it, which includes for the State of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand and the seven sister-States including Assam. … (*Interruptions*)

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): What is the outcome of it? How much has actually been spent?

SHRI V. NARAYANASAMY : I was coming to that point later. From where does the outcome come? I agree with you cent per cent that the major responsibility lies with the State Government.

17.00 hrs.

The State Governments have to ensure the successful implementation of those schemes because the implementing agencies are from the State Governments.

SHRI S.D. SHARIQ (BARAMULLA): Will the hon. Minister inform us about the mechanism and monitoring system of the Central Government towards these funds?

SHRI V. NARAYANASAMY: The hon. Member has raised a very valid question and I would like to answer that point. We are in a federal system. Once again, I will go to Shri Mahtab who has been supporting my case or my argument. In a federal system, whether it is a Central Scheme or a Centrally-Sponsored Scheme, basic monitoring and implementation has to be done by the State Governments. The Central Government has to assist them; the Central Government machinery has to support them. You know about the hue and cry that is raised in regard a Central Scheme or a Centrally-Sponsored Scheme. When the funds are given to the State Governments, whether it is for Sarva Shiksha Abhiyan, National Rural Health Mission, or the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, the implementing agency is the State Government. The Central Government only provides the funds, and the State Government gives the report. Then, who has to implement them? The Central Government does not have the machinery to implement these schemes on the ground.

The hon. Member has raised two questions. Hon. Member Dr. Raghuvansh Prasad Singh was the former Minister of Rural Development and he knows what was happening in the States. I do not want to go into that controversy. When the

time comes, we will discuss that in greater detail. There is already a machinery to monitor them. Apart from that, there are special category States where 90 per cent of the funds are given by the Government of India as grant and 10 per cent as loan. That is one system of funding by the Government.

Apart from this, in his Speech at the NDC Meeting, the Prime Minister clearly said that a Task Force would be constituted by the Government for the purpose of reviewing. In the 54th Meeting of the NDC, the Prime Minister suggested a Task Force for analyzing the problems of hill States and hilly areas and for preparation of a proposal for comprehensive development of these States and areas over next three to four years. In the NDC Meeting, it has been concluded that way.

Coming to the concern expressed by the Member from Himachal Pradesh, that is, the court has banned the felling of trees and hence revenue from the forest sources will not accrue to the State, which is one of the major revenues or income which the State Government used to get. Whether it is Himachal Pradesh or Arunachal Pradesh, that is your main concern -- you are not getting that income and, therefore, you want to be compensated. The hon. Chief Minister of Himachal Pradesh wrote to the hon. Deputy Chairman of the Planning Commission in this regard. He wanted Rs. 1,000 crore for Himachal Pradesh, Rs. 1,000 crore for Jammu and Kashmir, and another Rs. 1,000 crore for Uttarakhand. A special fund of Rs. 500 crore has already been given by the Government. The Central Government never shirks its responsibility in helping the State Governments, especially the North Eastern States, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu and Kashmir.

The Central Schemes, the Centrally-Sponsored Schemes, Plan funds, you will have to see them cumulatively keeping in view the population of that region. I agree with you that it has a difficult terrain. They have beautiful locations where you can develop tourism, and better roads can be built there; facilities will have to be provided. You might be well aware that for Sarva Shiksha Abhiyan, National

Rural Health Mission, and the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, the hon. Members from the respective States know about the funds that were provided. The funds are not a problem, as far as the North Eastern States are concerned. The implementation has to be properly monitored. It is not only implementation, but also a speedy implementation of the projects.

The hon. Members have raised one important issue, that is, desilting of the Himalayan rivers because the entire river bed is being filled up with sand, and there is the problem of erosion, etc. But according to the reports, if you desilt those rivers, then when there is another flood, sand gets deposited there. We cannot do it because of the ecological situation in that region. Let us be very practical about it. When we de-silt it, the next year when flood comes, there will be soil erosion. The entire river bed will be affected.

Secondly, some hon. Members have raised a very valid question. The Supreme Court has totally banned the felling of trees. I would like to submit to this august House the observations made by the Supreme Court. The Supreme Court made it very clear that the Act of 1988 did not ban felling of trees but allowed felling of trees in a scientific manner. That was the Act of 1988. The opinion given by the Supreme Court is that even though the proliferation of wood-based industry has been the main cause of degradation of forest in the North-Eastern States, considering the extent of forests, that is 64 per cent of the geographical area and dependence of the local people on forest resources in the region, it is neither feasible nor desirable to completely ban either the timber trade or running of the wood-based industry. This is the observation of the Supreme Court. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forests Rights) Act 2006 passed by this House also mentioned that the dwellers can have the right to ownership, access to collect, use and dispose of minor forest produce. It was not the complete ban. The minor forest produce which has been traditionally collected within or outside the village boundaries has been recognised as also the right granted by any State law or law of any autonomous council.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, the time allotted for this Resolution was up to six minutes past five of the clock. Is it the sense of the House to extend the time for this Resolution till the completion of this Resolution?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: The time on this Resolution has been extended till the completion of the Resolution.

SHRI V. NARAYANASAMY: Coming to the industrial development in the North-East and also in the region including Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Uttarakhand, I would like to submit to this august House that in 1997 the North-Eastern Industrial Policy was formulated and the fiscal package was given. The excise duty exemption was given; income-tax exemption was given and the subsidy on transport of raw material and finished product was also given. Now Himachal Pradesh is enjoying this; Uttarakhand is enjoying it. I think, Uttarakhand is going to have it up to next year. As far as North East is concerned, the industrial policy has been different from the other States. In the case of other States, no concession has been given. The backward States like Orissa, Bihar and even UP have been demanding concession. They are saying that you are giving it to the North-Eastern States, the hilly States, why are you not giving it to us? It is because of that industrial policy, some North-Eastern States have been developing. Some industries have come in Meghalaya. Industrial development is taking place in some regions of Himachal Pradesh. Therefore, for industrial development also, concessions have been given to the North-Eastern States by the Government of India.

Coming to the main aspect of health, education, the road building and apart from that in respect of some States, hon. Prime Minister has given a special package considering the States which are on the border or those States which have to be developed. That aspect also has been considered. Looking into the existing machinery, whether it is the North Eastern Council, whether it is the DONER

Ministry and then the Planning Commission and the Finance Commission have been looking into the financial aspects of these States.

Coming to the implementation part of it, the primary responsibility lies with the State Government and the Central Government is only the monitoring agency through the Ministry and also through the North-Eastern Council.

SHRI B. MAHTAB : Facilitator.

SHRI V. NARAYANASAMY: Yes, we are facilitating. We are supporting the State Governments for the purpose of speedy implementation of schemes.

SHRI B. MAHTAB : Do not act like a big brother but become a facilitator.

SHRI V. NARAYANASAMY: We will never show big brother attitude. I know why Orissa is worried about it.

SHRI B. MAHTAB : It is about all the States.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): The Minister said that the cost is much higher in the hilly region and the allocation of funds is not enough. Most of the things like building of roads and infrastructure are far more expensive than in the plain areas. और जब हमने इसकी बात कही थी कि ऐसा एक बोर्ड बनाना चाहिए जो हिली एरियाज की आवश्यकताओं के अनुरूप काम कर सके। ऐसा कहने और मांग करने का एक कारण यह भी था कि एन.डी.ए. सरकार के समय जो 10 वर्ष का इंडस्ट्रियल पैकेज, वर्ष 2013 तक, हिमाचल प्रदेश को मिला था, उसे यू.पी.ए. की गवर्नमेंट आने के बाद सिर्फ चार साल का कर दिया गया। उसे बढ़ाने के लिए पुनः एक बार मांग करनी पड़ी। उसे आपने केवल तीन साल के लिए और बढ़ाया है और इस प्रकार देखा जाए, तो उसके तीन साल आपने कम कर दिए, यानी वह पैकेज वर्ष 2013 की बजाय, सिर्फ वर्ष 2010 तक रह गया।

जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, उसकी अनदेखी बजट में की गई है। हमने विशेष रूप से कहा था कि जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट को इसलिए दुगना धन दिया जाता है, क्योंकि वहां पर आतंकवाद है। क्या आप यह चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के नौजवान भी हथियार उठाएं, तब उन्हें दुगना धन दिया जाएगा? हिमाचल प्रदेश को केवल 2000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और जम्मू-कश्मीर को 5. 50 हजार करोड़ रुपए दिए जाते हैं तथा किसी मैदानी इलाके के राज्य को 15 हजार करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अगर ऐसा किया जाएगा, तो हमारा इस प्रकार का प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। पानी हमारा प्रदेश

दे, बिजली बनाने के लिए हम अपने हरे-भरे खेतों में पानी भरने दें और बिजली पैदा करें और पूरे देश को बिजली उपलब्ध कराएं तथा पूरे देश के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम वनों का संरक्षण करें। उन्हें काटने से जो रैवेन्यू प्रदेश को मिलता है, उससे हम महरूम रहें और पूरे देश के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अच्छा पर्यावरण दें, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है, विकास की बात आती है, नौकरियां देने की बात आती है, तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को नैग्लैक्ट किया जाता है। हमने केवल हिमाचल प्रदेश की ही बात नहीं कही, बल्कि हमने पूरे नॉर्थ ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, I think you have made your point. This is not a debate. Please let the Minister continue.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the hon. Member says that Jammu and Kashmir and the North-Eastern States are given more funds because of insurgency and terrorism in those States and that Himachal Pradesh is one of the important States which needs to be given more funds. The Planning Commission has got a mechanism to do this. As I have already said, if it is a backward region definitely additional funds will be given by the Government because it has been there in the system. The Backward Regions Grant Fund is there already. Additional funds will be provided to the States when they satisfy those conditions.

As rightly observed, laying of a road in the North-Eastern region will cost more when compared to the plain areas. I agree with the hon. Member. There are no two opinions about it. But as far as funds that have been provided to the North-Eastern region, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, and Uttarakhand, the Government of India is giving funds for the Centrally-sponsored schemes, apart from budget funds. Funds for externally aided schemes have also gone to the States. If all these things are taken together, with the money that has flowed into the North-Eastern States, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, and Uttarakhand, if those States seriously implement the schemes, definitely people there will get all the facilities which are required including drinking water, road, education, health and everything.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR : The funds that have been allocated to Himachal Pradesh have been utilized. More than 100 per cent funds have been utilized.

MR. CHAIRMAN: Le the hon. Minister complete his reply please.

SHRI V. NARAYANASAMY: We are now talking of the Himalayan region as a whole. We are not talking specifically about Himachal Pradesh. I have already mentioned the funds allocated to Himachal Pradesh. The additional Central assistance, special plan assistance, apart from the budget and apart from the Centrally-sponsored schemes, for the entire North-Eastern States, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand come to Rs.11,675 crore.

Total allocation was Rs.26,408 crore for one year alone. They receive the Special Assistance and also the assistance of the Central Government, in addition to all other schemes. Therefore, the funds given by the Government of India are sufficient, satisfactory. There is a monitoring mechanism. There is the North-Eastern Council; there is the Ministry to coordinate and see the implementation of the schemes. Apart from that, Task Force is also monitoring them. All these machineries are available.

I entirely agree with the hon. Member, Shri Mahtab that it cannot be universalised or centralised; it should be given to the States to do it. When you give it to the Himalayan Authority, everything would go there. That would be the only agency that would be looking into everything – the Ministry, the North-Eastern Council, the monitoring system and the funding system by the Planning Commission. All these things will go away. Therefore, I would request the hon. Members on the other side, especially the hon. Members from Himachal Pradesh, the Himalayan Council would become another Board which has been constituted for other things. Therefore, the existing system and machinery are sufficient.

I would request only one thing to the hon. Members from Himachal Pradesh that they should implement those schemes efficiently and effectively for which the funds have been given. That is very important. I have been to

Arunachal Pradesh. I have been to Twang - we saw a beautiful location. Tourism can be developed. Use funds for the development of tourism. Through the tourism sector, you can generate income. The Government of India is having an open mind on that. Hon. Member said that only one agency would monitor. I think, that is humanly impossible. One thing which Shri Mahtab said is also very correct. You are giving to another Central agency, which has so far been done by the State Governments. Only this agency would take care of everything. They will go to the extent of even usurping the powers of the State.

Therefore, I would request the hon. Member, Shri Virender Kashyap who brought this Resolution with the good intention to withdraw the Resolution. Whatever the system that is available; whatever system is working, they are working very well. Hence, I would request him to withdraw the Resolution.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति महोदय, पिछले शुक्रवार को जो मैंने इस सदन में अपना यह रैजोल्यूशन लाया था, उस पर माननीय मंत्री महोदय ने अपना जवाब दिया है, जो कि मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया है। 21 माननीय सदस्यों ने इस सदन में अपनी भावना मेरे प्रस्ताव के साथ जोड़ी है और संसद में एप्रीसिएट भी किया है और उसको सपोर्ट भी किया है। माननीय श्री महताब जी ने आज जो अपनी बात कही, उसमें से आधे भाग में उन्होंने सपोर्ट किया है, किसी कारण से उसमें उन्होंने कहा कि - though he is not from Himachal Pradesh, even then, he has extended his support. कुछ उसमें उन्होंने रिजर्वेशंस रखे हैं।

हमारे जितने भी 11 के 11 स्टेट्स हिमालयन रीजन में आते हैं, उसमें लगभग सभी प्रान्तों में जो माननीय सदस्य यहां पर हैं, खासकर जो हमारे सीनियर सदस्य रहे हैं, जिसमें सतपाल जी महाराज, श्री रघुवंश प्रसाद जी, श्री शैलेन्द्र कुमार जी, श्री विजय बहुगुणा जी और अन्य सभी लोगों ने उसको सपोर्ट किया है। मेरा जो इस बोर्ड को गठित करने के उद्देश्य के लिए रैजोल्यूशन इस हाउस में लाने का था, शायद उसमें माननीय मंत्री जी उसको प्रोपरली समझ नहीं पाये। मेरा मकसद यह था, आप जहां तक कह रहे हैं कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट जो है, केन्द्रीय सरकार है, उसका एक मकेनिज्म है, जो प्लानिंग कमीशन का मकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म के माध्यम से प्रदेश को पैसा जाता है। यह बात ठीक है कि एक मैकेनिज्म सेंट्रेल लेवल पर है। हमारा मकसद यह है कि जो हमारे हिली स्टेट्स हैं, we are not satisfied with the mechanism which has been given by the Planning Commission, so far as our hilly States are concerned. आपने स्वयं कहा है कि हिल स्टेट्स में लाइफ बड़ी स्ट्रगलफुल है। हमें वहां बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। हम पालिटिकल लोग हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि हिली टैरेन में 4,000 से लेकर 15,000 फुट तक की ऊंचाई पर हमें काम करना पड़ता है। 15 हजार फुट की ऊंचाई पर जो रहता है और जो 15 सौ फुट की ऊंचाई पर है, क्या उनके लिए सेम कंडीशंस के आधार पर नीति बनानी चाहिए? क्या प्लानिंग कमीशन उस मैकेनिज्म को बदलेगा? उसे बदलने की आवश्यकता है। This is what I want to stress through this Board. लगभग सभी सदस्यों ने हमें सपोर्ट किया है, माननीय मेहता जी को छोड़कर, लेकिन उन्होंने भी आधे मन से हमारा सपोर्ट किया, बाकी 20 लोगों ने पूरी तरह से हमें सपोर्ट किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहाड़ी क्षेत्र में, our life is full of struggles.

महोदय, मैं अपनी बात करूं। मैं एक पालिटिकल वर्कर हूं। हमें पांच किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और जब हम वहां वोट मांगने जाते हैं, तो वहां के एक गांव में कुल 15 वोट होते हैं। उन 15 में

से 5 लोगों के वोट पड़ते होंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन हमें पालिटिकल वर्कर होने के नाते बहुत परिश्रम करना पड़ता है। वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, जब उनको सड़क पर आना होता है, तो पांच, आठ, दस, पन्द्रह या बीस किलोमीटर चलना पड़ता है। उनके पास सड़कें नहीं हैं, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, स्कूल नहीं हैं। वहां सरकारें काम कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर सरकार ने काम किया है। मुझे यह भी नहीं कहना है कि कांग्रेस की सरकार आयी, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, बीजेपी की सरकार आयी और उन्होंने काम नहीं किया, सभी ने वहां काम किया। परंतु जो भी प्लानिंग बनी हैं, वे यहां पर बैठकर बनी हैं, पहाड़ों को दृष्टि में रखकर नहीं बनी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र के लिए आपको पैरामीटर्स बदलने पड़ेंगे और आज इसकी आवश्यकता है।

यहां नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स की बात आयी। वहां डेवलपमेंट काउंसिल बनी और वहां का विकास हुआ है। विकास इसलिए हुआ है कि वहां अलग से काउसिंल बनी। उसके माध्यम से, वहां के विकास के लिए जो सोच थी, वह बदली है। सोच बदलने के बाद वहां का त्वरित विकास हुआ है। हम चाहते हैं कि चाहे हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, जम्मू-कश्मीर को तो वैसे ही बहुत कुछ मिल रहा है, उसे अभी से नहीं मिल रहा है, आजादी के बाद से मिल रहा है।

महोदय, जहां तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ बेइंसाफी होती रही है। मैंने हिमालयन स्टेट की बात कही है, मैं हिमाचल की बात नहीं कह रहा हूं, परंतु मैं हिमाचल से आता हूं, इसलिए मैंने उसका बीच-बीच में उदाहरण दिया है। मैंने उस दिन के भाषण में पीएमजीएसवाई के बारे में कहा कि वहां उसके माध्यम से पैसा मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सी स्कीम्स हैं, जिनके माध्यम से केंद्र पैसा दे रहा है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है? जो यहां प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग कमीशन में जो लोग बैठे हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा है कि पहाड़ पर जहां चट्टानें हैं, वहां हथौड़ा और छेनी लेकर सड़कें बनानी पड़ती हैं? अगर वहां एक किलोमीटर सड़क बनानी हैं, तो हमें पांच, दस, बीस या पच्चीस करोड़ रूपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि हम मैदानी इलाकों में 25 करोड़ रूपए में 25 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं। आई.पी.एच. की स्कीम्स भी पहाड़ों के लिए बनती हैं।

माननीय मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी एक सेंट्रल स्कीम इंदिरा आवास योजना है। मैं आपको उसका एग्जांपल देना चाहता हूं। इस स्कीम में 38,500 रूपए एक कमरे को बनाने के लिए ब्लाक के माध्यम से पैसा मिलता है, लेकिन क्या आज 38,500 रूपए में कमरा बन जाएगा? हम पांच किलोमीटर की चढ़ाई करके गांव में जाते हैं, सड़क से ऊपर तक हेडलोड द्वारा सामान जाएगा, क्या 38,500 रूपए में उसका मकान बन जाएगा। इस प्रकार की आपकी फाल्टी स्कीम्स हैं। इस विषय में आपको सोचना पड़ेगा। जो लोग प्लानिंग कमीशन में हैं, उनको समझना होगा कि हिमालयन स्टेट्स की अपनी पेक्युलर

समस्यायें हैं। उनसे आपको अवगत होना पड़ेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि apart from any party lines चाहे वह श्रीमती इंदिरा गांधी रही हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, वे जब भी हिमाचल प्रदेश में गए, उन्होंने हमेशा कहा कि आपकी समस्याएं अलग हैं. आपके लिए कोई इस प्रकार का बोर्ड गठित होना चाहिए।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तराखंड की ही बात लीजिए। मध्य हिमालयन के लिए योजना आयोग ने वहां एक कमेटी बिठाई थी। योजना आयोग ने अपने एक सदस्य डा. एस. जयकासिम की अध्यक्षता में 25 मार्च, 1992 को विशेषज्ञों का एक दल गठित किया। हिमालयन क्षेत्र से समन्वित विकास हेतु व्यापक राष्ट्रीय नीति के निर्माण का दायित्व इस दल का उद्देश्य नीयत किया गया। डा. कासिम के अलावा इस दल में योजना आयोग के दो अन्य सदस्यों, डा. जयन्त पाटील कृषि से लिए गए और डा. जे.एस. बजाज स्वास्थ्य से लिए गए, को शामिल किया गया। अन्य सदस्य देश के अग्रणी संस्थानों एवं विश्वविद्यालों से शामिल किए गए थे। जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें कहा कि हिमालयन विकास प्राधिकरण का गठन होना चाहिए। उन्होंने कहा हिमालयन में सर्वांगीण विकास, वहां योजनाओं के ठोस एवं त्वरित क्रियान्वयन के लिए हिमालयन विकास प्राधिकरण के रूप में नई प्रशासनिक व्यवस्था की जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर गठित की जाने वाली ऐसी संस्था का प्रमुख प्रधान मंत्री होना चाहिए। It is to be noted. योजना आयोग के अध्यक्ष सम्बद्ध राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं समन्वित मंत्रालयों के मंत्रियों को भी इसमें जोड़ना चाहिए। इसमें एक संचालन दल भी हो जो योजना आयोग के सदस्य पर्यावरण की देख-रेख में हो। उन्होंने इस प्रकार की अपनी फाइंडिंग्स दीं। यह 1992 की बात है और आज भी यह चर्चा चल रही है। हम इस चर्चा को आज जीवित इसलिए रख रहे हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि केन्द्र से पैसा नहीं मिलता, पैसा मिलता है परन्तु उस पैसे को प्रपोर्शनेट देखना पड़ेगा, यह देखना पड़ेगा कि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, वहां का सोशियो-इकोनॉमिक आर्डर क्या है, वहां लोग किस प्रकार रह रहे हैं। अगर आप इन सारी परिस्थितियों को देखेंगे तो मैं समझता हूं कि स्वयं सरकार, चूंकि यह प्राइवेट मैम्बर्स रैज्योलूशन है, आप मुझे विदड्रा करने के लिए कहेंगे और अंत में मैं भी विदड्रा करूंगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं, परन्तु स्पैसीफिकली कहना चाहता हूं कि आज हमें यहां बैठे हुए लोगों के दिमाग साफ करने पड़ेंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह जी सीनियर मंत्री रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। Whenever you speak in this House, I am deeply influenced by your views. आप हमेशा रूरल डैवलपमैंट और गरीबों की बात उठाते हैं। Though you do not belong to that area पर आप हमारी समस्याओं को समझते हैं। उन समस्याओं को समझते हुए आपने आज यहां जो ईशू उठाए, वे बेहतरीन हैं।

शैलेन्द्र जी भी पहाड़ी क्षेत्र से नहीं आते। सतपाल महाराज जी ने इस रैज्योलूशन को सपोर्ट किया, ऐप्रीशिएट भी किया क्योंकि वे स्वयं इन चीजों को देखते हैं। इन्हें डे टू डे लाइफ में ये समस्याएं सामने आती हैं। इस हाउस में जितने लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि पहाड़ी राज्यों के साथ अन्याय होता रहा है, इसीलिए सैपरेट स्टेट्स की डिमांड हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम ज्वाइंट पंजाब में थे तो हिमाचल के लोगों को, हालांकि शिमला अंग्रेजों की समर कैपिटल होती थी, शिमला के सिवाए कहीं विकास नहीं होता था। हमने फिर कहा कि हमारे स्टेट को पंजाब से अलग किया जाए। जो लोग चंडीगढ़ में बैठते थे या वहां राजधानी में बैठते थे, लाहौल स्पीति, किन्नौर या दूरदराज के क्षेत्र, वे कभी उसके बारे में नहीं सोचते। एक मंत्री अगर कभी उस क्षेत्र में चला जाता था तो ऐसा लगता था कि भगवान हमारे क्षेत्र में आ गए हैं। उत्तराखंड आज अलग क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि लखनऊ में जो लोग बैठते थे, उन्होंने कभी भी उन पहाड़ी लोगों को ठीक दृष्टि से नहीं देखा। आज गोरखालैंड की बात हो रही है। आज वैस्ट बंगाल में ये बातें हो रही हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि केन्द्र में बैठे हुए लोग पहाड़ी राज्यों के बारे में नहीं सोचते।

मेरे साथी ने, चाहे अनुराग ठाकुर हो या डॉ. सुशांत, उन्होंने एक बात सही कही कि उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी लोग बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं। जो भी नीतियां केन्द्र से बनती हैं, उसे हम होल हार्टेडली इम्प्लीमैंट करते हैं। वर्ष 1980 का फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट आया, जिसके तहत हमें जंगलों से एक पत्ता भी काटने नहीं दिया जाता। पहले यदि हमारे किसी प्रिय का देहांत होता था, तो हमें उन जंगलों से पेड़ काटकर उनका अंतिम संस्कार करने का राइट था, लेकिन आज हम वह नहीं कर सकते। मंत्री जी, आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा।

आज हमारी आईपीएच की लाइनें हैं, आप चाहे जितना पैसा दे दो, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आज हमारा एक गांव यहां है, तो दूसरा गांव 20 किलोमीटर दूर है। एक घर यहां है, तो दूसरा घर एक किलोमीटर दूर है। आप जान सकते हैं कि उसमें पाइप की लैंथ कितनी ज्यादा लगेगी। इसलिए आपको इस बारे में आज सोचना पड़ेगा। वैसे सामरिक दृष्टि से हमारी जो हिमालयन बैल्ट है, उसके बारे में आपको अन्य दूसरी दृष्टि से भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मनों की नजरें आज हमारे हिन्दुस्तान की ओर कैसे देख रही हैं, यह सब आप लोगों को मालूम है। इसलिए इस दृष्टि से वहां का समन्वित विकास होना चाहिए, ताकि वहां का नौजवान भी सोचे कि मुझे भी रोजगार दिया गया है। आपने अभी बहुत अच्छा कहा और हम इस बात को चाहते हैं कि वहां के नौजवान को रोजगार मिले।

सभापति महोदय, पहाड़ी क्षेत्रों में आज टूरिज्म का डेवलपमैंट हो सकता है, परन्तु हमारे पास पैसा नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र में डेवलपमैंट नहीं हो सकता, क्योंकि वहां सड़कें नहीं हैं। टूरिस्ट एक बार जायेगा, तो

दुबारा नहीं जायेगा। अगर सड़कें बनानी हैं, तो उसके लिए आपको अलग से प्रावधान करना पड़ेगा। मैं स्पैसीफिकली कहना चाहता हूं कि जब से वहां प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार बनी तब से हमने बहुत से क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में आज हम आगे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश बहुत आगे हैं। हम सब जगह आगे आने का प्रयास कर रहे है, क्योंकि पहाड़ी लोग बहुत सिन्सियरली काम करते हैं। आप यहां पर जो नीतियां बनाते हैं, उन्हें हम होल हार्टेडली इम्प्लीमैंट करते हैं। आपने 1980 में जो फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट बनाया, उसे हम अपने यहां इम्प्लीमैंट कर रहे हैं। आज वहां की सरकार हमें एक भी पेड़ काटने नहीं देती, एक भी पत्ती निकालने नहीं देती। उन वनों और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 लाख करोड़ रुपये है। ये सारी बातें आपको आज देखनी पड़ेंगी।

अभी जैसे अनुराग ठाकुर जी ने कहा, उस पर केन्द्र सरकार को स्पैसीफिकली सोचना पड़ेगा। पिछले साल जब बरसात हुई, तो हमारी स्टेट असेम्बली ने एक रैजोल्यूशन पास किया, जिसमें कहा गया कि 2500 करोड़ रुपये का हमें नुकसान हुआ है। वह यूनेनीमस रैजोल्यूशन केन्द्र सरकार को भेजा गया, लेकिन आज तक हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी गयी। आज केन्द्र सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। क्या यह मैकेनिज्म है कि हमें एक पैसा भी नहीं दिया जाये? वहां पर बरसात से 45 लोग मर गये हैं, कई लोगों के घर बर्बाद हो गये हैं। प्रदेश सरकार वहां काम करती है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। यह ठीक है कि हमें स्पेशल केटेगिरी स्टेट माना गया है, परन्तु इससे काम बनने वाला नहीं है। इसलिए आपको अलग से इस बारे में सोचना पड़ेगा। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आने वाले दिनों में वहां के नौजवानों को रोजगार मिले, वहां के लोगों की परेशानियां, जो मैंने आपको बतायी हैं, उसे आप दूर करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूं।

आपने स्पेशल पैकेज की बात कही, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रो.धूमल जी के समय में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा एक पैकेज दिया गया। वह पैकेज बहुत अच्छा था, क्योंकि इससे हमारों लाखों बच्चों को रोजगार मिला। उस समय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर को पैकेज दिया गया। उस पैकेज से बड़ा फायदा हुआ। वहां अरबों रुपये की इंडस्ट्रीज लगीं, जिससे वहां के पहाड़ी नौजवानों को रोजगार मिला। जो पढ़े-लिखे बच्चे हैं, उनको भी रोजगार मिला। वहां बड़ी इंस्टीट्यूशन्स बनी, क्योंकि जब फैक्टरी लगती है, तो उसमें हमें स्किल्ड लेबर्स भी चाहिए। यह सब कुछ हुआ और प्रदेश सरकार को उससे लाभ हुआ। परन्तु जब केन्द्र में यूपीए सरकारी बनी, तो जो पैकेज 2013 तक का था, उसे आपने 2007 कर दिया, जैसा अभी कहा गया

इसके बाद जब हमने वहां पर और लड़ाई लड़ी, हमने और कांग्रेस के लोगों ने लड़ाई लड़ी, तब उसको बड़ी मुश्किल से वर्ष 2010 किया गया है। हमें खुशी है कि आज हमारे प्रदेश से दो मंत्री केन्द्र सरकार में लिए गए हैं। दो-दो मंत्री केन्द्र सरकार में हैं परन्तु इस बजट में उसका नाम नहीं लिया गया, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार-बार कहा है, हमने भी कहा है कि आप इसको वर्ष 2013 तक करें जिससे हमारे जो नौजवान बेरोजगार हैं, वहां पर हमारे विकास के दो द्वार उस पैकेज के माध्यम से खुल रहे थे, उसका केन्द्र की यह सरकार बन्द कर रही है। इसलिए मंत्री जी से मेरा यही आग्रह है कि इस पर आप पूरी तरह से विचार करें। एक अन्य बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमें इन पहाड़ी क्षेत्रों में टूरिज्म डेवलप करना है तो रेल के द्वार भी हमें खोलने पड़ेंगे। आजादी के बाद इतने वर्षो में कुल 36 किलोमीटर रेल लाइन वहां बनी है। माननीय रेल मंत्री ममता जी कल कह रही थीं कि कालका से ऊपर कुल्लू-मनाली बहुत अच्छी जगह है। अच्छी जगह तो है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए रेल मंत्रालय क्या कर रहा है। आप इस पर भी विचार करें। आपने कहा है कि आज कोआर्डिनेटेड और बैलेंस्ड डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में हो रही है, इसी कांसेप्ट की वजह से हो रही है। अगर आप उसका थोड़ा और एक्सपैंड कर दें, उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू-कश्मीर को जोड़ दें और बोर्ड का गठन कर सकें जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी करें, उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य हों, एमपीज उसमें शामिल हो जाएं, तो हम व्यापक तौर से एक सोच बना सकते हैं जिससे वह पूरा एरिया डेवलप हो, वहां के फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो ताकि इस देश के पर्यावरण को इसका लाभ मिले। उन प्रदेशों को जो अपनी वन संपदा को बनाए रखते हैं, को इसका लाभ मिल सके। इसलिए आपने यह जो कहा है कि बड़ा काम हो रहा है, केन्द्र से पैसा जा रहा है, हमारा प्लानिंग कमीशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्लानिंग कमीशन का बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, से मैं संतुष्ट नहीं हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है, सभापति महोदय कि आप इसके लिए सरकार को डायरेक्ट करेंगे, मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे। मैंने जो बातें उठाई हैं, उन पर अगर आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, do you want to withdraw the resolution? Or, want some more clarification?

SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, the mover of this Resolution has raised some points. He had raised those points which he made earlier.

MR. CHAIRMAN: You may reply to only those points which have not been made earlier.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I have no problem in replying to his points. I am worried about one aspect. There is already a system existing. A mechanism already exists in Government of India. The North Eastern Council comprises of the hon. Governors of the concerned States, the Chief Ministers of all the North Eastern States and according to the mandate of the Himalayan Development Board, about which the hon. Member wants know, is discharging their duty of looking into the regional plans. This is the first point.

Secondly, they review the performance of the schemes whenever funds are allocated. They also take into the aspects of cost escalation of projects and other such things. They look into the expenditure involved in the projects and accordingly the Council recommends to the concerned States and also the Central Government to make necessary surveys for future programmes. This is what the Himalayan Board is doing.

What does the Resolution say? It says, "All round speedy development of the States comprising of the Himalayan States and monitoring and implementation". This monitoring and implementation is being done by the North Eastern Regional Council.

The second point says monitoring the implementation of existing Central Schemes and programmes in these States. The third point is suggesting measures to minimize the effect of natural calamities in the said region. Natural calamities means floods, etc. As I have already mentioned in the speech, whenever there is natural calamity, the Calamity Relief Fund is given to those States. When there are major calamities, additional funds are also given by the Government of India for those North-Eastern States, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu and Kashmir. When there is a landslide, they approach the Government of India, they give them additional funds. To develop hilly region, funds are being given to them. For border area development, funds are being provided by the Government of India. If the funds that are given are properly utilised and if there is speedy implementation, definitely that region will prosper. It should be a coordinated

effort by the Central Government, the State Government, donor Ministry and the North-Eastern Council. When there are several mechanisms available, one agency like the Himalayan Region Development Board is not going to do the job of all the four agencies.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR : Funds are properly utilised but sufficient funds are not provided to the States by the Central Government. That is our issue. The allocation of funds is inadequate.

MR. CHAIRMAN : You may call on the Minister to discuss with him.

SHRI V. NARAYANASAMY: I have told hon. Members time and again that funds are provided under the Plan, the Centrally-sponsored schemes, centrally administered schemes, externally-aided projects. There are additional funds and special funds that have been by the Central Government. Funds that are given by the Government of India are monitored by the donor Ministry and also the North-Eastern Council. Such a mechanism is there. Therefore, I submit that there is a mechanism available and it is working well. They have not said by a single word that that mechanism is not working. The Central Ministry is there and the DONER Department is working. The North-Eastern Council is also functioning. … (*Interruptions*)

The hon. Member has spoken for a long time and he wants me to reply. This one agency is not going to do the job of the other four agencies, namely, the State Government, the Central Government, the DONER Department and the North-Eastern Council. … (*Interruptions*) Effective implementation should be there. But it should be a collective effort of the State Government, the Central Government and the agencies which are already working there. If collective wisdom is there, we will be able to achieve the purpose. It is your concern and also our concern. The North-Eastern region has also to be developed. Therefore, it is the concern of everybody. Let us put all our heads together and see that the North-Eastern Region, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir develop.

I request the hon. Member to withdraw his Resolution which is going to be a repetition.

श्री वीरेन्द्र कश्यप : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वह इंटरमिक्स कर रहे हैं कि नार्थ-ईस्टर्न डवलपमेंट कौंसिल जो है, उसे आप इस बोर्ड के साथ क्यों जोड़ रहे हैं। वह अलग चीज है। हम यह चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर जो स्टेट अलग रह गए हैं, वे लिए जाएं।

मैंने पिछले शुक्रवार को जो रिजोल्यूशन सदन में पेश किया था, उस पर चर्चा हुई है और मंत्री जी का जवाब भी आया है। I am partly satisfied with his reply. मैं अपने इस रिजोल्यूशन को विदड्रा करने के लिए तैयार हूं।

MR. CHAIRMAN: Has the hon. Member leave of the House to withdraw the Resolution?.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

17.45 hrs.

(ii) RESOLUTION RE: STEPS TO ENSURE AVAILABILITY OF DRINKING WATER IN THE COUNTRY

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, before I call Shri Satpal Maharaj to move his Private Members Resolution regarding steps to ensure availability of drinking water in the country, time for discussion of this Resolution has to be allotted by the House.

If the House agrees, two hours may be allotted for the discussion of the Resolution.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): महोदय, मैं देश में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय करने के संबंध में प्रस्ताव पेश करता हूं।:

> "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश के विभिन्न भागों, विशेषकर उत्तराखंड राज्य में पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल जिलों में पेयजल की उपलब्धता का गंभीर संकट है और वहां स्वजलधारा वर्द्धित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) जैसी केन्द्र प्रायोजित पेयजल योजनाएं सही ढंग से लागू और निगरानी नहीं की जा रही हैं, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि पेयजल की समस्या से उबरने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समयबद्ध व्यापक कार्य योजना बनाई जाए"

महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और यह बताना चाहूंगा कि हमारा देश भारतवर्ष कच्छ से कामख्या तक और कन्याकुमारी से कैलाश तक फैला हुआ है।

MR. CHAIRMAN: Shri Satpal Maharaj, we will close at six o'clock.

श्री सतपाल महाराज : यह कांटिन्यू हो जाएगा। उत्तर भारत में हिमालय में हमारे ग्लेशियर्स हैं जो हमारे वाटर-बैंक्स हैं। ग्लेशियर्स से धीरे-धीरे कल-कल निनाद करता हुआ जल रिसता है और हमारी नदियां प्राणवान होती हैं। ये सारी हमारी नदियां हमारे देश की नसें हैं, हमारे देश की तंत्रिकातंत्र हैं और इससे हमारी जल-आपूर्ति होती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जल ही जीवन है लेकिन अगर जल प्रदूषित है तो यह मृत्यु का कारण बन जाएगा। जब मैं इसके बारे में अध्ययन करता रहा तो यह पता चला कि भारत की अधिकांश जनता प्रदूषित जल को पी रही है। यह एक गंभीर समस्या हमारे सामने है। इसमें हमारे विशेषज्ञों की राय है और हमारे एक्सपर्ट्स यह कहते हैं,

Experts say that the total amount of water available on earth has been estimated at 1.4 billion cubic kilometers, enough to cover the planet with a layer of about three km. deep. About 95 per cent of the earth's water is in the oceans, which is unfit for human consumption and other use because of its high salt content; about four per cent is locked in the polar ice caps; and the remaining one per cent constitutes all the fresh water in hydrological cycle including ground water reserves. Only 0.1 per cent is available as fresh water in rivers, lakes and streams, which is suitable for human consumption. This highlights the significance of the need to preserve our fresh water resources.

But the major problem is the quality of surface water in majority of the locations, which is affected by pollutants from various sources such as domestic waste discharges, industrial waste disposal, and other human activities such as bathing, washing and swimming, etc. The UNICEF and the WWF studies identified the prevalence of fluoride and iron deposits or ingress of salt water and other sources affecting water quality of both surface and ground water. The projected demands for the annual requirement of fresh water, both surface and ground water, in the country indicate an estimated forty per cent increase by the year 2025 to that in the year 2000.

Chemical contaminants, namely fluoride, arsenic and selenium pose a very serious health hazard in the country. It is estimated that about seventy million people in twenty States are at risk due to excess fluoride and around ten million people are at risk due to excess arsenic in ground water. Apart from this, increase in the concentration of chloride, TDS, nitrate, iron in ground water is of great concern for a sustainable drinking water programme. All these need to be tackled holistically. With over-extraction of ground water, the concentration of chemicals is increasing regularly.

Next, I come to drinking water problem in rural India. In India, presently, there is the problem of arsenic in the ground water of Bihar, West Bengal and Assam, fluoride content in Gujarat, Andhra Pradesh, Orissa and Karnataka; and salinity hazard in the East Coast and West Coast of India. High fluoride content above the permissible limit of 1.5 milligram per litre is widespread in the Nawapada District of Orissa which causes drinking water crisis. Though high iron content does not create any health hazard, yet it makes the water unsuitable for drinking in the mining areas of Joda-Badbil of Orissa. Thus, after delineation of the problematic areas, people have to be made aware of the situation and alternative sources of drinking water need to be found.

महोदय, भारत में प्रदूषित पानी की आपूर्ति के कारण 3.37 करोड़ से अधिक लोग पानी से होने वाली बीमारियों के शिकार हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक हर साल लगभग 15 लाख से अधिक बच्चे डायरिया के कारण मौत के शिकार हो जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद सबसे ज्यादा प्रदुषण के शिकार भारत के गांव हैं। गांवों में देश की 70 फीसदी आबादी रहती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भूमिगत जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त पानी पीने के कारण कई तरह की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। इन इलाकों में पानी की मात्रा कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया यानी खून में कमी का कारण फ्लोराइड प्रदूषण को माना जा रहा है। हम बिना कारण पर ध्यान दिए भारत में विकलांग बच्चों की आबादी को बढ़ा रहे हैं। यह एक ऐसी गंभीर समस्या है, जिसका सरकार को निराकरण करना होगा। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे देश में भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परम्परा है। यह एक ऐसी परम्परा है, जिसका यदि हम गहराई से, वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करें तो इसका यही अर्थ है कि जल के स्रोत को रिचार्ज किया जाए। आज हम जगह-जगह से पानी ले रहे हैं, लेकिन उसे रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वाटर डिपलीशन की समस्या खड़ी हो गई है। जगह-जगह ट्यूबवैल और बोरिंग लगाकर इतना ज्यादा पानी निकाला जा रहा है कि पानी कंटैमिनेटिड हो गया है तथा पानी का अभाव हो गया है और परकुलेशन आफ वाटर समाप्त हो गया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परम्परा से यह ज्ञात होता है कि हमें अपनी धरती को रिचार्ज करना होगा और वाटर परकुलेशन को बढ़ाना होगा। सरकार की ऐसी योजना होनी चाहिए, जिससे वाटर परकुलेशन बढ़े, रेन हार्वेस्टिंग हो और पानी की जो भयंकर समस्या इस देश में होने जा रही है, सरकार मिलकर उसका निदान करे। उसके लिए एक इच्छाशक्ति की जरूरत है।

महोदय, मुझे वह समय याद आता है, जब हमारे भगीरथ ने सगर के पुत्र, जो कि मर गए थे, उनकी प्राण रक्षा और मुक्ति के लिए तपस्या की। तपस्या करने के बाद वह गंगा को धरती पर लाए। धरती पर लाने का क्रम यह दर्शाता है कि सरकार के अंदर भगीरथ की तरह इच्छाशक्ति होगी तो निश्चित रूप में घर-घर में पानी पहुंचेगा, वह पानी जीवनदायिनी होगा और कंटैमिनेटिड वाटर नहीं पहुंचेगा। इसके लिए समस्या को हल करने के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। They are: identification and isolation of contamination sources; adoption of latest technologies in order to reduce the waste generation and to treat them effectively; improved and innovative planning of water resources; increased participation of the public, either directly or indirectly in solving the crisis; enhanced co-ordination among the Agencies involved (both Governmental and Non-Governmental) for the cause of the Nation. इसके लिए राष्ट्र की वृहद योजना बनानी होगी, ताकि हम स्वच्छ जल दे सकें। आज देश के अंदर बिसलरी पानी का चलन हो गया है। बिसलरी पानी लोग पी रहे हैं, किंतु आज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो प्रदूषित जल है, वह प्रचुर मात्रा में फैला हुआ है। गांवों में ऐसे भी तालाब हैं जहां एक तरफ जानवर पानी पीता है और एक तरफ गांव का आदमी भी वहां से जल लेकर पानी पीता है। अभी भी हमारे देश के अंदर पीने के पानी की एक समस्या बनी हुई है। मुझे विदेशों में भी जाने का मौका मिला तो वहां यह देखने को मिला कि पीने का पानी अलग एक पाइपलाइन से आता है और वह पानी जिससे आप अपनी बागवानी कर सके, कार धो सकें, या नहा सकें, वह दूसरी पाइपलाइन से आता है। मुम्बई के अंदर भी इसी तरह का सिस्टम है कि पीने का पानी अलग पाइपलाइन से आता है। इस प्रकार की कोई कार्ययोजना बननी चाहिए कि पीने के पानी का स्तर उचित रूप से मेनटेन किया जाए और स्वच्छ पानी लोगों को पीने को मिले क्योंकि जल ही जीवन है। अगर वह पानी प्रदूषित रहा तो वह जीवनदायिनी नहीं होगा, मृत्यु का कारण बन जाएगा। मेरा निवेदन है कि इसके साथ-साथ मेरे उत्तराखंड क्षेत्र में भी पानी की बहुत समस्या है। वहां पर भौगोलिक परिस्थिति परस्पर टकरा रही हैं। सैसमिक जोन है, जिससे धरती के अदंर गर्भीय हरकतें होती रहती हैं और जिनके कारण पानी के स्रोत सूख जाते हैं और पानी के स्रोत सूखने से गांव के अंदर हाहाकार मच जाता है, त्राहि-त्राहि मच जाती है, पानी के लिए लोग हल्ला मचाने लगते हैं। इसके साथ साथ इस समस्या का भी समाधान करना होगा कि हम किस प्रकार से वहां पानी को पहुंचा सके। इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि टैंकर्स के जरिए सरकार ने कोशिश की है पर टैंकर्स जहां सड़क होगी, वहीं जा पाएंगे। इसके लिए भी एक योजना बनानी होगी ताकि सड़कों का जाल पूरे राज्य के अंदर बिछाया जाए और सुगमता से टैंकर जा

सके। टैंकर को भरने के लिए भी एक योजना बनानी होगी ताकि आसानी से टैंकर भर जाए। अगर टैंकर ही दस घंटे में भर रहा है तो कैसे वह जनता तक पानी पहुंचा सकता है?

महोदय, पहाड़ों के अंदर यह बहुत गंभीर समस्या है और उत्तराखंड तो जल का स्रोत रहा है। आज हमारी बड़ी-बड़ी नदियां यमुना जी और गंगा जी हमारे उत्तराखंड से बहकर पूरे देश को पानी दे रही हैं परंतु वहां के जो पहाड़ी एरियाज हैं, आज वे पानी से वंचित हैं। आपने सुना होगा कि टेहरी में एक बहुत विशाल झील बनाई गई। आप देखेंगे कि बड़ी सुंदर झील बनी हुई है। विदेश की बड़ी-बड़ी झील को वह मात देती है पर उस झील को बनाने के लिए जिन गांवों को विस्थापित किया गया, उन गांवों का पुनर्वास किया गया लेकिन आज उसी गांव के लोग पानी के लिए प्यासे तरस रहे हैं।

वहां जो बिजली की योजना बन रही है, वही बिजली दिल्ली को चकाचौंध कर रही है। दिल्ली को लाभ पहुंचा रही है पर वहां के लोग आज भी पानी के लिए वंचित है। इसलिए यह देखना होगा कि उत्तराखंड के अदंर जो पानी की विकट समस्या बन गई है, इसके निदान के लिए एक कार्ययोजना हमें तैयार करनी होगी ताकि हम उत्तराखंड को पानी दे सकें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश गांव सड़कविहीन हैं जिसके कारण वहां के निवासियों को अपनी रोजमर्रा की वस्तुएं लाने के लिए कोसों दूर पैदल चलना पड़ता है और अगर वे बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल तक पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ देते हैं। सड़कें न होने से पेयजल का भी अभाव बना हुआ है जिसके कारण टैंकर नहीं जा सकते हैं। इसलिए बड़ी विकट स्थिति वहां बन गई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, उसके अंदर भ्रमण के दौरान मैंने यह अनुभव किया कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जो स्वीकृत मोटर मार्ग हैं, उसमें राज्य सरकार का लोक निर्माण विभाग विशेष रुचि नही ले रहा है जिसके फलस्वरूप या तो स्वीकृत मोटर मार्ग का या तो काम नहीं हो पाया है या फिर निर्माण का काम बड़ी धीमी गति से हो पाया है जिससे कारण क्षेत्र की जनता बड़ी परेशान है। यही नहीं, जिन मोटर मार्गों पर निर्माण का काम प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किया गया था, उन पर भी अधिकांश बस सेवाएं नहीं चल पा रही हैं और ये मार्ग त्रुटिपूर्ण स्थिति में अधर में लटके हुए हैं। इसलिए जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत देवप्रयाग मोटर मार्ग का निर्माण इसी योजना के अन्तर्गत 30 जून 2006 को पूरा कर दिया गया था। किंतु अभी तक इस मार्ग पर बस सेवाओं का संचालन नहीं हो पाया है और ऐसी ही स्थिति सड़कों की बनी हुई है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बिहार राज्य की भांति प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों के निर्माण का दायित्व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा किसी

स्वतंत्र निर्माण एजेंसी को दिया जाए ताकि स्वीकृत सड़कों का निर्माण यथासमय हो सके और इन स्वीकृत मार्गों के निर्माण हेतु रिवाइज्ड एस्टीमेट्स कमेटी गठित करने की आवश्यकता न पड़े।

मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की यह बहुत गंभीर समस्या है। यहां सड़कों का बनना बहुत आवश्यक है। मुझे जब अगली बार समय मिलेगा तब मैं आपके सामने सड़कों को विस्तारपूर्वक रखूंगा ताकि वहां पेय जल की समस्या का निदान किया जा सके।

MR. CHAIRMAN : You may continue next time.

***SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT)** : Hon. Chairman Sir, through you I would like to draw the attention of the Government of India to a very serious problem pertaining to my state West Bengal. You must be aware that out of the 18 districts of Bengal, eight are situated in the border of Bangladesh. Therefore keeping the security aspect and international norms in mind the Central Government has put up barbed wire fencing from the zero point at a distance of 150 yards. But the problem is, due to this fencing much of the agricultural land of the poor Indian farmers have fallen on the other side of it. The government have also constructed gates every one, two or three kilometres away to facilitate agriculture. The security arrangements are monitored by the BSF personnels. The rule is that the gates would be opened at 6'O clock in the morning. But in practice, this is not done. Now we are having the monsoon season when most of the agricultural activities are undertaken in West Bengal. If the gates are actually opened at 8 A.M. then it becomes very difficult for the cultivaters to reap their harvest. Paddy, wheat and jute cultivation suffer immensely as a result of this. The poor marginalised farmers who depend entirely on their land face extreme difficulties. The situation is very grim. You will find in the newspapers that the villagers have regular clashes with the BSF jawans. Even exchange of fires took place often, in turn killing the innocent helpless people. They are even put behind bars. Thus my humble request to the Government of India is that it should acquire the land lying between the zero point and fencing. It should

---

* English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

hand over the money to the cultivaters so that they are able to purchase land this side and earn their livelihood by growing crops. This is my proposal which I am putting forth before this August House.

I would also like to mention here that the people of the bordering areas are a distressed lot. The region is backward, under developed. Basic minimum facilities are missing. There is no electricity, no water, nothing. The government runs the Border Area Development Schemes but the money is not properly utilised to develop the basic infrastructure of the area. Therefore I propose that Hon. Members of Parliament should be made to represent in the committees which look after this aspect. If that is done then the funds can be effectively used to expedite various schemes which are pending thus ensuring holistic development and growth of the region. The poor people will also be able to live peacefully and have two square meals a day. I request the central government to take note of this.

With these words, I thank you for giving me the opportunity to speak and conclude.

DR. TARUN MANDAL (JOYNAGAR): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to raise this most serious issue in this House and bring to the notice of the Government.

Sir, in the areas of Lalgarh, the jungle mahal of West Bengal, combined police operations both by the State Government and the Union Government are going on now in the name of containing the Maoist problem. Even after three weeks of this combined operation, no sensible Maoist has been arrested or killed or taken into custody. The real genuine democratic movement of the people of those most deprived regions, that is, West Midnapore, Bankura, Purulia, etc.

which are adjoining to Jharkhand area, are demanding for water, food, nutrition, health, jobs and education which is being crushed by state armed forces.

Another submission is that no Maoist in our country does ever organize people's movement. Sir, this is the people's movement. I would like the Union Government to investigate into the matter that who are responsible for putting out some landmines and under that plea, the whole people's movement has been branded as a Maoist movement. So, we are keen to know who are those actually playing behind to put these landmines? The Government should immediately withdraw these combined forces. I consider that the Union Government is guided actually by the West Bengal Government. Due to deprivation of the people of this region for the last 32 years and who were exploited inhumanly since Independence, they have become dissidents and are causing movements against the ruling Government in West Bengal. Now having become dissidents from CPI(M)when they came down to the democratic movement, the West Bengal Government pursued the Union Government successfully to brand it as a Maoist movement. So, it is absurd and it is not right to destroy a democratic movement. So, I would like to appeal to the Union Government to review the matter, and immediately withdraw the combined forces. These combined forces, instead of restoring peace in those areas, are creating nuisance, and even the drinking water spots like wells, houses and schools are being damaged by them.

Sir, a few days back, one Adivasi woman remained in a school camp for six hours in a pool of blood after delivering a baby. There was no person from the civil administration or police to cut the umbilical cord of that baby. Even the reputed people like Medha Patkar, Aparna Sen, Saoli Mitra are not allowed to enter those areas. Practically, behind those combined forces, the CPI (M) people are again recapturing those areas for causing oppression to those people. A war situation has been created and oppressed people of those areas kept cut off from the outer world. I would like the Union Government to investigate this matter. I would also urge upon the Home Minister to visit that area once.

Sir, being a new Member, I would like to make one simple submission to you that though the Business Advisory Committee has decided to take up only five matters of Urgent Public Importance during 'Zero Hour', after seeing the situation of this august House at this late hours, the highest House of the Indian democracy, at least ten to twelve matters of Urgent Public Importance should be taken up during 'Zero Hour', in the beginning … (*Interruptions*) We would not only like to bring these important matters to the notice of the Government but to the people of the nation also through hon'ble MPs.

MR. CHAIRMAN : Please do not discuss policy matters. You have made your suggestion. Please sit down.

DR. TARUN MANDAL : Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

MR. CHAIRMAN: Now, the House stands adjourned to meet on Monday, 13th July, 2009 at 11 a.m.

18.07 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, July 13, 2009/Asadha 22, 1931 (Saka).